



विनियोग लेखे

2022-2023



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार

विनियोग लेखा

2022-2023

जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार

व्याख्यात्मक ज्ञापन

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार के वित्त और विनियोग लेखे माननीय राष्ट्रपति महोदय को संसद के पटल पर रखवाने हेतु भेजे जा रहे हैं।

पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप एवं जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार, ये लेखे संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के माननीय उप राज्यपाल महोदय को भी भेजे जा रहे हैं।

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रस्तावना .. (iii-v)

विनियोग लेखा का सारांश .. (vi-xiii)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (xv-xvii)

अनुदान/ विनियोग की संख्या और नाम

1.	सामान्य प्रशासन विभाग	..	..	..	..	1-8
2.	गृह विभाग	..	..	..	..	9-15
3.	योजना विभाग	..	..	..	..	16-18
4.	सूचना विभाग	..	..	..	..	19-20
5.	खनन विभाग	..	..	..	..	21
6.	विद्युत विकास विभाग	..	..	..	..	22-24
7.	शिक्षा विभाग	..	..	..	..	25-28
8.	वित्त विभाग	..	..	..	..	29-39
9.	संसदीय मामले विभाग	..	..	..	..	40
10.	विधि विभाग	..	..	..	..	41-44
11.	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	..	..	..	..	45-50
12.	कृषि विभाग	..	..	..	..	51-56
13.	पशु/ भेड़ पालन विभाग	..	..	..	..	57-58
14.	राजस्व विभाग	..	..	..	..	59-62
15.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	..	..	..	..	63-64
16.	लोक निर्माण विभाग	..	..	..	..	65-69
17.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	..	..	..	..	70-82
18.	समाज कल्याण विभाग	..	..	..	..	83-91

विषय-सूची- (समाप्त)

पृष्ठ

19. आवास एवं शहरी विकास विभाग	..	..	..	..	92-95
20. पर्यटन विभाग	..	..	..	..	96-99
21. वन विभाग	..	..	..	..	100-104
22. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	..	..	..	..	105-108
23. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	..	..	..	..	109-110
24. आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल विभाग	..	..	..	..	111-113
25. श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण विभाग	..	..	..	..	114-116
26. मत्स्य पालन विभाग	..	..	..	..	117-118
27. उच्चतर शिक्षा विभाग	..	..	..	..	119-122
28. ग्रामीण विकास विभाग	..	..	..	..	123-127
29. परिवहन विभाग	..	..	..	..	128-129
30. जनजातीय मामले विभाग	..	..	..	..	130-131
31. संस्कृति विभाग	..	..	..	..	132-133
32. उद्यान कृषि विभाग	..	..	..	..	134-135
33. आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग	..	..	..	..	136-138
34. युवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	..	..	..	..	139-141
35. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	..	..	..	..	142
36. सहकारी विभाग	..	..	..	..	143-144

परिशिष्ट

I	आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम राशि से किया गया व्यय	..	..	..	..	147
II	व्यय की कमी के कारण लेखांकन में समायोजित वसूलियों के संबंध में आंकलनों और वास्तविकों का अनुदान वार विवरण	..	..	..	..	148-149

प्रस्तावना

वर्ष 2022-23 हेतु जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार के विनियोग लेखे का यह संकलन संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे को प्रस्तुत करता है।

इन लेखों में -

‘ओ’ मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक है।

‘एस’ अनुपूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक है।

‘आर’ सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोजन, आहरण या अभ्यर्पण का द्योतक है।

प्रभारित विनियोगों तथा व्यय को *तिरछे* अक्षरों में दिखाया गया है।

2. इस प्रकाशन में संबंधित अनुदानों में उपयुक्त टिप्पणियाँ की गई हैं। उप शीर्ष जिनके संबंध में ₹ एक लाख या अधिक बजटीय प्रावधान से ऊपर आधिक्य है तथा ₹ पाँच लाख या अधिक बजटीय प्रावधान के प्रति बचतों को इस संकलन में दर्शाया गया है।
3. वित्तीय वर्ष 2022-23 विनियोग लेखे के लिए प्रत्येक अनुदान/ विनियोग अशोधित आवंटन पर आधारित हैं, जिसमें मूल अनुदान, अनुपूरक अनुदान और बचत के अभ्यर्पण से संवर्धन और समग्र रूप से इस प्रकार के विनियोग/ अनुदान के प्रति व्यय की गई राशि सम्मिलित है। व्यक्तिगत अभ्यर्पण आदेश संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यद्यपि, अनुदान-वार अभ्यर्पण और बचत के अभ्यर्पण से संवर्धन की पुष्टि सरकार द्वारा की गई है।

प्रत्येक अनुदान/ अनुदान के प्रत्येक भाग में राशि को बढ़ाने के लिए अनुपूरक अनुदान और वैध पुनर्विनियोजन की उपलब्धता आवश्यक है। सामान्यतः, प्रत्येक अनुदान के चार भागों (राजस्व दत्तमत, राजस्व प्रभारित, पूंजीगत दत्तमत और पूंजीगत प्रभारित) में से प्रत्येक में केवल बचत का उपयोग अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए विधायी प्राधिकार के बिना कार्यकारी द्वारा पुनर्विनियोजन के माध्यम से किया जा सकता है। अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता की पूर्ति हेतु किसी भी स्थिति में, उसी अनुदान में भी किसी अन्य अनुभाग से बचत का उपयोग पूर्व विधायी प्राधिकार के बिना अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

यद्यपि, संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने प्राधिकार के बिना विनियोग की तरह, कुछ अनुदानों में धन की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा किया है।

निम्नलिखित तीन अनुदानों/ विनियोगों के संबंध में, संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा विधायी प्राधिकार के बिना अनुदान के पूंजीगत भाग से राजस्व भाग में संवर्धन किया गया था। संवर्धन के लिए वैध प्राधिकार के अभाव के आलोक में, इन अनुदानों में प्रभावपूर्ण तरीके से, वास्तविक व्यय मूल बजट से अधिक हो गया है।

पूंजीगत से राजस्व			
अनुदान संख्या	बिना उचित प्राधिकार के संवर्धित अनुदान का भाग	संवर्धित राशि (₹)	संबंधित अनुदान के भाग में अतिरिक्त राशि
8	राजस्व प्रभारित	16,51,08,50,000	₹ 74,24,68,00,000 के विधायी प्राधिकार पर ₹ 1069,14,22,000 का अतिरिक्त व्यय है
16	राजस्व दत्तमत	1,24,05,53,000	₹ 1078,70,10,000 के विधायी प्राधिकार पर ₹ 281,63,51,000 का अतिरिक्त व्यय है
19	राजस्व दत्तमत	1,93,05,73,000	₹ 11,37,00,39,000 के विधायी प्राधिकार पर ₹ 133,34,61,000 का अतिरिक्त व्यय है।
कुल		19,68,19,76,000	

निम्नलिखित 13 अनुदानों के संबंध में, संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुदान के पूंजीगत भाग से राजस्व भाग में और इसके विपरीत (वाइस वरसा) संवर्धन किया गया। यद्यपि, वास्तविक व्यय संसद द्वारा पारित मूल बजट और अनुपूरक अनुदान से कम था :

पूँजीगत से राजस्व			
अनुदान संख्या	देय प्राधिकार के बिना संवर्धित अनुदान का भाग	संवर्धित राशि (₹)	टिप्पणी
2	राजस्व दत्तमत	1,76,30,78,000	
7	राजस्व दत्तमत	1,28,98,05,000	
8	राजस्व दत्तमत	6,37,05,89,000	संवर्धित राशि के अतिरिक्त ₹ 273452.12 लाख का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया
23	राजस्व दत्तमत	1,30,63,57,000	
31	राजस्व दत्तमत	12,14,12,000	
33	राजस्व दत्तमत	33,47,03,000	
कुल		11,18,59,44,000	
राजस्व से पूँजीगत			
अनुदान संख्या	देय प्राधिकार के बिना संवर्धित अनुदान का भाग	राशि (₹)	टिप्पणी
15	पूँजीगत दत्तमत	63,11,35,000	
17	पूँजीगत दत्तमत	3,97,83,88,000	
22	पूँजीगत दत्तमत	1,18,03,85,000	संवर्धित राशि के अतिरिक्त ₹ 5426.78 लाख का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया
24	पूँजीगत दत्तमत	21,00,000	
30	पूँजीगत दत्तमत	2,80,45,000	संवर्धित राशि के अतिरिक्त ₹ 14,775.49 लाख का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया
32	पूँजीगत दत्तमत	36,21,14,000	संवर्धित राशि के अतिरिक्त ₹ 876.53 लाख का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया
34	पूँजीगत दत्तमत	15,20,81,000	संवर्धित राशि के अतिरिक्त ₹ 564.78 लाख का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया
कुल		6,33,42,48,000	

विनियोग लेखाओं का सारांश									
अनुदान या विनियोग की संख्या तथा नाम		अनुदान अथवा विनियोग की राशि	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत/आधिक्य का प्रतिशत			
						राजस्व (%)		पूँजीगत (%)	
						2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
		(₹ हजार में)							
1	सामान्य प्रशासन विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	5,60,10,65	4,17,78,61	1,42,32,04	-	24	25		
	प्रभारित	30,65,57	23,70,21	6,95,36	-	11	23		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	2,06,58,64	41,51,11	1,65,07,53	-			91	80
2	गृह विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	97,64,67,32	80,35,35,42	17,29,31,90	-	19	18		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	12,42,82,07	2,67,41,34	9,75,40,73	-			81	78
3	योजना विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	1,54,67,06	1,00,34,33	54,32,73	-	29	35		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	9,74,92,00	4,52,30,40	5,22,61,60	-			72	54
4	सूचना विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	1,31,95,38	1,04,98,34	26,97,04	-	33	20		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	1,00,47,70	3,67	1,00,44,03	-			76	100
5	खनन विभाग								
	राजस्व								
	पूँजीगत								
6	विद्युत विकास विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	63,10,51,27	27,68,73,67	35,41,77,60	-	40	56		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	24,57,58,01	7,22,45,52	17,35,12,49	-			55	71
7	शिक्षा विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	1,10,17,34,93	94,44,51,99	15,72,82,94	-	10	14		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	9,44,40,52	4,62,51,37	4,81,89,15	-			61	51

विनियोग लेखाओं का सारांश (जारी)									
अनुदान या विनियोग की संख्या तथा नाम	अनुदान अथवा विनियोग की राशि	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत/आधिक्य का प्रतिशत				
					राजस्व (%)		पूँजीगत (%)		
					2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	
		(₹ हजार में)							
8	वित्त विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	1,42,12,28,50	1,19,52,31,96	22,59,96,54		14	16		
	प्रभारित	90,75,76,50	84,93,82,22	5,81,94,28	-	4	6		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	14,44,80,00	3,51,79,98	10,93,00,02	-			39	76
	प्रभारित	3,27,20,87,00	3,40,66,90,71	13,46,03,71			-	..	4
9	संसदीय कार्य विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	57,81,90	23,63,18	34,18,72	-	23	59		
	प्रभारित	87,10	--	87,10			100		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	4,00,00	--	4,00,00					100
10	विधि विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	6,80,77,95	3,09,91,42	3,70,86,53	-	50	54		
	प्रभारित	96,50,00	62,36,17	34,13,83	-	30	35		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	1,22,00,00	49,50,84	72,49,16	-			51	59
11	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	4,47,18,45	3,41,14,45	1,06,04,00	-	27	24		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	5,55,80,00	1,43,20,20	4,12,59,80	-			65	74
12	कृषि विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	13,39,36,18	11,79,40,01	1,59,96,17	-	12	12		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	14,96,03,55	2,35,05,51	12,60,98,04	-			85	84
13	पशु/ भेड़ पालन विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	7,22,21,01	5,88,36,41	1,33,84,60	-	10	19		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	2,66,10,00	1,10,81,28	1,55,28,72	-			49	58

विनियोग लेखाओं का सारांश (जारी)									
अनुदान या विनियोग की संख्या तथा नाम	अनुदान अथवा विनियोग की राशि	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत/आधिक्य का प्रतिशत				
					राजस्व (%)		पूँजीगत (%)		
					2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	
		(₹ हजार में)							
14	राजस्व विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	9,06,72,38	5,81,94,45	3,24,77,93	-	34	36		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	93,50,00	15,19,05	78,30,95	-			81	84
15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	3,18,25,55	1,78,55,76	1,39,69,79	-	43	44		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	3,69,37,65	79,00,80	2,90,36,85	-			61	79
16	लोक निर्माण विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	12,02,75,63	13,60,33,61		1,57,57,98	9	13		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	52,17,87,00	27,61,44,36	24,56,42,64	-			47	47
17	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	69,95,99,66	57,28,94,96	12,67,04,70	-	16	18		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	18,82,56,00	3,65,76,11	15,16,79,89	-			59	81
18	समाज कल्याण विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	30,04,64,37	20,95,16,71	9,09,47,66	-	34	30		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	1,98,07,23	91,85,42	1,06,21,81	-			64	54
19	आवास एवं शहरी विकास विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	13,30,06,12	12,70,35,00	59,71,12	-	18	4		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	31,12,88,20	7,80,62,01	23,32,26,19	-			77	75
20	पर्यटन विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	2,28,85,18	1,61,97,97	66,87,21	-	39	29		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	2,78,95,00	1,56,13,75	1,22,81,25	-			51	44

विनियोग लेखाओं का सारांश (जारी)									
अनुदान या विनियोग की संख्या तथा नाम		अनुदान अथवा विनियोग की राशि	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत/आधिक्य का प्रतिशत			
						राजस्व (%)		पूँजीगत (%)	
						2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
			(₹ हजार में)						
21	वन विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	16,88,42,93	12,48,00,61	4,40,42,32	-	25	26		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	2,00,76,09	65,64,12	1,35,11,97	-			41	67
22	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	8,10,28,76	6,09,35,60	2,00,93,16	-	16	25		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	14,09,99,46	2,38,67,98	11,71,31,48	-			84	83
23	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	19,36,26,59	17,46,35,00	1,89,91,59	-	7	10		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	80,51,45,69	2,08,76,66	78,42,69,03	-			92	97
24	आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	2,29,90,96	1,84,86,68	45,04,28	-	27	20		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	51,21,00	31,53,44	19,67,56	-			49	38
25	श्रम, लेखन सामग्री एवं मुद्रण विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	1,08,49,97	74,08,18	34,41,79	-	15	32		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	67,57,80	10,03,16	57,54,64	-			88	85
26	मत्स्य पालन विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	1,19,04,45	1,07,89,75	11,14,70	-	10	9		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	1,25,80,00	12,60,88	1,13,19,12	-			71	90
27	उच्चतर शिक्षा विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	14,82,66,34	14,12,91,13	69,75,21	-	14	5		
	पूँजीगत								
	दत्तमत	8,62,25,00	2,22,46,62	6,39,78,38	-			74	74

विनियोग लेखाओं का सारांश (जारी)								
अनुदान या विनियोग की संख्या तथा नाम	अनुदान अथवा विनियोग की राशि	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत/आधिक्य का प्रतिशत			
					राजस्व (%)		पूँजीगत (%)	
					2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
		(रु हजार में)						
28	ग्रामीण विकास विभाग-							
	राजस्व							
	दत्तमत	8,15,31,72	5,83,84,54	2,31,47,18	-	24	28	
	पूँजीगत							
	दत्तमत	46,27,85,46	24,36,38,56	21,91,46,90	-		71	47
29	परिवहन विभाग-							
	राजस्व							
	दत्तमत	1,17,31,57	76,26,95	41,04,62	-	30	35	
	पूँजीगत							
	दत्तमत	65,50,00	15,75,81	49,74,19	-		29	76
30	जनजातीय मामले विभाग-							
	राजस्व							
	दत्तमत	1,35,10,09	64,85,83	70,24,26	-	55	52	
	पूँजीगत							
	दत्तमत	4,32,78,89	80,35,12	3,52,43,77	-		62	81
31	संस्कृति विभाग -							
	राजस्व							
	दत्तमत	79,49,46	59,56,23	19,93,23	-	31	25	
	पूँजीगत							
	दत्तमत	3,25,82,16	10,48,83	3,15,33,33	-		98	97
32	उद्यान कृषि विभाग-							
	राजस्व							
	दत्तमत	1,92,93,37	1,44,80,79	48,12,58	-	19	25	
	पूँजीगत							
	दत्तमत	4,98,97,67	1,60,68,76	3,38,28,91	-		42	68
33	आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग-							
	राजस्व							
	दत्तमत	10,27,57,91	8,47,06,24	1,80,51,67	-	16	18	
	पूँजीगत							
	दत्तमत	5,66,62,00	99,24,29	4,67,37,71	-		48	82
34	युवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा विभाग-							
	राजस्व							
	दत्तमत	6,66,86,83	5,24,18,33	1,42,68,50	-	22	21	
	पूँजीगत							
	दत्तमत	2,65,84,84	1,65,87,82	99,97,02	-		69	38

विनियोग लेखाओं का सारांश (जारी)									
अनुदान या विनियोग की संख्या तथा नाम		अनुदान अथवा विनियोग की राशि	व्यय	बचत	आधिक्य	बचत/आधिक्य का प्रतिशत			
						राजस्व (%)		पूंजीगत (%)	
						2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
			(₹ हजार में)						
35	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	21,02,98	11,92,14	9,10,84	-	28	43		
	पूंजीगत								
	दत्तमत	1,27,91,00	34,17,29	93,73,71	-		52	73	
36	सहकारिता विभाग-								
	राजस्व								
	दत्तमत	1,76,33,09	79,68,68	96,64,41	-	34	55		
	पूंजीगत								
	दत्तमत	15,00,00	2,89,73	12,10,27	-		32	81	
कुल :									
राजस्व-									
	दत्तमत-	6,89,93,26,51*	5,44,19,44,93	1,47,31,39,56	1,57,57,98				
	प्रभारित	92,03,79,17#	85,79,88,60	6,23,90,57					
पूंजीगत									
	दत्तमत-	3,86,64,10,63\$	1,08,82,21,79	2,77,81,88,84					
	प्रभारित	3,27,20,87,00	3,40,66,90,71		13,46,03,71				

* ₹ 34,80,17,18 हजार अनुपूरक और ₹ 14,35,70,70 हजार संवर्धित सम्मिलित हैं

₹ 15,11,00 हजार अनुपूरक और ₹ 16,51,08,50 हजार संवर्धित सम्मिलित हैं

\$ में ₹ 2,16,43,58 हजार अनुपूरक और ₹ 6,33,42,48 हजार संवर्धित सम्मिलित हैं

विनियोग लेखा का सारांश (जारी)

निम्नलिखित प्रभारित विनियोगों/ दत्तमत अनुदानों के आधिक्य को नियमितीकरण किए जाने की आवश्यकता है:

राजस्व भाग

08 वित्त विभाग

पूंजीगत भाग

16 लोक निर्माण विभाग

विनियोग लेखा का सारांश (समाप्त)

जैसा कि अनुदान तथा प्रभारित विनियोग सकल राशियों के व्यय के लिए आवश्यक है, उनके प्रति दर्शाए गए आँकड़ों में व्यय की कमी में लेखाओं में समायोजित वसूलियां सम्मिलित नहीं है। निवल व्यय के आँकड़े वित्त लेखा में दर्शाए गए हैं। वर्ष 2022-23 हेतु विनियोग लेखा और वित्त लेखा में दर्शाए गए कुल व्यय के मध्य का समाधान नीचे दिया गया है:-

	प्रभारित		दत्तमत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
कुल व्यय	85,79,88,60	3,40,66,90,71	5,44,19,44,92	1,08,82,21,79
विनियोग लेखा				
परिशिष्ट-II में दर्शाई गई				
वसूलियों की कटौती	-	-	-	48,90,94
वित्त लेखा के विवरण				
संख्या 11 में दर्शाए गए				
कुल निवल व्यय	85,79,88,60	3,40,66,90,71	5,44,19,44,92	1,08,33,30,85

उपर्युक्त उल्लिखित वसूलियों का विवरण “परिशिष्ट-II” में दिया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार के विनियोग लेखा की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार के विनियोग लेखे, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं को संसद द्वारा पारित अनुदान की मांग 2022-23 में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, विनियोग लेखे इस संकलन में टिप्पणियों के साथ पठित, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखों को, संसद द्वारा पारित अनुदान की मांग 2022-23 में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं की लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष के दौरान या पूर्व वर्षों में की गई लेखापरीक्षा से प्राप्त टिप्पणियां 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालना एवं निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समाविष्ट हैं, जिसको अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें जिससे कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जांच को सम्मिलित किया जाता है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत को आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

संघ राज्य क्षेत्र सरकार विधानमंडल से बजट का प्राधिकार प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। संघ राज्य क्षेत्र सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे कोषागार, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार के कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं

की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेन-देन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अतिरिक्त, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) का कार्यालय संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के वार्षिक लेखाओं के संकलन एवं तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 और जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 71, की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखे को संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्राप्त किए गए वाउचरों, चालानों और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 72 एवं नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971, की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) व प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय अगल-अगल संवर्गों, पृथक रिपोर्टिंग लाइन एवं प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

मामले का महत्व

मैं निम्नलिखित की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ:

(क) जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 36(1)(सी) और (डी), 43(1) और 74 के तहत पारित जम्मू और कश्मीर (क्रमांक 2) विनियोग अधिनियम, 2022 के अनुसार अनुदान की मूल मांग ₹ 1,42,150.10 करोड़ रही जिसके पश्चात 9 अनुदानों और एक विनियोग के संबंध में अनुदान की अनुपूरक मांग ₹ 3,711.72 करोड़ रही। यद्यपि, जम्मू और कश्मीर बजट

नियमपुस्तक 2020 की धारा 14.8.1 के उल्लंघन में विनियोग लेखा 2022-23 में ₹ 1,32,788.90 करोड़ के संशोधित अनुमान (आरई) के संबंध में वही बचत और आधिक्य का समाधान किया गया है, जिसे जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा अंतिम संशोधित अनुदान कहा जाता है।

जम्मू और कश्मीर बजट नियमपुस्तक 2020 की धारा 14.7.2 अन्य बातों के साथ-साथ यह बताती है कि अनुदान में इस प्रकार के भी आदेश नहीं दिये जा सकते हैं, जिनका उद्देश्य राजस्व लेखा से पूंजीगत लेखा में धन का पुनर्विनियोजन करना और इसका उलटा (वाइस वरसा) करना है। यद्यपि, यह देखा गया कि विनियोग लेखा, 2022-23 में आरई/ संशोधित अनुदान के अनुसार, ₹ 16,793.13 करोड़ (वैध अभ्यर्पण आदेशों द्वारा समर्थित नहीं हैं) की बचत के अभ्यर्पण में से संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा ₹ 3,086.79 करोड़ की राशि को 8 अनुदानों और एक विनियोग में पूंजीगत से राजस्व में संवर्धित/ पुनर्विनियोजित किया गया है और ₹ 633.42 करोड़ 7 अनुदानों में राजस्व से पूंजीगत में बिना विधायी प्राधिकार के संवर्धित/ पुनर्विनियोजित किया गया है।

(ख) वर्ष 2022-23 के दौरान एक अनुदान (अनुदान संख्या 16: ₹ 157.58 करोड़) और एक विनियोग (अनुदान संख्या 8: ₹ 1,346.04 करोड़) में प्राधिकार से ₹ 1,503.62 करोड़ का अधिक व्यय किया गया। इन दो अनुदानों में दर्शाए गए आधिक्य व्यय के साथ ही अनुदान संख्या 8, 16 और 19 में पूंजीगत भाग से राजस्व भाग में संवर्धन पर विचार नहीं करने के पश्चात जैसा कि उप-पैरा (ए) में दर्शाया गया है उपर्युक्त मूल अनुदान (अनुदान संख्या 8: ₹ 1,069.14 करोड़; अनुदान संख्या 16: ₹ 124.05 करोड़ और अनुदान संख्या 19: ₹ 133.35 करोड़) वैध प्राधिकार के अभाव में ₹ 1,326.54 करोड़ से अधिक होगा।

मामले के महत्व खंड के कारण विनियोग लेखाओं पर मेरा अभिमत संशोधित नहीं हुआ है।

दिनांक: 28 फरवरी 2024

स्थान: नई दिल्ली



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुदान संख्या 1- सामान्य प्रशासन विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2012 राष्ट्रपति उप-राष्ट्रपति/ राज्यपाल संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

2015 चुनाव

2051 लोक सेवा आयोग

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

2055 पुलिस

2062 सतर्कता

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2251 सचिवालय-समाज सेवाएं

3435 पारिस्थितिकी और पर्यावरण

3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएं

3452 पर्यटन

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	5,60,10,65		
अनुपूरक	..	5,60,10,65	4,17,78,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)1,42,32,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			63,05,43
प्रभारित			
मूल	30,65,57		
अनुपूरक	..	30,65,57	23,70,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)6,95,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,84,75

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

4075 विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

मूल	2,06,58,64			
अनुपूरक	..	2,06,58,64	41,51,11	(-)1,65,07,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				84,87,81

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 56,010.65 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14,232.04 लाख की अंतिम बचत हुई।
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई जिसके लिए कारणों को सूचित (जुलाई 2023) नहीं किया गया था।

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(₹ लाख में)				

2015	चुनाव				
102	निर्वाचन अधिकारी				
0099	सामान्य				
0414	निर्वाचन विभाग				
	ओ	58.57			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)1.17	57.40	27.38	(-)30.02 कम व्यय

अनुदान संख्या 1-(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2052	सचिवालय - सामान्य सेवाएं				
090	सचिवालय				
0099	सामान्य				
0418	वित्त विभाग				
	ओ	2,080.24			मुख्यतः वेतन तथा टीई के संबंध में
	आर	(-)248.14	1,832.10	1,526.19	(-)305.91 प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0431	मुख्यमंत्री सचिवालय				
	ओ	2,087.15			मुख्यतः वेतन एवं पीओएल के संबंध में
	आर	(-)492.30	1,594.85	1,460.90	(-)133.95 प्रावधान के प्रति कम एवं एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0443	गृह विभाग				
	ओ	1,089.36			मुख्यतः वेतन एवं टीई के संबंध में
	आर	(-)157.66	931.70	743.14	(-)188.56 प्रावधान के प्रति कम एवं एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0479	राजस्व विभाग				
	ओ	1,025.67			मुख्यतः वेतन टीई तथा पीओएल के संबंध
	आर	(-)96.59	929.08	867.55	(-)61.53 में प्रावधान के प्रति कम व्यय
0507	विधि विभाग				
	ओ	2,368.84			मुख्यतः वेतन, टीई और पुस्तकें सामयिक
	आर	(-)30.69	2,338.15	1,792.77	(-)545.38 पत्रों तथा प्रकाशनों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
0518	सामान्य प्रशासन विभाग				
	ओ	6,485.43			मुख्यतः वेतन, टीई तथा प्रशिक्षण के संबंध
	आर	(-)1,279.81	5,205.62	4,370.50	(-)835.12 में प्रावधान के प्रति कम एवं एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0712	सूचना प्रौद्योगिकी				
	ओ	1,316.30			मुख्यतः वेतन तथा टीई के संबंध में
	आर	(-)204.30	1,112.00	951.97	(-)160.03 प्रावधान के प्रति कम व्यय
0892	विधान परिषद				
	ओ	957.83			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)46.08	911.75	488.67	(-)423.08 कम एवं टीई के प्रति शून्य व्यय
092	अन्य कार्यालय				
0099	सामान्य				
0448	प्रशिक्षण शाखा-सामान्य शाखा				
	ओ	271.77			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)140.07	131.70	102.45	(-)29.25 कम शून्य व्यय
0451	विधि विभाग का अनुवाद प्रकोष्ठ				
	ओ	368.48			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	46.23	414.71	198.02	(-)216.69 कम व्यय
0463	व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा बोर्ड				
	ओ	548.00			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)121.00	427.00	351.73	(-)75.27 कम व्यय
0516	सेवा चयन बोर्ड				
	ओ	1,328.52			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)202.84	1,125.68	943.90	(-)181.78 कम एवं एलटीसी के प्रति शून्य व्यय

अनुदान संख्या 1-(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2052	सचिवालय - सामान्य सेवाएं				
092	अन्य कार्यालय				
0099	सामान्य				
0519	प्रशासनिक सुधार एवं निरीक्षण विभाग				
	ओ	379.23			मुख्यतः वेतन तथा टीई के संबंध में प्रावधान के प्रति कम और एल टी सी के प्रति शून्य व्यय
	आर	(-)32.71	346.52	305.37	
2055	पुलिस				
117	आंतरिक सुरक्षा				
0099	सामान्य				
0431	मुख्यमंत्री सचिवालय				
	ओ	3,000.00			गुप्त सेवा खर्चों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	..	3,000.00	2,170.00	
2062	सतर्कता				
105	अन्य सतर्कता अभिकरण				
0099	सामान्य				
0517	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो				
	ओ	8,969.34			मुख्यतः वेतन, एल टी सी, एवं प्रशिक्षण के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	(-)1,252.85	7,716.49	7,144.65	
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं				
003	प्रशिक्षण				
0099	सामान्य				
0262	प्रबंधन एवं लोक प्रशासन संस्थान				
	ओ	2,450.00			जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	..	2,450.00	2,436.98	
105	विशेष जाँच आयोग				
0099	सामान्य				
0456	जम्मू एवं कश्मीर विशेष अधिकरण				
	ओ	587.30			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम एवं एमआर के प्रति शून्य व्यय
	आर	(-)37.02	550.28	494.37	
800	अन्य व्यय				
0099	सामान्य				
0244	निर्देशन और प्रशासन				
	ओ	210.00			मुख्यतः समारोहों तथा पुरस्कारों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	154.00	364.00	259.76	
2251	सचिवालय- समाज सेवा				
090	सचिवालय				
0099	सामान्य				
0332	तकनीकी शिक्षा का राज्य बोर्ड				
	ओ	698.86			मुख्यतः वेतन और टीई के संबंध में प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
	आर	(-)14.46	684.40	625.35	

अनुदान संख्या 1-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(र लाख में)				
2251	सचिवालय- समाज सेवा					
090	सचिवालय					
0099	सामान्य					
0412	शिक्षा विभाग					
	ओ	1,017.48				मुख्यतः वेतन और टीई के संबंध में
	आर	(-)106.08	911.40	730.66	(-)180.74	प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0419	शिक्षा आयुक्त					
	ओ	624.08				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	13.15	637.23	546.74	(-)90.49	कम और एल टी सी के प्रति शून्य व्यय
0421	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग					
	ओ	897.29				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)42.29	855.00	687.17	(-)167.83	कम और एल टी सी के प्रति शून्य व्यय
0426	सामाज कल्याण विभाग					
	ओ	777.18				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)109.18	668.00	625.42	(-)42.58	कम और एल टी सी के प्रति शून्य व्यय
0428	राहत और पुनर्वास विभाग					
	ओ	480.10				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)73.60	406.50	351.59	(-)54.91	कम व्यय
0430	सचिवालय औषधालय					
	ओ	94.64				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)4.63	90.01	74.97	(-)15.04	कम व्यय
1237	आवास एवं शहरी विकास विभाग					
	ओ	740.66				मुख्यतः वेतन और टीई के संबंध में
	आर	(-)3.06	737.60	663.64	(-)73.96	प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2301	संस्कृति विभाग					
	ओ	301.45				मुख्यतः वेतन और टीई के संबंध में
	आर	1.02	302.47	263.58	(-)38.89	प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति
2426	जनजातीय मामले विभाग					
	ओ	337.06				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	41.59	378.65	351.29	(-)27.36	कम और एल टी सी के प्रति शून्य व्यय
3435	पारिस्थितिकी और पर्यावरण					
04	प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण					
800	अन्य व्यय					
0099	सामान्य					
0438	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी					
	ओ	309.85				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)56.18	253.67	221.14	(-)32.53	कम व्यय
3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएं					
090	सचिवालय					
0099	सामान्य					
0411	सूचना विभाग					
	ओ	294.86				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)67.47	227.39	200.91	(-)26.48	कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय

अनुदान संख्या 1-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/		वास्तविक	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		विनियोग		व्यय		
		(₹ लाख में)				
3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएं					
090	सचिवालय					
0099	सामान्य					
0425	कृषि विभाग					
	ओ	764.80				मुख्यतः वेतन और टीई के संबंध में
	आर	210.65	975.45	867.01	(-)108.44	प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0429	वन विभाग					
	ओ	538.65				वेतन और टीई के संबंध में प्रावधान के
	आर	62.15	600.80	549.41	(-)51.39	प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0437	परिवहन विभाग					
	ओ	373.14				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	21.46	394.60	308.44	(-)86.16	कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0440	लोक निर्माण (आरएण्डबी) विभाग					
	ओ	719.85				मुख्यतः टीई के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)51.20	668.65	618.99	(-)49.66	कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0445	ऊर्जा विकास विभाग					
	ओ	777.81				मुख्यतः वेतन एवं टीई के संबंध में
	आर	(-)104.76	673.05	528.59	(-)144.46	प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0465	आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल विभाग					
	ओ	373.80				वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	(-)47.90	325.90	211.02	(-)114.88	और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0467	श्रम विभाग					
	ओ	552.17				वेतन, टीई के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	43.08	595.25	482.59	(-)112.66	कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0469	पशु एवं भेड़ पालन विभाग					
	ओ	484.95				मुख्यतः वेतन और ओई के संबंध में
	आर	(-)77.43	407.52	363.22	(-)44.30	प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0472	सहकारी विभाग					
	ओ	436.74				मुख्यतः वेतन और टीई के संबंध में
	आर	(-)101.74	335.00	267.90	(-)67.10	प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0490	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग					
	ओ	896.27				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)154.47	741.80	552.52	(-)189.28	कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0508	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण विभाग					
	ओ	413.13				मुख्यतः वेतन और टीई के संबंध में
	आर	(-)29.23	383.90	370.29	(-)13.61	प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0977	खनन विभाग					
	ओ	249.51				मुख्यतः वेतन और टीई के संबंध में
	आर	(-)0.91	248.60	157.07	(-)91.53	प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय

अनुदान संख्या 1-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएं					
090	सचिवालय					
0099	सामान्य					
1241	पर्यटन विभाग					
	ओ	530.00				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	7.70	537.70	475.14	(-)62.56	कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
1341	ग्रामीण विकास विभाग					
	ओ	645.61				मुख्यतः वेतन, पीओएल के संबंध में
	आर	23.29	668.90	563.43	(-)105.47	प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
1825	योजना विभाग					
	ओ	1,848.24				मुख्यतः वेतन, टीई, टेलीफोन के संबंध में
	आर	(-)401.14	1,447.10	1,226.49	(-)220.61	प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी और पी एंड एसएस शुल्क पर शून्य व्यय
2454	परियोजना अनुवीक्षण इकाई					
	ओ	89.27				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)2.87	86.40	66.92	(-)19.48	कम व्यय और टीई के प्रति शून्य व्यय
2457	उद्यान कृषि विभाग					
	ओ	282.06				मुख्यतः वेतन, टीई के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)9.66	272.40	232.08	(-)40.32	प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2458	सड़क सुरक्षा परिषद					
	ओ	11.75				मुख्यतः कार्यालय उपकरण और उपकरण
	आर	(-)1.75	10.00	2.20	(-)7.80	तथा टीई के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
3452	पर्यटन					
80	सामान्य					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
0244	नागरिक उड़डयन					
	ओ	1,800.94				मुख्यतः वेतन, रखरखाव व मरम्मत और
	आर	(-)206.08	1,594.86	1,140.38	(-)454.48	हेलीकॉप्टर के लिए ईंधन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
3	निम्नलिखित शीर्षा/ योजनाओं के अंतर्गत वर्ष के दौरान पूरा प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किए गए थे।					
शीर्ष					कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ
					(₹ लाख में)	
2055	पुलिस					
117	आंतरिक सुरक्षा					
0099	सामान्य					
0450	सामान्य प्रशासन विभाग				15.00	
0460	नागरिक उड़डयन विभाग				300.00	
3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएं					
090	सचिवालय					
0099	सामान्य					
0446	लद्दाख मामलों का विभाग				14.33	

अनुदान संख्या 1-(जारी)

4	राजस्व प्रभारित भाग में ₹ 3,065.57 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 695.36 लाख की अंतिम बचत हुई।					
5	मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई जिसके कारण सूचित (जुलाई 2023) नहीं किये गये।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
		(₹ लाख में)				
2012	राष्ट्रपति उप-राष्ट्रपति/ राज्यपाल संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक					
03	राज्यपाल/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक					
090	सचिवालय					
0099	सामान्य					
0461	सचिवालय					
	ओ	1,701.37			मुख्यतः वेतन, टीई, पीओएल और कार्यालय	
	आर	6.26	1,707.63	1,375.53	(-)332.10	उपकरण एवं उपकरणों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
2051	लोक सेवा आयोग					
102	राज्य लोक सेवा आयोग					
0099	सामान्य					
0439	राज्य लोक सेवा आयोग					
	ओ	1,364.20			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	(-)191.01	1,173.19	995.19	(-)178.00	कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
पूँजीगत अनुभाग						
6	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 20,658.64 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16,507.53 लाख की अंतिम बचत हुई।					
7	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
		(₹ लाख में)				
4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय					
60	अन्य भवन					
051	निर्माण					
0011	सामान्य					
0439	राज्य लोक सेवा आयोग					
	ओ	170.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	..	170.00	56.68	(-)113.32	कम व्यय
0516	सेवा चयन बोर्ड					
	ओ	1,800.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	..	1,800.00	562.40	(-)1,237.60	कम व्यय
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
0262	प्रबंधन एवं लोक प्रशासन संस्थान					
	ओ	100.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	..	100.00	68.84	(-)31.16	कम व्यय
0517	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो					
	ओ	3,800.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	(-)1,687.83	2,112.17	1,527.22	(-)584.95	कम व्यय

अनुदान संख्या 1-(समाप्त)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
4075	विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
0712	सूचना और प्रौद्योगिकी					
	ओ	7,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)5,662.00	1,338.00	755.80	(-)582.20	कम व्यय
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय					
80	सामान्य					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
0270	नागरिक उड़्डयन					
	ओ	3,500.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)137.98	3,362.02	900.17	(-)2,461.85	कम व्यय
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
0270	नागरिक उड़्डयन					
	ओ	1,500.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)1,000.00	500.00	280.01	(-)219.99	कम व्यय
8	निम्नलिखित शीर्ष/योजनाओं के अंतर्गत वर्ष के दौरान पूरा प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किए गए।					
शीर्ष					कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ
					(₹ लाख में)	
4075	विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय					
800	अन्य व्यय					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
0712	सूचना और प्रौद्योगिकी				2,788.64	

अनुदान संख्या 2- गृह विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2055 पुलिस

2056 कारावास

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
दत्तमत			
मूल	95,88,36,54		
अनुपूरक	1,76,30,78*	97,64,67,32	80,35,35,42
(-)17,29,31,90			
*पूँजीगत भाग से बचत के अभ्यर्पण से संवर्धित राशि को दर्शाता है।			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			
			...

पूजीगत-

मुख्य शीर्ष

4055 पुलिस पर पूजीगत परिव्यय

4059 लोक निर्माण पर पूजीगत परिव्यय

4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूजीगत परिव्यय

4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूजीगत परिव्यय

दत्तमत			
मूल	12,42,82,07		
अनुपूरक	..	12,42,82,07	2,67,41,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			
			5,80,13,46

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 9,76,467.32 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,72,931.90 लाख की अंतिम बचत हुई।
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये।

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(र लाख में)				
2055	पुलिस					
001	निदेशन और प्रशासन					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
2151	प्रवर्तन क्षमताओं का सुदृढीकरण					
	ओ	38.47				जीआईए के अन्तर्गत प्रावधान के प्रति कम
	एस	..	38.47	2.14	(-)36.33	व्यय
0099	सामान्य					
0758	सशस्त्र पुलिस					
	ओ	77,700.66				मुख्यतः वेतन, टीए के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)19,068.43	58,632.23	56,721.03	(-)1,911.20	अन्तर्गत कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0780	यातायात पुलिस					
	ओ	14,266.24				मुख्यतः वेतन, टीई और आरआरटी के
	आर	4,293.86	18,560.10	13,767.03	(-)4,793.07	संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय

अनुदान संख्या 2-(जारी)

शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
			(र लाख में)			
2055	पुलिस					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
0789	महानिदेशक पुलिस					
	ओ	28,934.88				मुख्यतः वेतन, टीई, आरआरटी और
	आर	(-)126.46	28,808.42	22,541.32	(-)6,267.10	एलटीसी के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
1318	अभियोजन					
	ओ	7,050.30				मुख्यतः वेतन, आरआरटी, ओई तथा
	आर	(-)276.98	6,773.32	5,333.95	(-)1,439.37	फर्नीचर व साज-सज्जा के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
003	शिक्षा एवं प्रशिक्षण					
0099	सामान्य					
0181	शिक्षा एवं प्रशिक्षण					
	ओ	8,462.58				मुख्यतः वेतन, टीए और एलटीसी के संबंध
	आर	5,590.87	14,053.45	7,850.32	(-)6,203.13	में प्रावधान के प्रति कम व्यय
101	आपराधिक जांच और सतर्कता					
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
2503	महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम					
	ओ	169.80				एमएण्डई के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	..	169.80	9.21	(-)160.59	
0099	सामान्य					
0764	अपराध अन्वेषण विभाग सीआईडी					
	ओ	18,826.64				मुख्यतः वेतन, टीई और एलटीसी के संबंध
	आर	4,412.49	23,239.13	18,113.03	(-)5,126.10	में प्रावधान के प्रति कम व्यय
0779	सीआईडी (अपराध)					
	ओ	10,786.57				मुख्यतः वेतन आरआरटी के संबंध में
	आर	1,433.61	12,220.18	9,087.12	(-)3,133.06	प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0785	सीआईडी वीआईपी सुरक्षा					
	ओ	7,553.39				मुख्यतः वेतन, टीई के संबंध में प्रावधान के
	आर	2,546.39	10,099.78	6,214.56	(-)3,885.22	प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
1357	सुरक्षा स्कंध					
	ओ	37,894.66				मुख्यतः वेतन, टीई और एलटीसी के संबंध
	आर	24,552.31	62,446.97	36,522.03	(-)25,924.94	में प्रावधान के प्रति कम व्यय
104	विशेष पुलिस					
0099	सामान्य					
1356	आई आर पी 9वीं बटालियन					
	ओ	1,22,591.79				मुख्यतः वेतन और टीई के संबंध में
	आर	1,516.05	1,24,107.84	1,08,197.85	(-)15,909.99	प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय

अनुदान संख्या 2-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(र लाख में)				
2055	पुलिस					
104	विशेष पुलिस					
0099	सामान्य					
1358	आई आर पी बटालियन					
	ओ	84,598.55				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)6,979.95	77,618.60	70,082.91	(-)7,535.69	कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
109	जिला पुलिस					
0099	सामान्य					
0754	कार्यकारी बल कश्मीर रेन्ज					
	ओ	1,92,906.38				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)14,217.38	1,78,689.00	1,61,705.34	(-)16,983.66	कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0778	कार्यकारी बल जम्मू रेन्ज					
	ओ	1,35,332.61				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	6,157.01	1,41,489.62	1,16,971.90	(-)24,517.72	कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
111	रेलवे पुलिस					
0099	सामान्य					
1320	रेलवे पुलिस					
	ओ	20,966.88				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	6,518.78	27,485.66	18,024.41	(-)9,461.25	कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
113	पुलिस कर्मिकों का कल्याण					
0099	सामान्य					
0732	पुलिस कर्मिकों का कल्याण					
	ओ	170.00				मुख्यतः जीआईए के संबंध में प्रावधान के
	एस	..	170.00	22.05	(-)147.95	प्रति कम व्यय
115	पुलिस बल का आधुनिकीकरण					
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
0750	पुलिस बल का आधुनिकीकरण					
	ओ	376.60				मुख्यतः जीआईए के संबंध प्रावधान के प्रति
	एस	..	376.60	83.80	(-)292.80	शून्य व्यय
0099	सामान्य					
0735	पुलिस अस्पतालों का उन्नयन					
	ओ	4,538.87				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	955.51	5,494.38	4,121.46	(-)1,372.92	कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
1333	पुलिस दूरसंचार का पुनर्गठन और आधुनिकीकरण					
	ओ	20,837.13				मुख्यतः वेतन दूरभाष के अंतर्गत प्रावधान
	आर	3,494.46	24,331.59	18,157.60	(-)6,173.99	के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय

अनुदान संख्या 2-(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(र लाख में)				
2055	पुलिस				
116	न्यायिक विज्ञान				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0727	न्यायिक विज्ञान लेबोरेटरी निदेशक एफएसएल जम्मू एवं कश्मीर				
	ओ	312.19			जीआईए के अंतर्गत प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	..	312.19	282.29	
0099	सामान्य				
0727	न्यायिक विज्ञान लेबोरेटरी निदेशक एफएसएल जम्मू एवं कश्मीर				
	ओ	1,862.73			मुख्यतः वेतन, पीओएल, एमएण्डआर के संबंध में प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
	आर	(-)371.58	1,491.15	1,168.18	
117	आंतरिक सुरक्षा				
0099	सामान्य				
0729	कारावास				
	ओ	4,333.00			मुख्यतः एमएण्डएस तथा एमएण्डई के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	..	4,333.00	4,077.10	
0957	आंतरिक सुरक्षा				
	ओ	98,479.00			मुख्यतः होटलों का किराया, मानदेय के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और संसद/ विधानसभा के चुनाव के अंतर्गत शून्य व्यय
	आर	4,263.80	1,02,742.80	80,617.08	
1057	प्रवासियों पर व्यय				
	ओ	450.57			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	(-)50.57	400.00	176.40	
2056	कारावास				
001	निदेशन और प्रशासन				
0099	सामान्य				
0312	निदेशन कार्यालय				
	ओ	485.07			मुख्यतः वेतन, टीई के अंतर्गत प्रावधान के प्रति कम और वाहन की खरीद, एलटीसी के संबंध में शून्य व्यय
	आर	(-)10.97	474.10	246.68	
101	कारावास				
0099	सामान्य				
0729	कारावास				
	ओ	14,052.45			मुख्यतः वेतन, आरआरटी के अंतर्गत प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
	आर	(-)2,668.34	11,384.11	8,935.61	
102	कारागार विनिर्माण				
0099	सामान्य				
0741	कारागार विनिर्माण				
	ओ	183.25			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
	आर	18.75	202.00	38.05	

अनुदान संख्या 2-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं					
105	विशेष जाँच आयोग					
0099	सामान्य					
0485	पी एस अधिनियम 78 के अंतर्गत परामर्शदात्री बोर्ड					
	ओ	152.61				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)22.11	130.50	110.96	(-)19.54	कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
106	नागरिक सुरक्षा					
0099	सामान्य					
0244	निदेशन और प्रशासन					
	ओ	873.95				मुख्यतः वेतन, एमएण्डई के अंतर्गत
	आर	(-)176.68	697.27	424.76	(-)272.51	प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
107	होम गार्ड					
0099	सामान्य					
1702	होम गार्डों का पुनः सक्रियकरण					
	ओ	2,775.88				मुख्यतः वेतन, एमएंडएस और प्रशिक्षण के
	आर	(-)178.03	2,597.85	1,980.39	(-)617.46	संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
2156	राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल					
	ओ	12,312.64				मुख्यतः वेतन, टीई और एलटीसी के संबंध
	आर	(-)209.73	12,102.91	11,368.76	(-)734.15	में प्रावधान के प्रति कम व्यय
108	आग सुरक्षा और नियंत्रण					
0099	सामान्य					
0749	अग्नि सुरक्षा और नियंत्रण					
	ओ	25,862.75				मुख्यतः वेतन, पीओएल, एमएंडई और एम
	आर	(-)3,651.75	22,211.00	19,634.36	(-)2,576.64	एण्ड आर के अंतर्गत प्रावधान के प्रति कम व्यय
2235	समाज सुरक्षा और कल्याण					
02	सामाजिक कल्याण					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
0244	निदेशन और प्रशासन					
	ओ	2,497.45				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)114.15	2,383.30	1,235.25	(-)1,148.05	प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
3	निम्नलिखित शीर्ष/योजना के अंतर्गत संपूर्ण प्रावधान पूरे वर्ष अप्रयुक्त रहा है; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।					
शीर्ष				कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ	
				(₹ लाख में)		
2055	पुलिस					
001	निदेशन एवं प्रशासन					
0099	सामान्य					
2395	पीड़ितों को प्रतिकर				200.00	

अनुदान संख्या 2-(जारी)

पूँजीगत अनुभाग						
4	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 1,24,282.07 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 97,540.73 लाख की अंतिम बचत हुई।					
5	निम्नलिखित शीर्षा/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय					
207	राज्य पुलिस					
0011	सामान्य					
0729	करावास					
	ओ	1,050.00				निर्माण कार्यों के घटक के अंतर्गत प्रावधान
	आर	2,030.00	3,080.00	746.37	(-)2,333.63	के प्रति कम व्यय
0740	आंतरिक सुरक्षा					
	ओ	28,000.00				निर्माण कार्यों के घटक के अंतर्गत प्रावधान
	आर	(-)9,119.56	18,880.44	9,137.70	(-)9,742.74	के प्रति कम व्यय
1158	आई आर पी बटालियन					
	ओ	6,000.00				निर्माण कार्यों के घटक के अंतर्गत प्रावधान
	आर	(-)3,178.93	2,821.07	483.11	(-)2,337.96	के प्रति कम व्यय
3322	पुलिस थानों का डिजिटलीकरण/ आधुनिकीकरण					
	ओ	7,000.00				निर्माण कार्यों के घटक के अंतर्गत प्रावधान
	आर	(-)1,900.00	5,100.00	900.01	(-)4,199.99	के प्रति कम व्यय
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
0704	पुलिस का आधुनिकीकरण					
	ओ	15,000.00				निर्माण कार्यों के घटक एवं एमएंडएस के
	आर	(-)11,556.07	3,443.93	2,873.93	(-)570.00	अंतर्गत प्रावधान के प्रति कम व्यय
214	सीमा प्रबंधन					
0011	सामान्य					
0740	आंतरिक सुरक्षा					
	ओ	10,000.00				निर्माण कार्यों के घटक के अंतर्गत प्रावधान
	आर	(-)1,800.00	8,200.00	2,272.30	(-)5,927.70	के प्रति कम व्यय
216	अन्य पुलिस संगठन					
0011	सामान्य					
0727	न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशक एफएसएल जम्मू एवं कश्मीर					
	ओ	2,108.18				निर्माण कार्यों के घटक के अंतर्गत प्रावधान
	आर	(-)1,054.09	1,054.09	48.07	(-)1,006.02	के प्रति कम व्यय
4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय					
60	अन्य भवन					
051	निर्माण					
0011	सामान्य					
0729	जेल/ कारावास					
	ओ	1,800.00				निर्माण कार्यों के घटक के अंतर्गत प्रावधान
	आर	(-)383.50	1,416.50	367.98	(-)1,048.52	के प्रति कम व्यय
2340	एनएफबी गृह					
	ओ	44,223.89				निर्माण कार्यों के घटक के अंतर्गत प्रावधान
	आर	(-)25,493.89	18,730.00	7,726.88	(-)11,003.12	के प्रति कम व्यय

अनुदान संख्या 2-(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(र लाख में)				
4059	लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय				
80	सामान्य				
052	मशीनरी और उपकरण				
0011	सामान्य				
0727	न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशक एफएसएल जम्मू एवं कश्मीर				
	ओ	200.00			निर्माण कार्यों के घटक के अंतर्गत प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	100.00	300.00	78.63	
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
0979	राज्य योजना अग्नि सेवाएं				
	ओ	1,000.00			निर्माण कार्यों के घटक के अंतर्गत प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	..	1,000.00	607.66	
6	बचत आंशिक रूप से निम्नलिखित शीर्ष/योजना के अंतर्गत आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित थी; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।				
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अभ्युक्तियाँ
		(र लाख में)			
4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय				
207	राज्य पुलिस				
0011	सामान्य				
0704	पुलिस का आधुनिकीकरण				
	ओ	1,000.00			निर्माण कार्यों के घटक के अंतर्गत प्रावधान के प्रति अधिक व्यय
	आर	(-)180.00	820.00	1,498.70	
7	पूरे वर्ष निम्नलिखित शीर्ष/योजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।				
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ	
			(र लाख में)		
4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय				
207	राज्य पुलिस				
0011	सामान्य				
0957	आंतरिक सुरक्षा			150.00	
4059	लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय				
60	अन्य भवन				
051	निर्माण				
0011	सामान्य				
3323	पुलिस आवासीय कॉलोनी			500.00	
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
2156	राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल			140.00	
4235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय				
02	सामाज कल्याण				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
0244	निर्देशन एवं प्रशासन			632.58	

अनुदान संख्या 3- योजना विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

3454 जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
दत्तमत			
मूल	1,54,67.06		
अनुपूरक	..	1,54,67.06	1,00,34.33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)54,32.73
			22,13.35

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत					
मूल	9,74,92,00				
अनुपूरक	..	9,74,92,00		4,52,30,40	(-)5,22,61,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					1,04,26,80
टीका एवं टिप्पणियाँ					
राजस्व अनुभाग					
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 15,467.06 लाख का प्रावधान, अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5,432.73 लाख की अंतिम बचत हुई।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।				
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)			
2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण				
01	पुनर्वास				
202	अन्य पुनर्वास योजनाएं				
0099	सामान्य				
1755	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजना				
	ओ	2,244.70			मुख्यतः वेतन और व्यावसायिक व विशेष
	आर	(-)290.70	1,954.00	1,644.93	(-)309.07
					सेवा शुल्क और कार्यालय व्यय के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय।
3454	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी				
02	सर्वेक्षण और सांख्यिकी				
112	आर्थिक सलाह और सांख्यिकी				
0099	सामान्य				
0557	नियोजन मशीनरी				
	ओ	5,974.77			मुख्यतः वेतन, ओई के संबंध में प्रावधान
	आर	(-)594.81	5,379.96	4,218.15	(-)1,161.81
					के प्रति कम और एलटीसी के संबंध में शून्य व्यय
0564	सर्वेक्षण और सांख्यिकी				
	ओ	3,423.95			मुख्यतः वेतन, पीओएल के संबंध में
	आर	(-)452.20	2,971.75	2,299.72	(-)672.03
					प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के संबंध में शून्य व्यय

अनुदान संख्या 3-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
3454	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी					
02	सर्वेक्षण और सांख्यिकी					
112	आर्थिक सलाह और सांख्यिकी					
0099	सामान्य					
0899	महत्वपूर्ण सांख्यिकी					
	ओ	327.41				मुख्यतः वेतन लेखन सामग्री व मुद्रण के
	आर	(-)1.21	326.20	206.41	(-)119.79	संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
1012	मार्केट इन्टेलीजेन्स का सुधार					
	ओ	243.22				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)22.67	220.55	164.92	(-)55.63	प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
201	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान					
0099	सामान्य					
1017	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण					
	ओ	897.37				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के
	आर	2.13	899.50	791.09	(-)108.41	प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
1023	सांख्यिकीय कार्मिक प्रशिक्षण					
	ओ	890.18				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के
	आर	239.37	1,129.55	420.80	(-)708.75	प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
205	राज्य सांख्यिकीय अभिकरण					
0099	सामान्य					
1019	मूल्यांकन मशीनरी					
	ओ	261.17				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के
	आर	14.83	276.00	229.97	(-)46.03	प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
1020	राज्य आय हेतु इकाई					
	ओ	90.10				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के
	आर	6.10	96.20	58.63	(-)37.57	प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
पूँजीगत अनुभाग						
3	पूँजीगत दत्तम खंड में ₹ 97,492.00 लाख का प्रावधान, अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 52,261.60 लाख की अंतिम बचत हुई।					
4	निम्नलिखित शीर्षा/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई, जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय					
60	अन्य भवन					
051	निर्माण					
0011	सामान्य					
0459	एनबीएफ योजना					
	ओ	1,600.00				निर्माण कार्य के संबंध में प्रावधान के
	एस	..	1,600.00	1,253.50	(-)346.50	प्रति कम व्यय

अनुदान संख्या 3-(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग (₹ लाख में)					वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
4235	सामाज सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय							
01	पुनर्वास							
201	अन्य पुनर्वास योजनाएं							
0011	सामान्य							
1755	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजनाएं							
	ओ	28,000.00					निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के	
	आर	7,000.00	35,000.00	21,719.61	(-)13,280.39		प्रति कम व्यय	
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय							
800	अन्य व्यय							
0011	सामान्य							
0553	सीमा क्षेत्र विकास उन्नयन अनुदान							
	ओ	8,920.00					निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	(-)4,780.00	4,140.00	3,217.17	(-)922.83		कम व्यय	
0557	नियोजन मशीनरी							
	ओ	13,000.00					निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	..	13,000.00	6,384.20	(-)6,615.80		कम व्यय	
0564	सर्वेक्षण और सांख्यिकी							
	ओ	1,192.00					निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	(-)126.80	1,065.20	157.48	(-)907.72		कम व्यय	
2154	नये जिलों का सृजन							
	ओ	1,000.00					निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	..	1,000.00	340.23	(-)659.77		कम व्यय	
2498	डीडीएस को संयुक्त निधियाँ							
	ओ	1,100.00					निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	..	1,100.00	753.49	(-)346.51		कम व्यय	
6003	समृद्धि सीमा योजना							
	ओ	..					निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	5,000.00	5,000.00	2,905.03	(-)2,094.97		कम व्यय	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं							
0553	सीमा क्षेत्र विकास उन्नयन अनुदान							
	ओ	30,780.00					निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	(-)9,780.00	21,000.00	8,499.69	(-)12,500.31		कम व्यय	
5	पूरे वर्ष निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।							
शीर्ष					कुल अनुदान/ विनियोग (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ		
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय							
800	अन्य व्यय							
0011	सामान्य							
2338	विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम				1,000.00			
2365	स्पेशल टास्क फोर्स परियोजना जम्मू				200.00			
2396	बाढ़ हेतु प्रधानमंत्री पैकेज				2,360.00			
2492	स्थायी पुनर्स्थापन				500.00			
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना							
2346	लघु सिंचाई सांख्यिकी				100.00			

अनुदान संख्या 4- सूचना विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2220 सूचना एवं प्रचार

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
दत्तमत			
मूल	1,31,95.38		
अनुपूरक	..	1,31,95.38	1,04,98.34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)26,97.04
			11,43.95

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4220 सूचना एवं प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत					
मूल	1,00,47.70				
अनुपूरक	..	1,00,47.70	3.67		(-)1,00,44.03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					50,00.00
टीका एवं टिप्पणियाँ					
राजस्व अनुभाग					
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 13,195.38 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2,697.04 लाख की अंतिम बचत हुई।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
2220	सूचना एवं प्रचार				
60	अन्य				
001	निदेशन और प्रशासन				
0099	सामान्य				
0815	संयुक्त निदेशक कश्मीर				
	ओ	210.32			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)46.25	164.07	136.95	(-)27.12 संबंध में और आरआरटी के प्रति शून्य व्यय
0828	संयुक्त निदेशक जम्मू				
	ओ	178.12			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	1.15	179.27	137.60	(-)41.67 कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0835	निदेशन कार्यालय				
	ओ	10,558.96			मुख्यतः वेतन, टीई, एमई व बाह्यस्रोतन के
	आर	(-)532.44	10,026.52	8,958.72	(-)1,067.80 संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
102	सूचना केन्द्र				
0099	सामान्य				
0816	जिला सूचना केन्द्र				
	ओ	2,141.53			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)548.12	1,593.41	1,215.60	(-)377.81 कम व्यय
0817	सूचना ब्यूरो नई दिल्ली				
	ओ	106.45			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)18.29	88.16	51.82	(-)36.34 कम व्यय

अनुदान संख्या-4 (समाप्त)

पूँजीगत अनुभाग

3	पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 10,047.70 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10,044.03 लाख की अंतिम बचत हुई।				
4	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये।				
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)			
4220	सूचना एवं प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय				
60	अन्य				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
1238	सूचना पर पूँजीगत परिव्यय				
	ओ	10,047.70			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)5,000.00	5,047.70	3.67	(-)5,044.03 कम व्यय

अनुदान संख्या 5- खनन विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2853 अलौह खनन धातुकर्म उद्योग

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
दत्तमत			
मूल	..		
अनुपूरक	..		
पुनः विनियोजन/अभ्यर्पित	..	..	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4853 अलौह खनन धातुकर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत				
मूल	..			
अनुपूरक	..			
पुनः विनियोजन/अभ्यर्पित	..	..	..	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका एवं टिप्पणियाँ				

अनुदान संख्या 6- विद्युत विकास विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2801 विद्युत

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(र हजार में)		
दत्तमत			
मूल	63,10,51,27		
अनुपूरक	..	63,10,51,27	27,68,73,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)35,41,77,60
			19,06,00,89

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4801 विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत					
मूल	24,57,58,01				
अनुपूरक	..	24,57,58,01	7,22,45,52		(-)17,35,12,49
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					3,82,54,37
टीका एवं टिप्पणियाँ					
राजस्व अनुभाग					
1	राजस्व दत्तमत अनुभाग में र 6,31,051.27 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप र 3,54,177.60 लाख की अंतिम बचत हुई।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(र लाख में)				
2801	विद्युत				
01	जल विद्युत उत्पादन				
101	विद्युत का क्रय				
0099	सामान्य				
1306	जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम				
	ओ	5,01,285.68			विद्युत के क्रय के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)1,92,429.70	3,08,855.98	1,48,916.72	(-)1,59,939.26 प्रति कम व्यय
05	संचारण और वितरण				
001	निर्देशन और प्रशासन				
0099	सामान्य				
1307	जम्मू विद्युत वितरण निगम				
	ओ	49,793.32			जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	1,206.68	51,000.00	49,792.99	(-)1,207.01 व्यय
1308	कश्मीर विद्युत वितरण निगम				
	ओ	60,277.15			जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	982.85	61,260.00	60,164.60	(-)1,095.40 व्यय
1309	जम्मू एण्ड कश्मीर पॉवर ट्रांसमिशन निगम				
	ओ	18,504.98			जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	(-)164.26	18,340.72	17,307.08	(-)1,033.64 व्यय

अनुदान संख्या 6-(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2801	विद्युत				
80	सामान्य				
001	निदेशन और प्रशासन				
0099	सामान्य				
1686	एफ ए विद्युत परियोजना संगठन				
	ओ	360.76			वेतन, टीई, पीओएल और ओई के संबंध में
	आर	(-)82.75	278.01	222.62	(-)55.39 प्रावधान के प्रति कम व्यय
80	सामान्य				
005	अन्वेषण				
0099	सामान्य				
2170	निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण, निरीक्षण और कमिशनिंग				
	ओ	829.38			वेतन और प्रशिक्षण के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)113.71	715.67	559.19	(-)156.48 प्रति कम व्यय
पूँजीगत अनुभाग					
3	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 2,45,758.01 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,73,512.49 लाख की अंतिम बचत हुई।				
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय				
05	संचारण और वितरण				
001	निदेशन और प्रशासन				
0011	सामान्य				
1307	जम्मू वितरण निगम				
	ओ	50,000.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	1,780.09	51,780.09	23,881.37	(-)27,898.72 कम व्यय
1308	कश्मीर वितरण निगम				
	ओ	34,175.23			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)53.58	34,121.65	19,370.41	(-)14,751.24 कम व्यय
1309	जम्मू एण्ड कश्मीर पॉवर ट्रांसमिशन निगम				
	ओ	40,000.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	40,000.00	14,658.72	(-)25,341.28 कम व्यय
1400	पीएमडीपी के अन्तर्गत परियोजनाएँ				
	ओ	11,200.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	5,362.00	16,562.00	8,091.01	(-)8,470.99 कम व्यय
3316	कश्मीर वितरण निगम (पावर कट्स और स्मार्ट मीटर)				
	ओ	650.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	650.00	450.00	(-)200.00 कम व्यय
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
0478	संचारण और वितरण				
	ओ	700.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	700.00	101.86	(-)598.14 कम व्यय

अनुदान संख्या-6 (समाप्त)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ
		(र लाख में)				
4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय					
05	संचारण और वितरण					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
3318	संचारण और वितरण अनुदान (पीएमआरपी)					
	ओ	67.78				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	6,195.12	6,262.90	5,692.15	(-)570.75	कम व्यय
5	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष के दौरान पूरा प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष				कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ	
				(र लाख में)		
4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय					
01	जल विद्युत उत्पादन					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
2021	उत्पादन (जनन)			16,000.00		
05	संचारण और वितरण					
001	निर्देशन एवं प्रशासन					
0011	सामान्य					
3315	जम्मू पावर्स डिस्कोम (पावर कट व स्मार्ट मीटर)			650.00		
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
1307	जम्मू पावर्स डिस्कोम			20,100.00		
1308	कश्मीर पावर्स डिस्कोम			20,427.00		
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
0250	सर्वेक्षण व अन्वेषण			250.00		

अनुदान संख्या 7- शिक्षा विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2202 सामान्य शिक्षा

2204 खेल और युवा सेवाएं

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
दत्तमत			
मूल	1,08,88,36,88		
अनुपूरक	1,28,98,05*	1,10,17,34,93	94,44,51,99
(-)15,72,82,94			
*पूँजीगत भाग से बचत के अभ्यर्पण से संवर्धित राशि को दर्शाता है।			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			
..			

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत						
मूल	9,44,40,52					
अनुपूरक	..	9,44,40,52		4,62,51,37		(-),4,81,89,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि						3,45,89,51
टीका एवं टिप्पणियाँ						
राजस्व अनुभाग						
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 11,01,734.93 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,57,282.94 लाख की अंतिम बचत हुई।					
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित (जुलाई 2023) नहीं किया गया था।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
		(₹ लाख में)				
2202	सामान्य शिक्षा					
01	प्रारंभिक शिक्षा					
101	राजकीय प्राथमिक विद्यालय					
0099	सामान्य					
0254	निदेशक विद्यालयी शिक्षा जम्मू (प्राथमिक बाल विद्यालय)					
	ओ	2,20,056.36				मुख्यतः वेतन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, विद्युत
	आर	40,555.28	2,60,611.64	2,46,832.35	(-)13,779.29	शुल्क, आरआरटी के संबंध में प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
104	निरीक्षण					
0099	सामान्य					
0214	निदेशक शिक्षा कश्मीर					
	ओ	2,42,350.55				मुख्यतः वेतन, ओई, आरआरटी के संबंध में
	आर	25,054.84	2,67,405.39	2,59,536.98	(-)7,868.41	प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
112	विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम					
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
1030	मध्याह्न भोजन					
	ओ	16,200.00				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	(-)1,301.10	14,898.90	14,516.23	(-)382.67	व्यय
0099	सामान्य					
1030	मध्याह्न भोजन					
	ओ	1,800.00				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	16.89	1,816.89	1,195.38	(-)621.51	व्यय

अनुदान संख्या 7-(जारी)

शीर्ष	अनुदान संख्या 7-(जारी)				अभ्युक्तिताँ
	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)		
	(र लाख में)				
2202	सामान्य शिक्षा				
02	माध्यमिक शिक्षा				
001	निदेशन और प्रशासन				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
2442	समग्र				
	ओ	91,722.00			जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	2,745.53	94,467.53	35,860.43	(-)58,607.10 व वेतन के अंतर्गत शून्य व्यय
0099	सामान्य				
0214	शिक्षा निदेशक, कश्मीर				
	ओ	2,47,103.92			मुख्यतः वेतन विद्युत शुल्कों के संबंध में
	आर	(-)35,138.92	2,11,965.00	2,07,341.03	(-)4,623.97 प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0274	शिक्षा निदेशक, जम्मू				
	ओ	2,42,139.26			मुख्यतः वेतन विद्युत शुल्कों, आरआरटी के
	आर	(-)17,759.40	2,24,379.86	2,07,755.94	(-)16,623.92 संबंध में प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2442	समग्र				
	ओ	11,000.00			जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	915.36	11,915.36	3,699.59	(-)8,215.77 व्यय
107	छात्रवृत्तियाँ				
0099	सामान्य				
0241	सैनिक विद्यालय, नगरोटा				
	ओ	700.00			जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	(-)2.30	697.70	656.21	(-)41.49 व्यय
0243	सैनिक विद्यालय मानसबल				
	ओ	875.00			जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	एस	..	875.00	729.04	(-)145.96 व्यय
109	राजकीय माध्यमिक विद्यालय				
0099	सामान्य				
1057	प्रवासियों पर व्यय				
	ओ	7,983.29			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	306.88	8,290.17	7,571.20	(-)718.97 कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
80	सामान्य				
003	प्रशिक्षण				
0099	सामान्य				
0271	राज्य शिक्षा संस्थान कश्मीर				
	ओ	530.67			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	100.00	630.67	463.37	(-)167.30 कम व्यय और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रति शून्य व्यय
0277	राज्य शिक्षा संस्थान जम्मू				
	ओ	525.18			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	100.00	625.18	480.83	(-)144.35 कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
107	छात्रवृत्तियाँ				
0099	सामान्य				
2436	बेटी अनमोल				
	ओ	360.00			मुख्यतः जीआईए के संबंध में प्रावधान के
	आर	300.00	660.00	268.52	(-)391.48 प्रति कम व्यय

अनुदान संख्या 7-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
2204	खेल और युवा सेवाएं					
102	छात्रों हेतु युवा कल्याण कार्यक्रम					
0099	सामान्य					
0954	राष्ट्रीय कैडेट कोर					
	ओ	2,260.05				मुख्यतः वेतन, कैप सेमिनार और सम्मेलन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
	आर	(-)393.10	1,866.95	1,441.08	(-)425.87	
3	पूरे वर्ष निम्नलिखित शीर्ष/योजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।					
शीर्ष				कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ	
				(₹ लाख में)		
2202	सामान्य शिक्षा					
02	माध्यमिक शिक्षा					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
2356	खंड विकास परिषद			9.00		
800	अन्य व्यय					
0099	सामान्य					
0876	वित्तीय सहायता			60.00		
04	वयस्क शिक्षा					
200	अन्य वयस्क शिक्षा कार्यक्रम					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
1428	वयस्क शिक्षा			447.65		
0099	सामान्य					
1428	वयस्क शिक्षा			49.74		
पूँजीगत अनुभाग						
4	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 94,440.52 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 48,189.15 लाख की अंतिम बचत हुई।					
5	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित (जुलाई 2023) नहीं किया गया था।					
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
			(₹ लाख में)			
4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय					
01	सामान्य शिक्षा					
201	प्रारंभिक शिक्षा					
0011	सामान्य					
0244	निदेशन और प्रशासन					
	ओ	45.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	..	45.00	33.74	(-)11.26	

अनुदान संख्या 7-(समाप्त)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(र लाख में)				
4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय					
01	सामान्य शिक्षा					
201	प्रारंभिक शिक्षा					
0632	प्रारंभिक शिक्षा					
	ओ	4,112.04				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	4,112.04	2,891.33	(-)1,220.71	कम व्यय
202	माध्यमिक शिक्षा					
0011	सामान्य					
0149	माध्यमिक शिक्षा					
	ओ	17,483.48				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	17,483.48	10,069.88	(-)7,413.60	कम व्यय
0902	विद्यालयों में अवसंरचनात्मक/ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा					
	ओ	3,500.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	3,500.00	1,688.84	(-)1,811.16	कम व्यय
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
0987	अध्यापक शिक्षा					
	ओ	800.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	800.00	265.49	(-)534.51	कम व्यय
2442	समग्र					
	ओ	7,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)3,608.95	3,391.05	3,130.39	(-)260.66	कम व्यय
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
2442	समग्र					
	ओ	60,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)29,480.56	30,519.44	28,171.70	(-)2,347.74	कम व्यय

अनुदान संख्या 8- वित्त विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2030 स्टाम्प और पंजीकरण

2039 राज्य उत्पाद शुल्क

2040 बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर

2043 राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार

2045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क

2047 अन्य राजकोषीय सेवाएं

2048 ऋण की कमी एवं परिहार्य हेतु विनियोजन

2049 ब्याज भुगतान

2054 राजकोष और लेखा प्रशासन

2071 पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

2075 विविध सामान्य सेवाएं

2235 समाज सुरक्षा और कल्याण

3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	1,08,40,70,49		
अनुपूरक	33,71,58,01*	1,42,12,28,50	1,19,52,31,96
*पूँजीगत दत्तमत भाग से बचत के समर्पण से ₹ 27,34,52,12 हजार अनुपूरक और ₹ 6,37,05,89 हजार संवर्धित सम्मिलित हैं।			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
प्रभारित			
मूल	74,24,68,00		
अनुपूरक	16,51,08,50*	90,75,76,50	84,93,82,22
*पूँजीगत प्रभारित भाग से बचत के अभ्यर्पण से संवर्धित राशि को दर्शाता है।			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

6003 राज्य सरकार के आंतरिक ऋण

6004 केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम

6235 सामाज सुरक्षा एवं कल्याण हेतु ऋण

6885 उद्योगों एवं खनिजों को अन्य ऋण

दत्तमत			
मूल	14,44,80,00		
अनुपूरक	..	14,44,80,00	3,51,79,98
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			6,37,04,89
प्रभारित			
मूल	3,27,20,87,00		
अनुपूरक	..	3,27,20,87,00	3,40,66,90,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			16,90,58,00
टीका एवं टिप्पणियाँ			
राजस्व अनुभाग			
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 2,73,452.12 लाख का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2,25,996.54 लाख की अंतिम बचत हुई।		

अनुदान संख्या 8-(जारी)

2	निम्नलिखित शीर्षा/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारणों को सूचित (जुलाई 2023) नहीं किया गया था।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2030	स्टाम्प एवं पंजीकरण					
01	स्टाम्प न्यायिक					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
0344	राज्य स्टाम्प विभाग					
	ओ	804.33				मुख्यतः वेतन, प्रतिदाय के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	90.00				
	आर	(-)140.22	754.11	528.59	(-)225.52	
2039	राज्य उत्पाद शुल्क					
01	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
0344	आयुक्त कार्यालय					
	ओ	6,944.79				मुख्यतः वेतन, एमआर, प्रशिक्षण और कार्यालय उपकरण और उपकरणों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	10,135.04				
	आर	(-)12,767.72	4,312.11	3,865.49	(-)446.62	
2040	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
0334	आयुक्त कार्यालय					
	ओ	1,500.00				प्रतिदाय के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	(-)500.00	1,000.00	65.94	(-)934.06	
800	अन्य व्यय					
0099	सामान्य					
1429	बिक्री कर अधिकरण					
	ओ	187.42				मुख्यतः वेतन और पीओएल के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	18.86				
	आर	(-)10.80	195.48	119.46	(-)76.02	
2043	राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
0334	आयुक्त कार्यालय					
	ओ	60,031.02				मुख्यतः वेतन, टीई, विद्युत शुल्कों, राज्य अंश और एलटीसी के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	10,030.04				
	आर	(-)1,438.77	68,622.29	52,328.59	(-)16,293.70	
2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं					
103	लघु बचतों का प्रोत्साहन					
0099	सामान्य					
0293	निदेशक वित्त					
	ओ	1,667.00				मुख्यतः मानदेय, प्रशिक्षण व अप्रयुक्त स्टेशनरी, प्रिंटिंग और बाह्य स्त्रोत के प्रति कम व्यय
	एस	115.00				
	आर	(-)1,361.50	420.50	160.75	(-)259.75	
2354	युवा मिशन					
	ओ	3,200.00				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	..	3,200.00	1,061.38	(-)2,138.62	

अनुदान संख्या 8-(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(र लाख में)				
2054	कोषागार और लेखा प्रशासन				
003	प्रशिक्षण				
0099	सामान्य				
0328	लेखाविधि प्रशिक्षण विद्यालय, श्रीनगर				
	ओ	549.33			मुख्यतः वेतन और वृत्तिका तथा छात्रवृत्ति के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	2.04			
	आर	(-)178.24	373.13	134.00	
0329	उत्तरी ज़ोन लेखाविधि प्रशिक्षण विद्यालय, जम्मू				
	ओ	734.06			मुख्यतः एमएंडआर और प्रशिक्षण के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	5.24			
	आर	(-)253.19	486.11	281.91	
095	लेखा एवं राजकोष निदेशालय				
0099	सामान्य				
0312	लेखा एवं राजकोष निदेशालय				
	ओ	1,017.31			मुख्यतः वेतन, पेशावर और विशेष सेवा शुल्क के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	50.67	1,067.98	800.20	
0316	लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण निदेशालय				
	ओ	1,324.85			मुख्यतः वेतन टीई और विद्युत शुल्कों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	22.80			
	आर	(-)180.18	1,167.47	1,017.49	
0326	निदेशक लेखा एवं राजकोष, कश्मीर				
	ओ	394.93			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	0.06			
	आर	(-)49.78	345.21	290.35	
2430	निदेशक लेखा एवं राजकोष, जम्मू				
	ओ	561.10			मुख्यतः वेतन और विद्युत शुल्कों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	0.50			
	आर	(-)34.49	527.11	467.02	
097	राजकोष स्थापना				
0099	सामान्य				
0324	मुफासिल राजकोष, कश्मीर				
	ओ	2,507.03			मुख्यतः वेतन और अप्रयुक्त एलटीसी, फर्नीचर तथा साज- सज्जा के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	22.77			
	आर	(-)56.39	2,473.41	2,131.26	
0335	जिला राजकोष कश्मीर				
	ओ	2,231.65			मुख्यतः वेतन और अप्रयुक्त एलटीसी के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	22.01			
	आर	(-)129.36	2,124.30	1,706.36	
2431	जिला राजकोष जम्मू				
	ओ	2,001.02			मुख्यतः वेतन, आरआरटी और अप्रयुक्त एलटीसी के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	42.15			
	आर	(-)158.58	1,884.59	1,481.61	
2432	मुफासिल राजकोष जम्मू				
	ओ	2,287.68			मुख्यतः वेतन, ओई, एवं अप्रयुक्त एलटीसी के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	9.13			
	आर	(-)177.65	2,119.16	1,793.36	
098	स्थानीय निधि लेखापरीक्षा				
0099	सामान्य				
0314	स्थानीय निधि लेखापरीक्षा संगठन				
	ओ	863.29			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	25.25			
	आर	(-)49.06	839.48	764.93	

अनुदान संख्या 8-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
2054	कोषागार और लेखा प्रशासन					
800	अन्य व्यय					
0099	सामान्य					
0310	मंडल निधि कार्यालय जम्मू/ श्रीनगर					
	ओ	740.28				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	6.15				
	आर	(-)129.13	617.30	512.32	(-)104.98	
0312	निधि संगठन निदेशालय					
	ओ	619.83				मुख्यतः वेतन और टीई के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	11.75				
	आर	(-)74.86	556.72	493.36	(-)63.36	
1190	जिला निधि कार्यालय					
	ओ	6,712.62				मुख्यतः वेतन, संचालन, परिवहन शुल्क और अप्रयुक्त एलटीसी के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	19.55				
	आर	(-)1,543.67	5,188.50	4,322.62	(-)865.88	
2071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ					
01	नागरिक					
101	अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते					
0099	सामान्य					
2190	वित्त सचिव					
	ओ	5,75,011.55				पेंशन लाभों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	2,62,525.15				
	आर	12,468.05	8,50,004.75	6,92,552.95	(-)1,57,451.80	
104	उपदान					
0099	सामान्य					
2190	वित्त सचिव					
	ओ	1,16,600.00				पेंशन लाभों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	15,992.42	1,32,592.42	1,25,118.83	(-)7,473.59	
105	परिवार पेंशन					
0099	सामान्य					
2190	वित्त सचिव					
	ओ	24,500.00				पेंशन लाभों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	5,500.00	30,000.00	25,950.26	(-)4,049.74	
111	विधायकों को पेंशन					
0099	सामान्य					
2190	वित्त सचिव					
	ओ	1,200.00				पेंशन लाभों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	100.00	1,300.00	1,179.50	(-)120.50	
115	छुट्टी नगदीकरण लाभ					
0099	सामान्य					
2190	वित्त सचिव					
	ओ	66,354.37				पेंशन लाभों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	17,572.48	83,926.85	73,992.88	(-)9,933.97	
117	परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान					
0099	सामान्य					
2327	सरकार का अंशदान					
	ओ	1,06,307.00				पेंशन प्रभारों (एनपीएस) के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	14,420.24	1,20,727.24	1,00,200.70	(-)20,526.54	

अनुदान संख्या 8-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण					
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम					
102	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन योजना					
0099	सामान्य					
0313	जमा लिंक बीमा योजना					
	ओ	93.00				आरआरटी के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	23.10	116.10	17.44	(-)98.66	कम व्यय
105	सरकारी कर्मचारी बीमा योजना					
0099	सामान्य					
0323	समूह बीमा हेतु राज्य का अंशदान					
	ओ	2,400.00				आरआरटी के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	900.00	3,300.00	460.05	(-)2,839.95	कम व्यय
107	स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना					
0099	सामान्य					
0965	स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों इत्यादि को पेंशन					
	ओ	300.00				पेंशन लाभों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	300.00	1.98	(-)298.02	कम व्यय
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं					
115	अवसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहयोग					
0099	सामान्य					
1880	अवसंरचना विकास					
	ओ	250.00				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	एस	..	250.00	77.20	(-)172.80	व्यय
3	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण अधिकता हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय		अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
2071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ					
01	नागरिक					
102	पेंशन का संराशीकृत मूल्य					
0099	सामान्य					
2190	वित्त सचिव					
	ओ	88,000.00				पेंशन लाभों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	6,000.00	94,000.00	97,684.80	(+)3,684.80	अधिक व्यय
4	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण प्रावधान पूरे वर्ष अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।					
शीर्ष					कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ
					(₹ लाख में)	
2075	विविध सामान्य सेवाएं					
103	राज्य लॉटरियाँ					
0099	सामान्य					
0317	पुनः प्राप्त जागीरों के बदले में पेंशन				14.50	
2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण					
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम					
102	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन					
0099	सामान्य					
0668	वित्त सचिव				300.00	

अनुदान संख्या 8-(जारी)

5	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।				
शीर्ष				वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
				(₹ लाख में)	
2030	स्टाम्प एवं पंजीकरण				
01	न्यायिक स्टाम्प				
101	निदेशन एवं प्रशासन				
0099	सामान्य				
1657	न्यायिक		14.04		
02	स्टाम्प गैर-न्यायिक				
101	स्टाम्प की लागत				
0099	सामान्य				
1658	गैर-न्यायिक		2.41		
1660	विशेष आसंजक		6.67		
2075	विविध सामान्य सेवाएं				
104	विशिष्ट सेवाओं के फलस्वरूप पेंशन और पुरस्कार				
0099	सामान्य				
0975	विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफलस्वरूप पेंशन और पुरस्कार		27.11		
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण				
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम				
104	जमा संबंधित बीमा योजना - सरकार				
0099	सामान्य				
0313	जमा लिक बीमा योजना		41.75		
6	यद्यपि मुख्य शीर्ष 2075-विविध सामान्य सेवाएँ-797 आरक्षित निधि में स्थानांतरण के तहत आरक्षित निधि के हस्तांतरण हेतु अलग से प्रावधान वर्णित नहीं है तथापि ₹ 100.00 लाख की राशि मुख्य शीर्ष 8235-117-प्रत्याभूति मोचन निधि को हस्तांतरित किया गया है				
7	राजस्व प्रभारित भाग में ₹ 9,07,576.50 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 58,194.28 लाख की अंतिम बचत हुई।				
8	मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में आधिक्य हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये ।				
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)			
2049	ब्याज भुगतान				
01	आंतरिक ऋण पर ब्याज				
115	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अभिमतों पर ब्याज				
0099	सामान्य				
9901	भारतीय रिजर्व बैंक(ओडी) से ओवरड्राफ्ट				
	ओ	1,000.00			ब्याज के संबंध में प्रावधान के प्रति अधिक व्यय
	आर	(-)100.00	900.00	1,082.80	
200	अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज				
0099	सामान्य				
2121	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)				
	ओ	7,000.00			ब्याज के संबंध में प्रावधान के प्रति अधिक व्यय
	आर	280.00	7,280.00	7,300.61	
2694	यूडीएवाई बंध-पत्रों पर ब्याज				
	ओ	27,490.00			ब्याज के संबंध में प्रावधान के प्रति अधिक व्यय
	आर	(-)1,390.00	26,100.00	26,586.78	
05	संचित निधियों पर ब्याज				
105	सामान्य एवं अन्य संचित निधियों पर ब्याज				
0099	सामान्य				
0185	अन्य बाध्यताओं पर ब्याज				
	ओ	2,566.00			ब्याज के संबंध में प्रावधान के प्रति अधिक व्यय
	एस	..	2,566.00	7,183.20	

अनुदान संख्या 8-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(र लाख में)				
9	मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई है, जिसके कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये।					
2049 ब्याज भुगतान						
01 आंतरिक ऋण पर ब्याज						
101 बाजार ऋणों पर ब्याज						
0099 सामान्य						
0191 बाजार ऋणों पर ब्याज						
	ओ	..				ब्याज के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	3,86,100.00	3,86,100.00	3,86,075.29	(-)24.71	व्यय
115 भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थापाय अग्रिमों पर ब्याज						
0099 सामान्य						
9899 भारतीय रिज़र्व बैंक से सामान्य अर्थापाय अग्रिमों						
	ओ	4,440.00				ब्याज के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	(-)440.00	4,000.00	3,650.82	(-)349.18	व्यय
200 अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज						
0099 सामान्य						
0186 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई)						
	ओ	13,500.00				ब्याज के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	(-)5,300.00	8,200.00	8,081.68	(-)118.32	व्यय
0302 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम						
	ओ	23,200.00				ब्याज के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	54,266.00	77,466.00	41,363.33	(-)36,102.67	व्यय
3007 विद्युत वित्त निगम						
	ओ	65,000.00				ब्याज के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	44,070.00	1,09,070.00	86,561.91	(-)22,508.09	व्यय
60 अन्य बाध्यताओं पर ब्याज						
701 विविध						
0099 सामान्य						
1885 ब्याज जेकेआईडीएफसी						
	ओ	50,600.00				ब्याज के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	(-)22,600.00	28,000.00	23,800.00	(-)4,200.00	व्यय

अनुदान संख्या 8-(जारी)

10	पूरे वर्ष निम्नलिखित शीर्ष/योजनाओं के अंतर्गत पूरे प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया; जिनके कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2023]।				
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ	
			(₹ लाख में)		
2049	ब्याज भुगतान				
01	आंतरिक ऋण पर ब्याज				
101	बाजार ऋणों पर ब्याज				
0099	सामान्य				
3005	प्लवनशीलता प्रभार		150.00		
04	केंद्रीय सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज				
101	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र योजना के लिए ऋणों पर ब्याज				
0099	सामान्य				
0723	केंद्र सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज		4,633.00		
11	प्रभारित भाग में निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया, इस संबंध में कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये।				
शीर्ष			वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ	
			(₹ लाख में)		
2049	ब्याज भुगतान				
01	आंतरिक ऋणों पर ब्याज				
200	बाजार ऋणों पर ब्याज				
0099	सामान्य				
3005	प्लवनशीलता प्रभार		116.47		
305	प्रबंधन ऋण				
0099	सामान्य				
3004	ऋण प्रबंधन पर ब्याज		1,174.03		
04	केंद्र सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज				
101	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र योजना के लिए ऋणों पर ब्याज				
0099	सामान्य				
1871	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए सहायता		420.82		
109	12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित राज्य योजना ऋणों पर ब्याज				
0099	सामान्य				
1920	अन्य समेकित ऋण		2,670.98		
112	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल सहित) योजनाओं के लिए अन्य ऋणों पर ब्याज				
0099	सामान्य				
1871	बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु सहायता		1,541.49		
12	राज्य भविष्य निधि तथा राज्य बीमा निधि का विस्तृत लेखा संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुरक्षित किए जाता है। राज्य भविष्य निधि तथा राज्य बीमा निधि पर ब्याज क्रमशः ₹ 1,83,196.04 लाख तथा ₹ 7,814.64 लाख की सीमा तक संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा तदर्थ आधार पर ₹ 1,84,350.00 लाख और ₹ 8,000.00 लाख के बजट आंकलन के प्रति लेखाओं में समायोजित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य शीर्ष 2049- ब्याज भुगतान के अंतर्गत क्रमशः ₹ 1,153.96 लाख और ₹ 185.36 लाख की बचत हुई।				
पूँजीगत अनुभाग					
13	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹1,44,480.00 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,09,300.02 लाख की अंतिम बचत हुई।				
14	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।				
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ	
		(₹ लाख में)			
4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय				
80	सामान्य				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
2341	एनएफबी वित्त				
	ओ	3,510.00		निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय	
	आर	(-)459.89	3,050.11		
			1,511.87	(-)1,538.24	

अनुदान संख्या 8-(जारी)

शीर्ष	अनुदान संख्या 8-(जारी)				अभ्युक्तियाँ
	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)		
	(₹ लाख में)				
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय				
115	आधारभूत विकास हेतु वित्तीय सहायता				
0011	सामान्य				
0906	डीडीसी-बीडीसी निधि				
	ओ	27,125.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	27,125.00	21,579.71	(-)5,545.29 कम व्यय
2354	युवा मिशन				
	ओ	16,800.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	16,800.00	1,107.22	(-)15,692.78 कम व्यय
2358	गाँव की ओर लौटो (बैंक टू विलेज)				
	ओ	10,000.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)7,500.00	2,500.00	1,170.34	(-)1,329.66 कम व्यय
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
1304	आधुनिकीकरण और अवसंरचना विकास				
	ओ	38,055.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)18,055.00	20,000.00	3,796.84	(-)16,203.16 कम व्यय
8085	बैंक				
	ओ	20,000.00			राज्य अंश के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)10,000.00	10,000.00	5,814.00	(-)4,186.00 कम व्यय
6885	उद्योगों और खनिजों को अन्य ऋण				
01	उद्योगों एवं वित्तीय संस्थानों को ऋण				
190	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण				
0099	सामान्य				
1211	सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को सहायता				
	ओ	1,490.00			सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को
	आर	(-)690.00	800.00	200.00	(-)600.00 ऋणों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
15	पूरे वर्ष के दौरान निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत पूरा प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।				
शीर्ष				कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ
				(₹ लाख में)	
6235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण हेतु ऋण				
02	समाज कल्याण				
190	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण				
0099	सामान्य				
0668	वित्त सचिव			500.00	

अनुदान संख्या 8-(जारी)

16	पूँजीगत प्रभारित भाग में ₹ 32,72,087.00 लाख का प्रावधान अल्प सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप इसमें ₹ 1,34,603.71 लाख की वृद्धि हुई। इस भाग में ₹ 1,69,058.00 लाख के अभ्यर्पण के परिणामस्वरूप ₹ 3,03,661.71 लाख की अंतिम अधिकता हुई जिसके नियमितीकरण करने की आवश्यकता है।					
17	पूँजीगत प्रभारित भाग में मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत बचत हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
		(₹ लाख में)				
6003	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण					
101	बाजार ऋण					
0099	सामान्य					
0161	व्याज वहन वाले बाजार ऋण					
	ओ	2,16,044.00			आंतरिक ऋणों के संबंध में प्रावधान के	
	आर	(-)1,024.00	2,15,020.00	2,15,000.00	(-)20.00	प्रति कम व्यय
105	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण					
0099	सामान्य					
0186	एनएबीएआरडी (नबार्ड) से ऋण					
	ओ	39,000.00			आंतरिक ऋणों के संबंध में प्रावधान के	
	आर	1,000.00	40,000.00	39,966.73	(-)33.27	प्रति कम व्यय
109	अन्य संस्थानों से ऋण					
0099	सामान्य					
0302	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड से ऋण					
	ओ	3,000.00			आंतरिक ऋण के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	99,612.00	1,02,612.00	1,674.53	(-)1,00,937.47	कम व्यय
110	भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम					
0099	सामान्य					
2420	अर्थोपाय पुनर्भुगतान					
	ओ	29,20,000.00			आंतरिक ऋण के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	(-)3,20,000.00	26,00,000.00	19,05,547.00	(-)6,94,453.00	कम व्यय
6004	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम					
02	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की प्लान योजनाओं हेतु ऋण					
101	ब्लॉक ऋण					
0099	सामान्य					
0848	ईएपी ऋण					
	ओ	12,002.00			आंतरिक ऋण के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	(-)1.00	12,001.00	2,970.59	(-)9,030.41	कम व्यय
18	पूरे वर्ष के दौरान निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत पूरा प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष				कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ	
				(₹ लाख में)		
6003	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण					
106	क्षतिपूर्ति तथा बंध-पत्रों					
0099	सामान्य					
2140	पावर बंध-पत्रों/ (यूडीएवाई)			35,376.00		
109	अन्य संस्थानों से ऋण					
0099	सामान्य					
0159	राष्ट्रीय लघु बचत निधि			84,865.00		

अनुदान संख्या 8-(समाप्त)

19	निम्नलिखित शीर्षा/योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिये कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।		
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)	
6003	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण		
101	बाजार ऋण		
0099	सामान्य		
0162	ऋण वहन नहीं करने वाले बाजार ऋण	1.00	
104	भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण		
0099	सामान्य		
0300	भारतीय सामान्य बीमा निगम और उसकी सहायक कंपनियों से ऋण	20.00	
106	क्षतिपूर्ति और अन्य बंधपत्र		
0099	सामान्य		
9902	यूडीएवाई बंध-पत्र	35,375.50	
109	अन्य संस्थानों से ऋण		
0099	सामान्य		
3007	पावर वित्त निगम से ऋण	1,000.00	
110	भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थापय अग्रिम		
0099	सामान्य		
9901	आरबीआई से ओवरड्राफ्ट	10,98,086.53	
111	केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रत्याभूतियाँ		
0099	सामान्य		
0159	राष्ट्रीय लघु बचत निधि	84,864.50	
6004	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम		
02	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की प्लान योजनाओं हेतु ऋण		
105	12वें वित्त आयोग की समेकित सिफारिशों के संदर्भ में राज्य योजना ऋण		
0099	सामान्य		
1920	अन्य समेकित ऋण	8,903.26	
09	विधानमण्डल युक्त राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों हेतु अन्य ऋण		
101	ब्लॉक ऋण		
0099	सामान्य		
0848	ईएपी ऋण	126.76	

अनुदान संख्या 9- संसदीय मामले विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2011 राज्य विधानमण्डल

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
दत्तमत				
मूल	57,81,90			
अनुपूरक	..	57,81,90	23,63,18	(-)34,18,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				23,01,95
प्रभारित				
मूल	87,10			..
अनुपूरक	..	87,10	..	(-)87,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				87,10
पूँजीगत-				
मुख्य शीर्ष				
7610 सरकारी सेवकों इत्यादि को ऋण				
दत्तमत				
मूल	4,00,00			..
अनुपूरक	..	4,00,00	..	(-)4,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				4,00,00
टीका एवं टिप्पणियाँ				
राजस्व अनुभाग				
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 5,781.90 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3,418.72 लाख की अंतिम बचत हुई।			
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।			
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-) अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)		
2011	राज्य विधानमण्डल			
02	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल			
103	विधायी सचिवालय			
0099	सामान्य			
0891	जम्मू और कश्मीर विधान सभा सचिवालय			
	ओ	3,577.00		मुख्यतः वेतन टीई, ओई एमएण्डआर के
	आर	(-)97.05	3,479.95	संबंध में प्रावधान के प्रति कम और
			2,363.39	एलटीसी व मानदेय के प्रति शून्य व्यय
			(-)1,116.56	

अनुदान संख्या 10- विधि विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2014 न्याय प्रशासन

2015 चुनाव

2030 स्टाम्प एवं पंजीकरण

2041 वाहनों पर कर

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2230 श्रम एवं रोजगार

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	6,37,10,64		
अनुपूरक	43,67,31	6,80,77,95	3,09,91,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)3,70,86,53
प्रभारित			
मूल	81,39,00		
अनुपूरक	15,11,00	96,50,00	62,36,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)34,13,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत			
मूल	1,22,00,00		
अनुपूरक	..	1,22,00,00	49,50,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)72,49,16
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियाँ			
राजस्व अनुभाग			
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 4,367.31 लाख का अनुपूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 63,710.64 लाख के मूल प्रावधान के स्तर तक भी व्यय नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 37,086.53 लाख की अंतिम बचत हुई।		
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।		
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)
			अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)		
2014	न्याय प्रशासन		
102	उच्च न्यायालय		
0099	सामान्य		
0495	उच्च न्यायालय		
	ओ	2,395.00	
	एस	93.45	
	आर	(-)5.00	2,483.45
			1,361.88
			(-)1,121.57
103	विशेष न्यायालय		
0099	सामान्य		
0889	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण		
	ओ	2,000.00	
	एस	..	2,000.00
			1,800.00
			(-)200.00

मुख्यतः टीई, एलटीसी, विद्युत शुल्क,

प्रशिक्षण के संबंध में प्रावधान के प्रति

कम और बाह्यस्रोतों के रखरखाव के प्रति

जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम

व्यय

अनुदान संख्या 10-(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(र लाख में)				
2014	न्याय प्रशासन				
103	विशेष न्यायालय				
0099	सामान्य				
2351	सीबीआई हेतु विशेष न्यायालय				
	ओ	157.60			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)32.00	125.60	108.27	(-)17.33 कम व्यय
105	सिविल और सत्र न्यायालय				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0488	जिला और सत्र न्यायाधीश				
	ओ	220.00			मुख्यतः जीआईए के संबंध में प्रावधान के
	एस	212.00	432.00	158.00	(-)274.00 प्रति कम व्यय
0099	सामान्य				
0488	जिला और सत्र न्यायाधीश				
	ओ	29,163.50			मुख्यतः वेतन, टीई, ओई, के संबंध में
	एस	4,061.86			प्रावधान के प्रति कम व्यय एवं एलटीसी के
	आर	1,604.14	34,829.50	19,924.15	(-)14,905.35 प्रति शून्य व्यय
1243	टीएडीए न्यायालय अस्थायी न्यायालय				
	ओ	119.42			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)5.27	114.15	78.32	(-)35.83 कम व्यय
114	विधिक सलाहकार और परामर्शदाता				
0099	सामान्य				
0499	महाधिवक्ता				
	ओ	1,740.32			मुख्यतः वेतन और आरआरटी के संबंध में
	आर	(-)498.00	1,242.32	843.16	(-)399.16 प्रावधान के प्रति कम व्यय
1248	लोक अभियोजक				
	ओ	472.50			मुख्यतः वेतन और जीआईए के संबंध में
	आर	(-)125.75	346.75	14.08	(-)332.67 प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2427	राज्य एवं जिला अभियोग नीति				
	ओ	2,357.58			मुख्यतः ओई तथा जीआईए के संबंध में
	आर	(-)215.86	2,141.72	1,378.85	(-)762.87 प्रावधान के प्रति कम व्यय
116	राज्य प्रशासनिक अधिकरण				
0099	सामान्य				
1251	एम ए सी टी जम्मू				
	ओ	109.68			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	5.00	114.68	88.32	(-)26.36 कम व्यय
2015	चुनाव				
102	निर्वाचन अधिकारी				
0099	सामान्य				
0493	मुख्य निर्वाचन अधिकारी				
	ओ	23,399.69			मुख्यतः वेतन, ईवीएमों और चुनावों/
	आर	(-)605.34	22,794.35	4,805.49	(-)17,988.86 ईपीआईसी के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
800	अन्य व्यय				
0099	सामान्य				
0507	विधि विभाग				
	ओ	..			मुख्यतः चुनावों के संबंध में प्रावधान के
	आर	150.00	150.00	66.54	(-)83.46 प्रति कम व्यय

अनुदान संख्या 10-(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2030	स्टाम्प एवं पंजीकरण				
03	पंजीकरण				
001	निदेशन और प्रशासन				
0099	सामान्य				
0244	निदेशन और प्रशासन				
	ओ	147.53			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	19.13	166.66	122.07	(-)44.59 कम व्यय
2041	वाहनों पर कर				
800	अन्य व्यय				
0099	सामान्य				
0506	राज्य परिवहन अपीलीय न्यायालय/ एमएसीटी श्रीनगर				
	ओ	113.35			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)2.25	111.10	92.30	(-)18.80 कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं				
800	अन्य व्यय				
0099	सामान्य				
0495	उच्च न्यायालय				
	ओ	434.37			मुख्यतः वेतन ओई के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)108.47	325.90	95.75	(-)230.15 प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2230	श्रम एवं रोजगार				
01	श्रम				
101	औद्योगिक संबंध				
0099	सामान्य				
0888	औद्योगिक अधिकरण न्यायालय/ श्रम न्यायालय				
	ओ	145.92			मुख्यतः वेतन, टीई के संबंध में प्रावधान के
	आर	10.55	156.47	106.19	(-)50.28 प्रति कम व्यय और फर्नीचर व साज-सज्जा के प्रति शून्य व्यय
3	निम्नलिखित शीर्षा/योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष के दौरान पूरा प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिये कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग			अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
2014	न्याय प्रशासन				
105	सिविल और सत्र न्यायालय				
0099	सामान्य				
2459	दिल्ली अदालत			543.30	
4	राजस्व प्रभारित भाग में ₹1,511.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 8,139.00 लाख के मूल प्रावधान के स्तर तक भी व्यय नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3,413.83 लाख की अंतिम बचत हुई।				

अनुदान संख्या 10-(समाप्त)

5	मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
2014	न्याय प्रशासन					
102	उच्च न्यायालय					
0099	सामान्य					
0495	उच्च न्यायालय					
	ओ	8,139.00				मुख्यतः वेतन और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	1,511.00	9,650.00	6,236.17	(-)3,413.83	
पूँजीगत अनुभाग						
6	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 12,200.00 लाख का प्रावधान ₹ 7,249.16 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक सिद्ध हुआ।					
7	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय					
60	अन्य भवन					
051	निर्माण					
0011	सामान्य					
0495	जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय					
	ओ	8,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	..	8,000.00	3,690.84	(-)4,309.16	
0031	केन्द्र प्रायोजित योजना					
0495	जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय					
	ओ	4,200.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	..	4,200.00	1,260.00	(-)2,940.00	

अनुदान संख्या 11- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2851 ग्राम और लघु उद्योग

2853 अलौह खनन और धात्विक उद्योग

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(र हजार में)			
दत्तमत			
मूल	4,47,18,45		
अनुपूरक	..	4,47,18,45	3,41,14,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)1,06,04,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			15,47,05

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4851 ग्राम और लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

4852 लौह एवं इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

4853 अलौह खनन और धात्विक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

6885 उद्योग एवं खनिजों को अन्य ऋण

दत्तमत			
मूल	5,55,80,00		
अनुपूरक	..	5,55,80,00	1,43,20,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)4,12,59,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			97,40,86

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 44,718.45 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10,604.00 लाख की अंतिम बचत हुई।
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई, जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
(र लाख में)				
2851	ग्राम और लघु उद्योग			
001	निर्देशन और प्रशासन			
0099	सामान्य			
0812	निर्देशन कार्यालय उद्योग			
	ओ	535.61		मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)45.20	490.41	कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0884	हस्तशिल्प तथा हस्तकरघा जम्मू			
	ओ	7,032.16		मुख्यतः वेतन विज्ञापन तथा प्रचार के
	आर	(-)1,566.60	5,465.56	संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और
			3,787.52	एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0894	हस्तशिल्प तथा हस्तकरघा कश्मीर			
	ओ	15,139.26		मुख्यतः वेतन आरआरटी वृत्तिका व
	आर	(-)2,940.85	12,198.41	छात्रवृत्ति के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
			10,277.73	व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
			(-)1,920.68	

अनुदान संख्या 11-(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(र लाख में)				
2851	ग्राम और लघु उद्योग				
001	निदेशन और प्रशासन				
0099	सामान्य				
2202	निदेशक उद्योग जम्मू				
	ओ	500.36			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	371.00	871.36	658.10	(-)213.26 कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
101	औद्योगिक संपदा				
0099	सामान्य				
0808	औद्योगिक संपदा गाँधीनगर				
	ओ	89.25			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	4.00	93.25	67.89	(-)25.36 कम व्यय
0810	औद्योगिक संपदा, अनंतनाग				
	ओ	35.03			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)8.95	26.08	10.99	(-)15.09 कम व्यय
0811	औद्योगिक संपदा बारजुला श्रीनगर				
	ओ	73.71			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)2.40	71.31	47.16	(-)24.15 कम व्यय
1590	ग्रामीण और शहरी औद्योगिक संपदा, कश्मीर				
	ओ	116.39			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)29.54	86.85	41.68	(-)45.17 कम व्यय
2188	ग्रामीण और शहरी औद्योगिक संपदा, जम्मू				
	ओ	76.52			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)9.52	67.00	46.71	(-)20.29 कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
102	लघु उद्योग				
0099	सामान्य				
0407	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग सी.एस.टी./ जी.एस.टी.				
	ओ	151.56			मुख्यतः वेतन, विद्युत शुल्कों के संबंध में
	आर	(-)27.33	124.23	74.00	(-)50.23 प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0408	डी आई सी योजनाएं, कश्मीर				
	ओ	3,630.76			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)750.56	2,880.20	1,973.12	(-)907.08 कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0796	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र				
	ओ	344.00			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)85.60	258.40	198.86	(-)59.54 कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0798	फुटवियर और चमड़े की वस्तुओं का प्रदर्शन, कश्मीर				
	ओ	122.42			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)21.67	100.75	84.33	(-)16.42 कम व्यय

अनुदान संख्या 11-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(र लाख में)				
2851	ग्राम और लघु उद्योग					
102	लघु उद्योग					
0099	सामान्य					
0806	केन्द्रीय बाजार					
	ओ	35.65				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	4.85	40.50	28.49	(-)12.01	कम व्यय
0807	निर्माण-सह-उत्पादन केन्द्र कठुआ					
	ओ	68.79				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)17.62	51.17	31.80	(-)19.37	कम व्यय
0809	ग्रामीण शिल्पकार कार्यक्रम					
	ओ	275.35				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)60.25	215.10	169.26	(-)45.84	कम व्यय
1907	बुनाई (निटिंग) प्रशिक्षण केन्द्र, कश्मीर					
	ओ	213.92				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)40.22	173.70	136.66	(-)37.04	कम व्यय
2270	बुनाई (निटिंग) प्रशिक्षण केन्द्र, जम्मू					
	ओ	410.78				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)105.78	305.00	158.17	(-)146.83	कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2271	डी आई सी योजनाएं, जम्मू					
	ओ	2,568.00				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)588.30	1,979.70	1,621.03	(-)358.67	कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
103	हथकरघा उद्योग					
0099	सामान्य					
0814	यूएनडीपी परियोजना नौशेरा, श्रीनगर					
	ओ	459.95				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)116.85	343.10	286.05	(-)57.05	कम व्यय
105	खादी एवं ग्रामोद्योग					
0099	सामान्य					
0802	सहायता अनुदान, अंशदान और सहायिकी					
	ओ	3,700.00				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	(-)600.00	3,100.00	2,700.20	(-)399.80	व्यय
2853	अलौह खनन एवं धात्विक उद्योग					
02	खानों का विनियमन और विकास					
001	निर्देशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
0244	निर्देशन और प्रशासन					
	ओ	7,130.86				मुख्यतः वेतन, एमएण्डएस, आरआरटी,
	आर	5,091.75	12,222.61	11,265.52	(-)957.09	पेशावर तथा विशेष सेवा प्रभागों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय

अनुदान संख्या 11-(जारी)

3	निम्नलिखित शीर्ष/योजना के अंतर्गत पूरे वर्ष संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।				
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		अभ्युक्तियाँ	
		(र लाख में)			
2851	ग्राम एवं लघु उद्योग				
003	प्रशिक्षण				
0099	सामान्य				
2196	ई.डी.आई.	2,000.00			
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बजटीय प्रावधान के बिना व्यय किया गया; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।				
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		अभ्युक्तियाँ	
		(र लाख में)			
2851	ग्राम एवं लघु उद्योग				
103	हथकरघा उद्योग				
0099	सामान्य				
0244	निदेशन एवं प्रशासन	23.07			
104	हस्तशिल्प उद्योग				
0099	सामान्य				
0805	हस्तशिल्प निदेश एवं प्रशासन एवं अधीनस्थ कार्यालय	8.22			
पूँजीगत अनुभाग					
5	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 55,580.00 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 41,259.80 लाख की अंतिम बचत हुई।				
6	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।				
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(र लाख में)			
4851	ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय				
102	लघु पैमाना उद्योग				
0011	सामान्य				
0407	सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम				
	ओ	30,800.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)9,700.00	21,100.00	2,384.60	(-)18,715.40 कम व्यय
103	हथकरघा उद्योग				
0011	सामान्य				
0399	हथकरघा विकास निगम				
	ओ	690.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)525.00	165.00	152.50	(-)12.50 कम व्यय
104	हस्तशिल्प उद्योग				
0011	सामान्य				
0383	हस्तशिल्प निगम उद्योग				
	ओ	620.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	620.00	317.50	(-)302.50 कम व्यय

अनुदान संख्या 11-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(र लाख में)				
4851	ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय					
104	हस्तशिल्प उद्योग					
0011	सामान्य					
0884	हस्तशिल्प तथा हथकरघा जम्मू					
	ओ	1,950.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)213.50	1,736.50	915.45	(-)821.05	कम व्यय
0894	हस्तशिल्प तथा हथकरघा कश्मीर					
	ओ	3,150.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	3,150.00	2,429.67	(-)720.33	कम व्यय
105	खादी एवं ग्रामोद्योग					
0011	सामान्य					
0365	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता					
	ओ	3,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	26.00	3,026.00	2,240.00	(-)786.00	कम व्यय
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
2196	ई.डी.आई.					
	ओ	700.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	700.00	119.52	(-)580.48	कम व्यय
2346	जम्मू एवं कश्मीर उद्योग					
	ओ	1,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	1,000.00	232.50	(-)767.50	कम व्यय
4852	लौह एवं इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय					
02	विनिर्माण					
190	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश					
0011	सामान्य					
0711	एसआईडीसीओ में निवेश					
	ओ	600.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	150.00	750.00	305.82	(-)444.18	कम व्यय
1224	एसआईसीओपी					
	ओ	400.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)105.00	295.00	123.27	(-)171.73	कम व्यय
4853	अलौह खनन और धात्विक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय					
01	खनिज समन्वेषण और विकास					
190	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश					
0011	सामान्य					
0977	भूविज्ञान और खनन					
	ओ	200.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	200.00	96.68	(-)103.32	कम व्यय

अनुदान संख्या 11-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(र लाख में)				
6885	उद्योगों एवं खनिजों को अन्य ऋण					
01	औद्योगिक वित्तीय संस्थानों को ऋण					
190	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण					
0099	सामान्य					
1211	सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को सहायता					
	ओ	5,500.00				सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को
	आर	2,000.00	7,500.00	5,002.69	(-),2,497.31	ऋण के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
7	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष के दौरान पूरा प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष				कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ	
				(र लाख में)		
4851	ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय					
102	लघु उद्योग					
0011	सामान्य					
0798	फुटवियर एवं चमड़े का सामान				20.00	
1880	अवसंरचना विकास				2,500.00	
2469	एम. आई. आई. यू. एस. / एम. एस. ई. सी. डी. पी.				705.50	
0031	केंद्र प्रायोजित स्कीम					
0798	फुटवियर एवं चमड़े का सामान				100.00	
2469	एम. आई. आई. यू. एस. / एम. एस. ई. सी. डी. पी.				1,771.14	
4853	अलौह खनन और धात्विक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय					
01	खनिज अन्वेषण एवं विकास					
190	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश					
001	सामान्य					
0377	जम्मू एवं कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड				500.00	

अनुदान संख्या-12- कृषि विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2401 कृषिकर्म

2406 वानिकी और वन्य जीवन

2415 कृषि अनुसंधान और शिक्षा

2705 कमान क्षेत्र विकास

2851 ग्राम एवं लघु उद्योग

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	13,39,36,18		
अनुपूरक	..	13,39,36,18	11,79,40,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)1,59,96,17
			64,91,71

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4401 कृषिकर्म पर पूँजीगत परिव्यय

4402 मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय

4406 वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय

4415 कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय

4705 कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय

4851 ग्राम एवं लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत			
मूल	14,96,03,55		
अनुपूरक	..	14,96,03,55	2,35,05,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)12,60,98,04
			7,07,72,67
टीका एवं टिप्पणियाँ			

राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 1,33,936.18 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15,996.17 लाख की अंतिम बचत हुई।				
2	मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।				
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)			
2401	कृषिकर्म				
001	निदेशन और प्रशासन				
0099	सामान्य				
0039	निदेशक कृषि (जम्मू)				
	ओ	32,139.29			मुख्यतः वेतन, आरआरटी के संबंध में
	आर	(-)2,567.20	29,572.09	26,334.40	(-)3,237.69 प्रावधान के प्रति कम व्यय तथा एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0043	निदेशक कृषि, कश्मीर				
	ओ	35,701.21			मुख्यतः वेतन आरआरटी के संबंध में
	आर	(-)4,173.75	31,527.46	27,897.41	(-)3,630.05 प्रावधान के प्रति कम व्यय तथा एलटीसी के प्रति शून्य व्यय

अनुदान संख्या 12- (जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(र लाख में)				
2401	कृषिकर्म					
119	उद्यान कृषि और सब्जी फसलें					
0099	सामान्य					
1485	एनएईपी					
	ओ	78.41				मुख्यतः वेतन तथा एलटीसी के संबंध में
	आर	(-)8.65	69.76	43.90	(-)25.86	प्रावधान के प्रति कम व्यय
2325	किसानों के विकास हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य सलाहकार बोर्ड					
	ओ	189.08				मुख्यतः वेतन, ओई के संबंध में प्रावधान
	आर	(-)7.49	181.59	117.61	(-)63.98	के प्रति कम व्यय तथा एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2406	वानिकी और वन्य जीवन					
02	पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन					
112	सार्वजनिक उद्यान					
0099	सामान्य					
1136	पुष्प-कृषि निदेशालय कश्मीर					
	ओ	7,798.02				मुख्यतः वेतन, एमआर और बह्यस्रोतों व
	आर	(-)441.21	7,356.81	7,023.57	(-)333.24	अतिरिक्तता के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
2203	प्रांतीय तथा जिला कार्यालय					
	ओ	3,254.67				मुख्यतः एम एंड एस, एमआर के संबंध में
	आर	80.31	3,334.98	3,285.00	(-)49.98	प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी और वाहन के क्रय पर शून्य व्यय
2415	कृषि अनुसंधान और शिक्षा					
80	सामान्य					
120	अन्य संस्थानों को सहायता					
0099	सामान्य					
0040	एसकेयूएसटी कश्मीर					
	ओ	27,500.00				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	1,215.21	28,715.21	27,900.00	(-)815.21	व्यय
0060	एसकेयूएसटी जम्मू					
	ओ	11,400.00				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	1,600.00	13,000.00	12,774.94	(-)225.06	व्यय
2705	कमान क्षेत्र विकास					
602	कमान क्षेत्र कश्मीर					
0099	सामान्य					
0116	कमान क्षेत्र विकास निदेशालय (कश्मीर)					
	ओ	951.21				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)95.25	855.96	743.08	(-)112.88	कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय

अनुदान संख्या 12-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
2705	कमान क्षेत्र विकास					
603	कमान क्षेत्र जम्मू					
0099	सामान्य					
0095	कमान क्षेत्र विकास निदेशालय (जम्मू)					
	ओ	3,151.50				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)551.69	2,599.81	2,254.34	(-)345.47	कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2851	ग्राम एवं लघु उद्योग					
107	रेशम उत्पादन उद्योग					
0099	सामान्य					
0416	निदेशक रेशम उत्पादन जम्मू एवं कश्मीर					
	ओ	11,612.79				मुख्यतः वेतन एमएण्डएस के संबंध में
	आर	(-)1,381.99	10,230.80	9,595.30	(-)635.50	प्रावधान के प्रति कम व्यय तथा एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
3	निम्नलिखित शीर्षा/योजनाओं के अंतर्गत बजटीय प्रावधान के बिना व्यय किया गया था; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।					
शीर्ष					वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
					(₹ लाख में)	
2401	कृषिकर्म पर पूँजीगत परिव्यय					
119	बागवानी और शाक फसलें					
0099	सामान्य					
0048	शाक विकास (कश्मीर मंडल)				1.01	
2851	ग्राम एवं लघु उद्योग					
102	लघु उद्योग					
0099	सामान्य					
0091	मधुमक्खी पालन का विकास (कश्मीर मंडल)				6.36	
पूँजीगत अनुभाग						
4	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 1,49,603.55 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 126,098.04 लाख की अंतिम बचत हुई।					
5	निम्नलिखित शीर्षा/योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
4401	कृषिकर्म पर पूँजीगत परिव्यय					
001	निर्देशन एवं प्रशासन					
0011	सामान्य					
0897	नबार्ड ऋण					
	ओ	30,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)24,000.00	6,000.00	2,256.40	(-)3,743.60	कम व्यय

अनुदान संख्या 12-(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(र लाख में)				
4401	कृषिकर्म पर पूँजीगत परिव्यय				
103	बीज				
0031	केन्द्र प्रायोजित योजना				
2221	तिलहन विकास				
	ओ	350.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	5,050.00	5,400.00	45.75	(-)5,354.25 कम व्यय
0099	सामान्य				
0327	बीजों की खरीद (कश्मीर)				
	ओ	1,404.00			बीजों के क्रय के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	1,404.00	1,231.90	(-)172.10 कम व्यय
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
0039	कृषि निदेशक (जम्मू)				
	ओ	3,902.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	436.00	4,338.00	2,647.16	(-)1,690.84 शून्य व्यय
0061	कृषि निदेशक (कश्मीर)				
	ओ	4,106.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	437.00	4,543.00	3,020.05	(-)1,522.95 शून्य व्यय
2440	राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम				
	ओ	8,050.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	8,050.00	1,696.66	(-)6,353.34 शून्य व्यय
8054	जम्मू कश्मीर एगो उद्योग निगम				
	ओ	640.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)440.00	200.00	193.75	(-)6.25 शून्य व्यय
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
2297	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना				
	ओ	8,000.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	15,753.75	23,753.75	287.50	(-)23,466.25 शून्य व्यय
800	अन्य व्यय				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
2393	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन				
	ओ	6,000.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)5,491.80	508.20	138.47	(-)369.73 शून्य व्यय
2417	कृषि, विस्तार और प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय मिशन				
	ओ	12,700.00			निर्माण और बीजों के क्रय के संबंध में
	आर	(-)9,900.00	2,800.00	648.83	(-)2,151.17 प्रावधान के प्रति शून्य व्यय
4406	वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय				
02	पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन				
112	सार्वजनिक उद्यान				
0011	सामान्य				
1136	पुष्पकृषि निदेशालय				
	ओ	1,500.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)196.15	1,303.85	1,058.31	(-)245.54 कम व्यय

अनुदान संख्या 12-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)			
4406	वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय				
02	पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन				
112	सार्वजनिक उद्यान				
0011	सामान्य				
2203	पुष्प-कृषि निदेशक (जम्मू)				
	ओ	1,300.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)103.85	1,196.15	825.63	(-)370.52 कम व्यय
4415	कृषि अनुसंधान व शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय				
80	सामान्य				
277	शिक्षा				
0011	सामान्य				
0032	कृषि विश्वविद्यालय (जम्मू)				
	ओ	2,582.62			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	183.38	2,766.00	2,098.04	(-)667.96 कम व्यय
0056	कृषि विश्वविद्यालय (कश्मीर)				
	ओ	2,560.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)194.00	2,366.00	1,405.87	(-)960.13 कम व्यय
4705	कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय				
602	कमान क्षेत्र कश्मीर				
0011	सामान्य				
0116	कमान क्षेत्र विकास का निदेशालय (कश्मीर)				
	ओ	1,300.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	1,300.00	1,115.73	(-)184.27 कम व्यय
603	कमान क्षेत्र जम्मू				
0011	सामान्य				
0095	कमान क्षेत्र विकास का निदेशालय (जम्मू)				
	ओ	1,200.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	1,200.00	855.59	(-)344.41 कम व्यय
4851	ग्राम एवं लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय				
107	रेशम उत्पादन उद्योग				
0011	सामान्य				
1202	रेशम उत्पादन				
	ओ	1,570.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	142.35	1,712.35	729.60	(-)982.75 कम व्यय
2114	रेशम उत्पाद उद्योग विकास हेतु राष्ट्रीय योजना				
	ओ	45.43			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	37.50	82.93	45.36	(-)37.57 कम व्यय

अनुदान संख्या 12-(समाप्त)

6	निम्नलिखित शीर्षा/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष के दौरान संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।		
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)	
4401	कृषिकर्म पर पूँजीगत परिव्यय		
001	निदेशन एवं प्रशासन		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
0244	निदेशन एवं प्रशासन	100.00	
102	खाद्यान्न फसलें		
0011	सामान्य		
0898	एथी प्रसंस्करण जोन्स (फूड कलस्टर पार्क)	2,500.00	
105	खाद और उर्वरक		
0099	सामान्य		
0232	जिला कृषि (जम्मू)	10.00	
113	कृषि अभियांत्रिकी		
0031	सामान्य		
0054	उन्नत कृषि उपकरण	1,000.00	
800	अन्य व्यय		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2416	संधारणीय कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन	100.00	
2449	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	2,200.00	
4402	मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय		
101	मृदा सर्वेक्षण एवं जांच		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
0016	मृदा सर्वेक्षण कश्मीर	250.00	
4851	ग्राम एवं लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय		
107	रेशम उत्पाद उद्योग		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2114	रेशम उत्पाद उद्योग विकास हेतु राष्ट्रीय योजना	546.65	
7	निम्नलिखित शीर्षा/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये ।		
शीर्ष		वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)	
4401	कृषिकर्म पर पूँजीगत परिव्यय		
119	उद्यान कृषि एवं शाक फसलें		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2381	राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन	5.23	

अनुदान संख्या 13- पशु/ भेड़ पालन विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2403 पशुपालन

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
दत्तमत			
मूल	7,22,21,01		
अनुपूरक	..	7,22,21,01	5,88,36,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)1,33,84,60
			46,55,25

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय

4404 डेयरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत						
मूल	2,66,10,00					
अनुपूरक	..		2,66,10,00		1,10,81,28	(-)1,55,28,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि						22,23,63
टीका एवं टिप्पणियाँ						
राजस्व अनुभाग						
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 72,221.01 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13,384.60 लाख की अंतिम बचत हुई।					
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
		(₹ लाख में)				
2403	पशुपालन					
001	निर्देशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
0138	भेड़ पालन, कश्मीर					
	ओ	14,756.05				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)971.43	13,784.62	12,155.94	(-)1,628.68	कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0195	भेड़ पालन, जम्मू					
	ओ	12,561.04				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)1,711.25	10,849.79	9,312.47	(-)1,537.32	कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0844	निदेशक पशु पालन, कश्मीर					
	ओ	24,453.28				मुख्यतः वेतन, बाह्यस्रोतन/ अतिरिक्तता के
	आर	989.91	25,443.19	22,089.81	(-)3,353.38	संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2062	निदेशक पशुपालन, कश्मीर					
	ओ	20,450.64				मुख्यतः वेतन और एलटीसी के प्रति शून्य
	आर	(-)2,962.48	17,488.16	15,294.84	(-)2,193.32	के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय

अनुदान संख्या 13-(समाप्त)

पूँजीगत अनुभाग						
3	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 26,610.00 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ परिणामस्वरूप ₹ 15,528.72 लाख की अंतिम बचत हुई।					
4	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
		(₹ लाख में)				
4403	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय					
101	पशु चिकित्सा सेवा और पशु स्वास्थ्य					
0011	सामान्य					
0138	भेड़ पालन कश्मीर (निदेशक भेड़ पालन कश्मीर)					
	ओ	4,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)855.70	3,144.30	1,963.69	(-)1,180.61	कम व्यय
0195	भेड़ पालन, जम्मू					
	ओ	3,500.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)1,557.93	1,942.07	1,207.02	(-)735.05	कम व्यय
0844	निदेशक पशुपालन कश्मीर					
	ओ	6,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	100.00	6,100.00	2,919.71	(-)3,180.29	कम व्यय
2062	निदेशक पशुपालन जम्मू					
	ओ	5,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	150.00	5,150.00	3,114.44	(-)2,035.56	कम व्यय
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
1469	एकीकृत नमूना सर्वेक्षण					
	ओ	200.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	200.00	29.42	(-)170.58	कम व्यय
1925	पशु रोग नियंत्रण					
	ओ	3,500.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	3,500.00	1,847.00	(-)1,653.00	कम व्यय
5	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष के दौरान पूरा प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ			
4403	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय					
101	पशु चिकित्सा सेवा और पशु स्वास्थ्य					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
2499	राष्ट्रीय पशुधन मिशन			4,300.00		
104	भेड़ एवं ऊन विकास					
0011	सामान्य					
1499	भेड़ विकास बोर्ड			50.00		

अनुदान संख्या 14-राजस्व विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2030 स्टाम्प और पंजीकरण

2053 जिला प्रशासन

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

2250 अन्य समाज सेवाएं

2401 कृषिकर्म

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(र हजार में)			
दत्तमत			
मूल	9,06,72,38		
अनुपूरक	..	9,06,72,38	5,81,94,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)3,24,77,93
			67.95,35

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत						
मूल		93,50,00				
अनुपूरक		..	93,50,00		15,19,05	(-)78,30,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि						46,64,82
टीका एवं टिप्पणियाँ						
राजस्व अनुभाग						
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 90,672.38 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 32,477.93 लाख की अंतिम बचत हुई।					
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
		(₹ लाख में)				
2030	स्टाम्प और पंजीकरण					
03	पंजीकरण					
001	निर्देशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
0854	पंजीकरण विभाग					
	ओ	3,261.94				मुख्यतः वेतन, विद्युत शुल्क और ओई,
	आर	(-)661.38	2,600.56	850.29	(-)1,750.27	पीओएल और कार्यालय उपकरण और उपकरणों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
2053	जिला प्रशासन					
093	जिला स्थापनाएं					
0099	सामान्य					
1049	उपायुक्त					
	ओ	9,384.75				मुख्यतः वेतन, उत्सव के संबंध में प्रावधान
	आर	(-)360.56	9,024.19	7,232.84	(-)1,791.35	के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय

अनुदान संख्या 14-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
2053	जिला प्रशासन					
094	अन्य स्थापनाएं					
0099	सामान्य					
0569	कृषि संबंधी सुधार					
	ओ	2,248.31				मुख्यतः वेतन, टीई के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
	आर	(-)78.96	2,169.35	1,401.84	(-)767.51	
0700	उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट					
	ओ	3,783.63				मुख्यतः वेतन, टीई, आरआरटी, विद्युत शुल्क और कार्यालय उपकरण और उपकरणों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	(-)435.89	3,347.74	2,709.27	(-)638.47	
1046	तहसीलें					
	ओ	23,893.61				मुख्यतः वेतन, ओई, आरआरटी के संबंध में प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी एवं वाहन की खरीद के प्रति शून्य व्यय
	आर	(-)3,171.98	20,721.63	17,275.19	(-)3,446.44	
1050	निदेशक भूमि अभिलेख					
	ओ	407.05				मुख्यतः वेतन, एम एंड एस के संबंध में प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
	आर	(-)19.25	387.80	229.77	(-)158.03	
1052	राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय					
	ओ	481.48				मुख्यतः वेतन, विद्युत शुल्क के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
	आर	28.35	509.83	313.52	(-)196.31	
1058	संग्रहण प्रभार					
	ओ	40,261.23				मुख्यतः वेतन, मानदेय के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
	आर	(-)2,369.32	37,891.91	23,353.25	(-)14,538.66	
1059	धारण का समेकन					
	ओ	1,597.48				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
	आर	(-)232.05	1,365.43	812.21	(-)553.22	
1209	सरकारी संपदाओं का प्रबंधन					
	ओ	530.16				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
	आर	4.09	534.25	441.87	(-)92.38	
2205	बंदोबस्त आयुक्त					
	ओ	1,092.46				मुख्यतः वेतन, टीई और मानदेय के संबंध में प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
	आर	(-)29.27	1,063.19	616.70	(-)446.49	
2310	उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट/ क्षेत्र विकास अधिकारी					
	ओ	302.37				मुख्यतः वेतन, टीई और एलटीसी के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	(-)19.52	282.85	180.58	(-)102.27	
101	आयुक्त					
0099	सामान्य					
1048	मंडल आयुक्त					
	ओ	1,614.53				मुख्यतः वेतन, टीई के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
	आर	668.89	2,283.42	1,708.27	(-)575.15	

अनुदान संख्या 14-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
2310	उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट/ क्षेत्र विकास अधिकारी					
101	आयुक्त					
0099	सामान्य					
1051	वित्तीय आयुक्त					
	ओ	587.30				मुख्यतः वेतन, टैई के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
	आर	(-)47.53	539.77	460.28	(-)79.49	
2206	संयुक्त निदेशक अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी					
	ओ	284.68				मुख्यतः वेतन, टैई के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
	आर	5.45	290.13	267.20	(-)22.93	
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं					
800	अन्य व्यय					
0099	सामान्य					
1078	महा अभिरक्षक					
	ओ	195.34				मुख्यतः वेतन, टैई के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
	आर	(-)17.18	178.16	149.53	(-)28.63	
2250	अन्य समाज सेवाएं					
102	धार्मिक और चैरिटेबल अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन					
0099	सामान्य					
1612	विशेष अधिकारी ओकोफ					
	ओ	225.27				मुख्यतः वेतन, टैई के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
	आर	(-)48.49	176.78	119.98	(-)56.80	
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष के दौरान पूरा प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष					कुल अनुदान/ विनियोग (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ
2401	कृषिकर्म					
800	अन्य व्यय					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
0216	कृषि गणना				74.88	
0748	यथासमय रिपोर्टिंग योजना				218.56	
1516	फसल सांख्यिकी का सुधार				139.89	
पूँजीगत अनुभाग						
4	पूँजीगत दत्तम भाग में ₹ 9,350.00 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7,830.95 लाख की अंतिम बचत हुई।					

अनुदान संख्या 14-(समाप्त)

5	निम्नलिखित शीर्षा/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय					
80	सामान्य					
201	भूमि अधिग्रहण					
0011	सामान्य					
0854	पंजीकरण विभाग					
	ओ	2,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)1,164.82	835.18	19.72	(-)815.46	कम व्यय
1050	निदेशक भूमि अभिलेख					
	ओ	1,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	1,000.00	421.00	(-)579.00	कम व्यय
201	भूमि अधिग्रहण					
0011	सामान्य					
1285	भूमि अधिग्रहण					
	ओ	6,200.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)3,500.00	2,700.00	1,078.34	(-)1,621.66	कम भूमि मुआवजे के प्रति शून्य व्यय
6	निम्नलिखित शीर्षा/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष के दौरान पूरा प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय					
80	सामान्य					
051	निर्माण					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
1050	निदेशक भू-अभिलेख				150.00	

अनुदान संख्या 15- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2408 खाद्य, संग्रहण और भण्डारण

3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
	(₹ हजार में)			
दत्तमत				
मूल	3,18,25,55			
अनुपूरक	..	3,18,25,55	1,78,55,76	(-)1,39,69,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				88,69,09

पूँजीगत-

मुख्य शीर्ष

4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4408 खाद्य संग्रहण और भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय

5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत						
मूल	3,06,26,30					
अनुपूरक	63,11,35*	3,69,37,65	79,00,80			(-)2,90,36,85
*राजस्व भाग से बचत के अभ्यर्पण से संवर्धित राशि को दर्शाता करता है।						
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि ..						
टीका एवं टिप्पणियाँ						
राजस्व अनुभाग						
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 31,825.55 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13,969.79 लाख की अंतिम बचत हुई।					
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
		(₹ लाख में)				
2408	खाद्य, संग्रहण और भण्डारण					
01	खाद्य					
001	निर्देशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
0383	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण कश्मीर					
	ओ	17,382.76				मुख्यतः वेतन, आरआरटी, लेखन सामग्री और मुद्रण के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	(-)1,060.83	16,321.93	12,896.05	(-)3,425.88	
0397	उपभोक्ता मामले और लोक वितरण जम्मू					
	ओ	5,707.67				मुख्यतः वेतन, आरआरटी और एम एंड आर के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	(-)952.16	4,755.51	3,629.40	(-)1,126.11	
02	संग्रहण और भण्डारण					
800	अन्य व्यय					
0099	सामान्य					
6014	संघ राज्य क्षेत्र और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग					
	ओ	..				मुख्यतः वेतन, टीई, आरआरटी और एम
	आर	522.28	522.28	246.96	(-)275.32	एंड आर के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं					
106	भार एवं माप का विनियमन					
0099	सामान्य					
1063	नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान					
	ओ	1,468.69				मुख्यतः वेतन, ओई के संबंध में प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
	आर	(-)111.95	1,356.74	1,094.53	(-)262.21	

अनुदान संख्या 15-(समाप्त)

अनुदान सख्या 13 (समाप्त)						
पूँजीगत अनुभाग						
3	पूँजीगत दत्तम भाग में ₹ 36,937.65 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 29,036.85 लाख की अंतिम बचत हुई।					
4	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अनुदान में बचत हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
		(₹ लाख में)				
4408	खाद्य, संग्रहण और भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय					
01	खाद्य					
101	अधिप्राप्ति और आपूर्ति					
0099	सामान्य					
2161	गेहूँ जम्मू					
	ओ	13,086.00				लागत मूल्य के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)403.71	12,682.29	3,500.00	(-)9,182.29	कम व्यय
2162	चावल जम्मू					
	ओ	8,223.00				लागत मूल्य के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	2,777.00	11,000.00	3,000.00	(-)8,000.00	कम व्यय
6008	खाद्यान्नों के अंतर-राज्य संचलन और एफपीएस डीलरों के मार्जिन हेतु राज्य एजेंसियों को सहायता					
	ओ	..				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	2,422.00	2,422.00	913.87	(-)1,508.13	कम व्यय
02	संग्रहण और भण्डारण					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
0508	उपभोक्ता मामले एवं लोक वितरण विभाग					
	ओ	600.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	400.00	1,000.00	413.99	(-)586.01	कम व्यय
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय					
112	सांख्यिकी					
0011	सामान्य					
0564	सर्वेक्षण और सांख्यिकी					
	ओ	97.36				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)0.36	97.00	72.94	(-)24.06	कम व्यय
5	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष के दौरान पूरा प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		अभ्युक्तियाँ		
		(₹ लाख में)				
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय					
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
1228	महत्वपूर्ण वस्तुओं की अधिप्राप्ति और आपूर्ति, (शक्कर), जम्मू				115.94	
1256	आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति और आपूर्ति, कश्मीर				199.17	
4408	खाद्य भंडारण और भण्डारण पर पूँजीगत परिव्यय					
01	खाद्य					
101	खरीद और आपूर्ति					
0011	सामान्य					
2160	चावल (कश्मीर)				2,154.82	
0031	केंद्र प्रायोजित योजनाएं					
6008	खाद्यान्नों के अंतर-राज्य संचलन और एफपीएस डीलरों के मार्जिन हेतु राज्य एजेंसियों को				7,266.43	

3054 सड़कें और पुल

5054 सड़कों और पुल पर पूँजीगत परिव्यय

ओ	22,564.17				मुख्यतः वेतन, एम एंड आर, फनीयर और
आर	4,771.41	27,335.58	18,137.86	(-)9,197.72	साज-सज्जा के संबंध में प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय

अनुदान संख्या 16-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
2059	लोक निर्माण					
80	सामान्य					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
1044	भण्डार अधिप्राप्ति विभाग					
	ओ	1,168.30				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)278.60	889.70	716.80	(-)172.90	प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
1281	अभिकल्प निदेशालय					
	ओ	1,925.46				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)287.58	1,637.88	1,484.59	(-)153.29	प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2181	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़कें					
	ओ	11,935.09				मुख्यतः वेतन, आरआरटी के संबंध में
	आर	(-)1,403.80	10,531.29	9,768.37	(-)762.92	प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2216	आवास					
07	अन्य आवास					
053	अनुरक्षण और मरम्मत					
0099	सामान्य					
3342	सरकारी आवास गृह					
	ओ	1,400.00				अनुरक्षण और मरम्मत के संबंध में
	एस	..	1,400.00	1,073.20	(-)326.80	प्रावधान के प्रति कम व्यय
3054	सड़कें और पुल					
03	राज्य राजमार्ग					
103	अनुरक्षण और मरम्मत					
0099	सामान्य					
3343	पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत					
	ओ	1,000.00				अनुरक्षण और मरम्मत के संबंध में
	एस	..	1,000.00	162.77	(-)837.23	प्रावधान के प्रति कम व्यय
04	जिला और अन्य सड़कें					
337	सड़क निर्माण कार्य					
0099	सामान्य					
3341	सड़क के गड्ढों की मरम्मत					
	ओ	2,020.24				अनुरक्षण और मरम्मत के संबंध में
	आर	16,479.76	18,500.00	16,247.09	(-)2,252.91	प्रावधान के प्रति कम व्यय
80	सामान्य					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
1027	आरएण्डबी विभाग जम्मू					
	ओ	8,061.78				एम एंड आर और बर्फ निर्बाधता के संबंध
	आर	554.00	8,615.78	8,298.56	(-)317.22	में प्रावधान के प्रति कम व्यय
1028	आरएण्डबी विभाग कश्मीर					
	ओ	7,933.38				अनुरक्षण व मरम्मत और बर्फ निर्बाधता के
	आर	166.62	8,100.00	6,268.14	(-)1,831.86	संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
1041	सर्कल और डिवीजन सहित मुख्य अभियंता मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग (कश्मीर)					
	ओ	650.00				अनुरक्षण व मरम्मत और बर्फ निर्बाधता के
	एस	..	650.00	643.06	(-)6.94	संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय

अनुदान संख्या 16-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
3054	सड़कें और पुल					
80	सामान्य					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
2181	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई)					
	ओ	675.00				बर्फ निर्बाधता के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)25.00	650.00	508.79	(-)141.21	कम व्यय
2342	पीएमआरपी सड़के					
	ओ	118.53				मुख्यतः टीए, आआरटी, पेशावर एवं विशेष
	आर	19.65	138.18	112.04	(-)26.14	सेवा शुल्कों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
पूँजीगत अनुभाग						
3	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 5,21,787.00 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹2,45,642.64 लाख की अंतिम बचत हुई।					
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके कारणों को सूचित नहीं किया गया [जुलाई 2023].					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय					
01	कार्यालय भवन					
001	निदेशन और प्रशासन					
0011	सामान्य					
1027	आरएण्डबी विभाग, जम्मू					
	ओ	16,760.11				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	16,760.11	12,999.08	(-)3,761.03	कम व्यय
1028	आरएण्डबी विभाग, कश्मीर					
	ओ	15,826.89				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	15,826.89	11,517.53	(-)4,309.36	कम व्यय
1270	यांत्रिक अभियांत्रिकी, जम्मू					
	ओ	600.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	600.00	523.07	(-)76.93	कम व्यय
1276	यांत्रिक अभियांत्रिकी, कश्मीर					
	ओ	700.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	700.00	684.64	(-)15.36	कम व्यय
1281	अभिकल्प निदेशालय					
	ओ	100.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	100.00	52.73	(-)47.27	कम व्यय

अनुदान संख्या 16-(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग					वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)							
4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय							
60	अन्य भवन							
800	अन्य व्यय							
0011	सामान्य							
1717	गैर-प्रकार्यात्मक भवन (पीडब्ल्यूडी) जम्मू							
	ओ	500.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति		
	एस	..	500.00	373.31	(-)126.69	कम व्यय		
1899	गैर-प्रकार्यात्मक भवन (पीडब्ल्यूडी) कश्मीर							
	ओ	500.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति		
	एस	..	500.00	218.58	(-)281.42	कम व्यय		
5054	सड़कों और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय							
01	राष्ट्रीय राजमार्ग							
337	सड़क निर्माण कार्य							
0011	सामान्य							
2471	रिंग रोड							
	ओ	2,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति		
	एस	..	2,000.00	31.79	(-)1,968.21	कम व्यय		
03	राज्य राजमार्ग							
101	पूल							
0011	सामान्य							
1718	पुलों का पुनर्निर्माण							
	ओ	6,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति		
	आर	500.00	6,500.00	3,673.47	(-)2,826.53	कम व्यय		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना							
2181	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सड़कें							
	ओ	2,40,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति		
	आर	(-)1,20,000.00	1,20,000.00	55,500.00	(-)64,500.00	कम व्यय		
04	जिला और अन्य सड़कें							
337	सड़क निर्माण कार्य							
0011	सामान्य							
3342	सड़कों का निर्माण							
	ओ	10,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति		
	आर	1,000.00	11,000.00	6,139.08	(-)4,860.92	कम व्यय		
05	सड़कें							
337	सड़क निर्माण कार्य							
0011	सामान्य							
0515	निर्माण							
	ओ	1,00,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति		
	एस	..	1,00,000.00	51,517.67	(-)48,482.33	कम व्यय		
1926	केन्द्रीय सड़क निधि							
	ओ	4,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति		
	एस	..	4,000.00	3,469.87	(-)530.13	कम व्यय		
2342	पीएमआरपी सड़कें							
	ओ	2,800.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति		
	एस	..	2,800.00	2,377.26	(-)422.74	कम व्यय		
2444	शहर और कस्बे							
	ओ	50,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति		
	एस	..	50,000.00	43,622.93	(-)6,377.07	कम व्यय		

*राशि भारत सरकार द्वारा जारी की गई है।

अनुदान संख्या 17- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2210 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

2211 परिवार कल्याण

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
			(₹ हजार में)	
दत्तमत				
मूल	63,88,62.75			
अनुपूरक	6,07,36.91	69,95,99.66	57,28,94.96	(-)12,67,04.70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				3,97,83,88

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4210 चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत						
मूल	14,84,72,12					
अनुपूरक	3,97,83,88*	18,82,56,00		3,65,76,11		(-)15,16,79,89
*राजस्व भाग से बचत के अभ्यर्पण से संवर्धित राशि को दर्शाता करता है।						
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि ..						
टीका एवं टिप्पणियाँ						
राजस्व अनुभाग						
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 60,736.91 लाख का अनुपूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 6,38,862.75 लाख के मूल प्रावधान के स्तर तक भी व्यय नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12,67,04.70 लाख की अंतिम बचत हुई।					
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये ।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
		(₹ लाख में)				
2210	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य					
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
0558	जिला चिकित्सा सुविधाएं, जम्मू					
	ओ	7,466.28				मुख्यतः वेतन व एम एंड आर के संबंध में
	एस	1,108.77				प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी
	आर	(-)391.75	8,183.30	6,334.28	(-)1,849.02	के संबंध में अप्रयुक्त व्यय
0579	गाँधी नगर अस्पताल, जम्मू					
	ओ	1,781.33				मुख्यतः वेतन व विद्युत शुल्कों के संबंध
	एस	32.42				में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	(-)10.00	1,803.75	1,626.74	(-)177.01	
0602	राज्य स्वास्थ्य परिवहन संगठन, जम्मू					
	ओ	259.15				मुख्यतः वेतन और पीओल के संबंध में
	एस	5.82	264.97	218.36	(-)46.61	प्रावधान के प्रति कम व्यय
0610	जिला टी.बी.अधिकारी और क्लीनिक्स, जम्मू					
	ओ	1,287.70				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	1.00				कम व्यय
	आर	(-)89.70	1,199.00	947.74	(-)251.26	
0618	जिला चिकित्सा अधिकारी, जम्मू (एच.एस.)					
	ओ	922.14				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	1.00				कम व्यय
	आर	(-)107.24	815.90	677.28	(-)138.62	
0630	राज्य टीबी कार्यालय, जम्मू					
	ओ	41.17				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)5.67	35.50	9.34	(-)26.16	कम और औषधियों व उपकरणों के प्रति शून्य व्यय

अनुदान संख्या 17-(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2210	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य				
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी				
001	निदेशन और प्रशासन				
0099	सामान्य				
0636	निदेशन और प्रशासन, जम्मू				
	ओ	19,326.24			मुख्यतः वेतन, वाहन की खरीद, एम एंड
	एस	19.37			एस, एम एंड आर के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)3,410.00	15,935.61	13,238.93	(-)2,696.68 प्रति कम व्यय और एलटीसी एवं वाहन की खरीद के संबंध में अप्रयुक्त व्यय
0638	निदेशन कार्यालय कश्मीर (डीएचएसके)				
	ओ	14,773.50			मुख्यतः वेतन, वाहन की खरीद, एम एंड
	एस	723.00			एस के संबंध में प्रावधान के प्रति कम,
	आर	(-)450.86	15,045.64	13,335.92	(-)1,709.72 और एलटीसी, जीआईए के संबंध में अप्रयुक्त व्यय
1530	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम				
	ओ	283.60			मुख्यतः जीआईए के संबंध में प्रावधान के
	एस	29.40	313.00	276.48	(-)36.52 प्रति कम व्यय
104	चिकित्सा भण्डारण डिपो				
0099	सामान्य				
0598	चिकित्सा भण्डारण विभाग कश्मीर				
	ओ	260.01			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)57.81	202.20	189.93	(-)12.27 कम व्यय
1279	चिकित्सा भण्डारण विभाग, जम्मू				
	ओ	328.38			मुख्यतः वेतन और एम एंड आर के संबंध
	एस	10.62			में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	(-)1.00	338.00	264.57	(-)73.43
109	विद्यालयी स्वास्थ्य योजना				
0099	सामान्य				
0591	विद्यालय स्वास्थ्य योजनाएं, जम्मू				
	ओ	69.36			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	21.69			कम व्यय
	आर	(-)0.50	90.55	58.75	(-)31.80
0643	अन्य स्वास्थ्य योजनाएं विद्यालयी स्वास्थ्य कश्मीर				
	ओ	219.86			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)10.86	209.00	198.89	(-)10.11 कम व्यय
110	अस्पताल और औषधालय				
0099	सामान्य				
0557	सीडी अस्पताल जम्मू				
	ओ	2,429.51			मुख्यतः वेतन, आरआरटी, एम एंड आर,
	एस	186.00			आहार व्यय और विद्युत शुल्क के संबंध में
	आर	(-)431.51	2,184.00	1,630.83	(-)553.17 प्रावधान के प्रति कम व्यय व्यय
0559	चितरंजन दास मोबाइल अस्पताल				
	ओ	584.94			मुख्यतः वेतन, एम एंड एस के संबंध में
	आर	(-)58.94	526.00	389.71	(-)136.29 प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के संबंध में अप्रयुक्त व्यय
0562	नवीन औषधालयों का सुधार और उद्घाटन, जम्मू				
	ओ	7,043.00			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	1.00			कम व्यय और एलटीसी के संबंध में
	आर	(-)725.00	6,319.00	5,765.59	(-)553.41 अप्रयुक्त व्यय
0567	बोन जाइंट सर्जरी हेतु सरकारी अस्पताल, श्रीनगर				
	ओ	2,837.42			मुख्यतः वेतन, विद्युत शुल्क और वृत्तिका
	एस	30.00			व छात्रवृत्ति के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)314.62	2,552.80	2,163.40	(-)389.40 कम व्यय
0568	लाल दद महिला अस्पताल, श्रीनगर				
	ओ	5,992.08			मुख्यतः वेतन, एम एंड आर, ओई, विद्युत
	आर	(-)253.23	5,738.85	5,150.37	(-)588.48 शुल्क के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के संबंध में अप्रयुक्त व्यय

अनुदान संख्या 17-(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2210	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य				
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी				
110	अस्पताल और औषधालय				
0099	सामान्य				
0576	नवीन औषधालयों का सुधार और उद्घाटन				
	ओ	601.92			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)105.75	496.17	398.55	कम व्यय और एलटीसी के संबंध में शून्य व्यय
0585	उप जिला अस्पताल, जम्मू				
	ओ	13,141.32			मुख्यतः वेतन, औषधियाँ और उपकरणों के
	एस	10.28			संबंध में प्रावधान के प्रति कम और
	आर	(-)644.50	12,507.10	11,527.73	एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0622	उप जिला अस्पताल कश्मीर				
	ओ	22,535.00			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	392.00			कम व्यय और एलटीसी के संबंध में
	आर	(-)528.00	22,399.00	20,084.08	अप्रयुक्त व्यय
0625	एस.एम.एच.एस. अस्पताल, श्रीनगर				
	ओ	11,846.54			मुख्यतः वेतन व विद्युत शुल्क के संबंध में
	एस	52.50			प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी
	आर	(-)786.54	11,112.50	9,825.17	के संबंध में अप्रयुक्त व्यय
0660	सीडी अस्पताल श्रीनगर				
	ओ	1,925.61			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	5.20			कम व्यय और एलटीसी के संबंध में
	आर	(-)84.31	1,846.50	1,696.18	अप्रयुक्त व्यय
0662	सरकारी मनश्चिकित्सा अस्पताल जम्मू				
	ओ	775.67			मुख्यतः वेतन व विद्युत शुल्क के संबंध में
	एस	35.00			प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	(-)92.37	718.30	548.13	(-)170.17
0666	कृत्रिम अंग केंद्र, श्रीनगर				
	ओ	131.54			वेतन एवं एम एंड आर के संबंध में
	आर	(-)31.29	100.25	56.52	प्रावधान के प्रति कम व्यय
0678	संबद्ध अस्पताल श्रीनगर				
	ओ	259.60			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	8.00	267.60	230.41	कम व्यय
0680	चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जम्मू				
	ओ	12,596.58			मुख्यतः वेतन, आरआरटी, एम एंड आर,
	एस	194.50			आहार के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	(-)1,907.73	10,883.35	9,226.36	और एलटीसी, टीकाकरण के संबंध में
				(-)1,656.99	अप्रयुक्त व्यय
0688	सरकारी मनोचिकित्सा अस्पताल, श्रीनगर				
	ओ	1,884.30			मुख्यतः वेतन और बाह्यस्रोतों के अनुरक्षण
	एस	10.00			के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	(-)323.90	1,570.40	1,314.45	(-)255.95
1293	एस एम जी एस अस्पताल जम्मू				
	ओ	10,376.18			मुख्यतः वेतन, एम एंड आर, वृत्तिका और
	एस	336.50			छात्रवृत्ति, ओई, एम एंड एस के संबंध में
	आर	(-)1,214.48	9,498.20	7,334.21	प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के
				(-)2,163.99	संबंध में अप्रयुक्त व्यय
1529	प्रशासक संबद्ध अस्पताल, जम्मू				
	ओ	1,874.23			मुख्यतः वेतन, एम एंड आर और औषधियों
	एस	388.16			व उपकरणों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)427.63	1,834.76	1,596.44	कम व्यय

अनुदान संख्या 17-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(र लाख में)				
2210	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य					
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी					
110	अस्पताल और औषधालय					
0099	सामान्य					
1553	बाल अस्पताल, श्रीनगर					
	ओ	3,770.25				मुख्यतः वेतन व विद्युत शुल्क के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	50.00				
	आर	(-)647.00	3,173.25	2,365.55	(-)807.70	
1758	सनत नगर, अस्पताल					
	ओ	225.18				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	(-)44.20	180.98	124.49	(-)56.49	
1764	जी.बी. पंत अस्पताल					
	ओ	1,443.97				मुख्यतः वेतन व विद्युत शुल्क के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	54.00				
	आर	(-)22.77	1,475.20	1,144.20	(-)331.00	
2508	एंटी-हीमोफीलिक औषधियां					
	ओ	680.00				औषध और उपकरणों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	(-)35.00	645.00	441.33	(-)203.67	
200	अन्य स्वास्थ्य योजना					
0099	सामान्य					
0641	एकीकृत बाल विकास योजनाएं, जम्मू					
	ओ	928.90				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	(-)40.00	888.90	774.75	(-)114.15	
800	अन्य व्यय					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं					
2256	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन					
	ओ	900.00				मुख्यतः जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	..	900.00	87.00	(-)813.00	
02	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-दवा की अन्य प्रणालियाँ					
101	आयुर्वेद					
0099	सामान्य					
0667	यूनानी और आयुर्वेदिक औषधालय, कश्मीर (आईएसएम)					
	ओ	7,805.08				मुख्यतः वेतन व विद्युत शुल्कों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	20.52				
	आर	(-)143.54	7,682.06	7,549.40	(-)132.66	
0681	निदेशन और प्रशासन (निदेशक आईएसएम जम्मू एवं कश्मीर)					
	ओ	673.75				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	59.49				
	आर	(-)8.00	725.24	598.82	(-)126.42	
1315	बैडेड अस्पताल आयुर्वेदिक जम्मू					
	ओ	444.51				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	0.50				
	आर	(-)65.31	379.70	372.06	(-)7.64	
103	यूनानी					
0099	सामान्य					
0694	चिकित्सा भण्डार आई एस एम कश्मीर					
	ओ	160.70				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	(-)40.20	120.50	114.66	(-)5.84	
1837	चिकित्सा भण्डार आई एस एम जम्मू					
	ओ	240.52				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	(-)28.42	212.10	190.66	(-)21.44	
03	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी					
101	स्वास्थ्य उप केन्द्र					
0099	सामान्य					
0581	उप केन्द्र जम्मू					
	ओ	7,678.58				मुख्यतः वेतन और औषधि व उपकरणों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	6.42				
	आर	(-)124.50	7,560.50	6,744.92	(-)815.58	

अनुदान संख्या 17-(जारी)

शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
			(र लाख में)			
2210	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य					
03	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी					
103	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, (मूल सेवाएं)					
0099	सामान्य					
0644	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीनगर					
	ओ	31,545.25				मुख्यतः वेतन, ओई, विद्युत शुल्क,
	एस	416.75				चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)408.00	31,554.00	29,945.84	(-)1,608.16	प्रति कम और एलटीसी के संबंध में अप्रयुक्त व्यय
0649	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आर एस पुरा (चिकित्सा महाविद्यालय जम्मू)					
	ओ	523.53				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)25.49	498.04	395.01	(-)103.03	कम व्यय
2262	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जम्मू (कोट भलवाल)					
	ओ	19,110.65				मुख्यतः वेतन, औषधियाँ और उपकरणों के
	एस	7.42				संबंध में प्रावधान के प्रति कम और
	आर	(-)973.74	18,144.33	17,890.08	(-)254.25	एलटीसी के संबंध में अप्रयुक्त व्यय
110	अस्पताल और औषधालय					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
2504	ड्रामा केयर सुविधा विकास हेतु क्षमता निर्माण					
	ओ	800.00				वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	एस	..	800.00	13.44	(-)786.56	व्यय
0099	सामान्य					
0576	सुधार और नये औषधालयों को खोलना					
	ओ	8,282.18				मुख्यतः वेतन और बाह्यस्रोतों के अनुरक्षण
	आर	(-)331.43	7,950.75	7,228.75	(-)722.00	के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
0577	मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ जम्मू					
	ओ	218.16				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	6.29				कम व्यय
	आर	(-)2.00	222.45	190.87	(-)31.58	
0696	यूनानी आयुर्वेदिक औषधालय, जम्मू					
	ओ	6,855.91				मुख्यतः वेतन, आरआरटी और विद्युत
	एस	58.60				शुल्क के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	(-)189.28	6,725.23	6,551.13	(-)174.10	व्यय
1531	आयुर्विज्ञान निगम का क्रय					
	ओ	60,000.00				एम एंड ई, औषध और उपकरणों के संबंध
	एस	..	60,000.00	45,000.00	(-)15,000.00	में प्रावधान के प्रति कम व्यय
800	अन्य व्यय					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
2256	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन					
	ओ	55,000.00				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	एस	45,000.00	1,00,000.00	96,332.00	(-)3,668.00	व्यय
0099	सामान्य					
2256	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन					
	ओ	6,228.20				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	एस	310.76	6,538.96	6,363.64	(-)175.32	व्यय
05	चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान					
101	आयुर्वेद					
0099	सामान्य					
0860	आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, अखनूर					
	ओ	733.56				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	85.50				कम व्यय
	आर	(-)15.00	804.06	555.34	(-)248.72	

अनुदान संख्या 17-(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(र लाख में)				
2210	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य				
05	चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान				
103	यूनानी				
099	सामान्य				
0863	यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, गंदरबल				
	ओ	942.86			मुख्यतः वेतन एवं विद्युत शुल्कों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	6.00			
	आर	(-)207.00	741.86	299.89	
105	एलोपैथी				
0099	सामान्य				
0166	चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू				
	ओ	30,680.17			मुख्यतः वेतन, आहार व्यय, एम एंड आर और वृत्तिका और छात्रवृत्ति के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	616.24			
	आर	(-)5,806.00	25,490.41	21,713.40	
0305	चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीनगर				
	ओ	33,484.33			मुख्यतः वेतन, विद्युत शुल्क, वृत्तिका और छात्रवृत्ति के संबंध में प्रावधान के प्रति कम और जीआईए के प्रति शून्य व्यय
	एस	1,268.22			
	आर	(-)3,139.64	31,612.91	24,103.07	
0586	शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान (हाजन ब्लॉक)				
	ओ	2,531.07			मुख्यतः वेतन, औषधियाँ और उपकरणों और एम एंड आर के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	1.67			
	आर	(-)32.07	2,500.67	2,213.61	
0590	आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर				
	ओ	54,727.32			मुख्यतः वेतन, एम एंड ई, एम एंड आर, आरआरटी और वजीफे व छात्रवृत्ति के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	574.47			
	आर	(-)9,256.19	46,045.60	41,138.07	
0592	एएमटी विद्यालय, श्रीनगर				
	ओ	331.50			मुख्यतः वेतन और वजीफे व छात्रवृत्ति के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	5.00			
	आर	(-)1.50	335.00	222.30	
0679	प्रधान दंत महाविद्यालय, श्रीनगर				
	ओ	4,045.21			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के संबंध में अप्रयुक्त व्यय
	एस	15.50			
	आर	(-)318.00	3,742.71	3,427.37	
0682	एएमटी विद्यालय, जम्मू				
	ओ	452.39			वेतन, वृत्तिका और छात्रवृत्ति के संबंध में प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी, फर्नीचर और साज-सज्जा के प्रति अप्रयुक्त व्यय
	एस	2.00			
	आर	(-)59.64	394.75	298.47	
0856	चिकित्सा महाविद्यालय, अनंतनाग और संबद्ध अस्पताल				
	ओ	8,585.86			वेतन, एम व एस तथा वृत्तिका और छात्रवृत्ति के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	242.00			
	आर	(-)997.00	7,830.86	6800.80	
0857	चिकित्सा महाविद्यालय, बारामुल्ला और संबद्ध अस्पताल				
	ओ	9,031.67			वेतन, एम एंड आर तथा वृत्तिका और छात्रवृत्ति के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	43.00			
	आर	(-)1,168.31	7,906.36	6,742.26	
0866	चिकित्सा महाविद्यालय, डोडा और संबद्ध अस्पताल				
	ओ	7,912.86			वेतन, आरआरटी तथा वृत्तिका और छात्रवृत्ति के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	229.00			
	आर	(-)1,844.70	6,297.16	4,935.14	

अनुदान संख्या 17-(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(र लाख में)				
2210	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य				
05	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान				
105	एलोपैथी				
0099	सामान्य				
0867	चिकित्सा महाविद्यालय, कठुआ और संबद्ध अस्पताल				
	ओ	7,951.77			मुख्यतः वेतन, औषधि और उपकरण तथा
	एस	40.00			वृत्तिका और छात्रवृत्ति के संबंध में
	आर	(-)1,728.91	6,262.86	4,785.90	(-)1,476.96 प्रावधान के प्रति कम व्यय
0873	चिकित्सा महाविद्यालय, रजौरी और संबद्ध अस्पताल				
	ओ	7,240.36			वेतन और वृत्तिका और छात्रवृत्ति के
	एस	331.00			संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	(-)978.00	6,593.36	5,126.03	(-)1,467.33
1544	प्रधान एसकेआईएमएस चिकित्सा महाविद्यालय, बेमिना श्रीनगर				
	ओ	13,887.85			वेतन, औषधि और उपकरण, आहार व्यय
	एस	130.00			के संबंध में प्रावधान के प्रति कम और
	आर	(-)1,808.35	12,209.50	10,163.65	(-)2,045.85 एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
1756	टी.बी. प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र				
	ओ	408.85			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	0.40			कम व्यय
	आर	(-)4.60	404.65	259.37	(-)145.28
2023	दंत महाविद्यालय, जम्मू				
	ओ	3,488.75			वेतन, एम एंड एस के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)699.99	2,788.76	2,368.11	(-)420.65 प्रति कम और फर्नीचर और साज-सज्जा के प्रति शून्य व्यय
06	जन स्वास्थ्य				
101	रोगों की रोकथाम और नियंत्रण				
0099	सामान्य				
0584	आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं का सशक्तिकरण				
	ओ	4,106.19			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)379.89	3,726.30	3,321.29	(-)405.01 कम व्यय
0603	मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, जम्मू				
	ओ	2,655.85			मुख्यतः वेतन व टीई के संबंध में प्रावधान
	आर	(-)29.75	2,626.10	2,419.26	(-)206.84 के प्रति कम व्यय
1132	कैंसर का इलाज				
	ओ	450.00			औषध और उपकरणों के संबंध में प्रावधान
	एस	..	450.00	255.51	(-)194.49 के प्रति कम व्यय
1277	दृष्टि बाधिता और दृष्टिहीनता का नियंत्रण, जम्मू				
	ओ	785.64			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)11.64	774.00	704.11	(-)69.89 कम व्यय
1300	एस ई टी चिकित्सा (एसपीएम)				
	ओ	1,049.91			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	10.00			कम व्यय और बाह्यस्रोतों के अनुरक्षण के
	आर	(-)124.81	935.10	813.69	(-)121.41 संबंध में अप्रयुक्त व्यय
104	औषध नियंत्रण				
0099	सामान्य				
0571	अर्ध-चिकित्सा सहायता				
	ओ	13.96			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	1.38	15.34	10.29	(-)5.05 कम व्यय
0654	उप नियंत्रक औषध और खादय, जम्मू				
	ओ	584.05			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)90.25	493.80	410.88	(-)82.92 कम व्यय

अनुदान संख्या 17-(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग					वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)							
2210	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य							
06	जन स्वास्थ्य							
104	औषध नियंत्रण							
0099	सामान्य							
0658	उप नियंत्रक औषधि और खाद्य नियंत्रण संगठन, कश्मीर							
	ओ	561.39					मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	8.32					कम व्यय	
	आर	(-)9.79	559.92	523.13	(-)36.79			
1133	आयुक्त औषधि और खाद्य प्रशासन							
	ओ	2,368.66					मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	3.54					कम व्यय	
	आर	(-)332.52	2,039.68	1,910.70	(-)128.98			
1294	नियंत्रक औषधि और खाद्य जम्मू एवं कश्मीर नियंत्रण संगठन							
	ओ	410.82					मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	10.31					कम व्यय	
	आर	(-)12.80	408.33	336.44	(-)71.89			
2266	अर्ध-चिकित्सा सहायता केंद्र, कश्मीर							
	ओ	54.90					मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	(-)8.94	45.96	40.19	(-)5.77		कम व्यय	
107	जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं							
0099	सामान्य							
0615	क्षेत्र अध्ययन और प्रदर्शन की स्थापना, कश्मीर							
	ओ	60.66					मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	6.24					कम व्यय	
	आर	(-)0.25	66.65	52.35	(-)14.30			
0656	औषध प्रयोगशाला कश्मीर							
	ओ	404.84					मुख्यतः वेतन, विद्युत शुल्क के संबंध में	
	एस	1.00					प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के	
	आर	(-)85.69	320.15	270.58	(-)49.57		संबंध में अप्रयुक्त व्यय	
0676	जिला मुख्यालय प्रयोगशालाएं एस टी डी							
	ओ	157.10					मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	(-)4.10	153.00	112.53	(-)40.47		कम व्यय	
0689	मुफस्सिल स्वच्छता निवारक संगठन सेट केंद्र केंद्रीय प्रयोगशाला, श्रीनगर							
	ओ	120.92					मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	(-)24.92	96.00	51.45	(-)44.55		कम व्यय	
2267	जिला मुख्यालय प्रयोगशालाएं एस टी डी							
	ओ	324.33					मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	20.00					कम व्यय	
	आर	(-)53.38	290.95	236.85	(-)54.10			
112	जन स्वास्थ्य शिक्षा							
0099	सामान्य							
1545	स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो कश्मीर							
	ओ	73.16					मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	5.61					कम व्यय	
	आर	(-)0.50	78.27	65.39	(-)12.88			
200	अन्य प्रणालियाँ							
0099	सामान्य							
0565	रहबर-ए-सेहत, कश्मीर							
	ओ	250.82					मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	0.10					कम व्यय	
	आर	(-)16.55	234.37	190.45	(-)43.92			

अनुदान संख्या 17-(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग					वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)							
2210	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य							
06	जन स्वास्थ्य							
200	अन्य प्रणालियाँ							
0099	सामान्य							
0620	रहबर-ए-सेहत, जम्मू							
	ओ	353.15					मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	(-)13.00	340.15	187.98	(-)152.17		कम व्यय	
2211	परिवार कल्याण							
001	निदेशन और प्रशासन							
0031	केंद्रीय प्रयोजित योजना							
1651	जिला परिवार कल्याण ब्यूरो							
	ओ	3300.00					मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	(-)900.00	2,400.00	1,890.08	(-)509.92		कम व्यय	
0099	सामान्य							
2204	निदेशक परिवार कल्याण							
	ओ	1,040.78					मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	(-)43.92	996.86	626.14	(-)370.72		कम व्यय	
2509	आयुष्मान भारत (एबी-पीएमजेएवाई)							
	ओ	45,700.00					जीआईए एवं आरआरटी के संबंध में	
	एस	7,112.32					प्रावधान के प्रति कम व्यय	
	आर	4,405.68	57,218.00	52,619.37	(-)4,598.63			
003	प्रशिक्षण							
0099	सामान्य							
2204	निदेशक परिवार कल्याण							
	ओ	86.19					मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	(-)5.69	80.50	41.78	(-)38.72		कम व्यय	
004	अनुसंधान और मूल्यांकन							
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना							
1654	एएनएम/एलएचवी/एमटी के प्रशिक्षण विद्यालय							
	ओ	2,000.00					मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	(-)500.00	1,500.00	423.28	(-)1,076.72		कम व्यय	
101	ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं							
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना							
0581	उप केन्द्र जम्मू							
	ओ	7,300.00					मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	3,522.65	10,822.65	10,807.00	(-)15.65		कम व्यय	
1652	ग्रामीण परिवार कल्याण केंद्र (एचएफडब्ल्यूटीसी)							
	ओ	550.00					मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	..	550.00	106.00	(-)444.00		कम व्यय	
1769	राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो							
	ओ	1,800.00					मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	(-)422.65	1,377.35	526.48	(-)850.87		कम व्यय	
0099	सामान्य							
2204	निदेशक परिवार कल्याण, जम्मू एवं कश्मीर							
	ओ	4,386.80					मुख्यतः वेतन व आरआरटी के संबंध में	
	आर	(-)607.80	3,779.00	2,948.71	(-)830.29		प्रावधान के प्रति कम व्यय	
102	शहरी परिवार कल्याण सेवाएं							
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना							
1770	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र							
	ओ	300.00					मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	..	300.00	109.88	(-)190.12		कम और जीआईए के प्रति शून्य व्यय	

अनुदान संख्या 17-(जारी)

3	निम्नलिखित शीर्ष/योजनाओं के अंतर्गत बचत आंशिक रूप से अधिक होने से संतुलित हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	अधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ	
	(र लाख में)					
2210	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य					
03	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी					
101	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
0580	उप केन्द्र, कश्मीर					
	ओ	8,801.00				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)319.00	8,482.00	8,972.65	(+)490.65	अधिक व्यय
4	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिये कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये।					
शीर्ष				वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ	
				(र लाख में)		
2210	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य					
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं					
001	निदेशन एवं प्रशासन					
0099	सामान्य					
2356	ब्लॉक विकास परिषद			28.00		
200	अन्य स्वास्थ्य योजनाएं					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
0590	आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर			10.00		
03	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी					
103	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवाएं)					
0099	सामान्य					
2356	ब्लॉक विकास परिषद			20.00		
200	अन्य स्वास्थ्य योजनाएं					
0099	सामान्य					
2256	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन			135.55		
06	जन-स्वास्थ्य					
104	औषध नियंत्रण					
0099	सामान्य					
0736	नशा मुक्ति अभियान			375.00		
2265	चल चिकित्सा सहायता केन्द्र कश्मीर-नियंत्रक औषधि एवं खाद्य नियंत्रण संगठन			12.18		
2211	परिवार कल्याण					
0001	निदेशन और प्रशासन					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
2509	आयुष्मान भारत (एबी-पीएमजेएवाई)			4,556.00		
पूँजीगत अनुभाग						
5	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 1,88,256.00 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹1,51,679.89 लाख की अंतिम बचत हुई।					
6	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये।					
4210	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय					
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
0166	चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू					
	ओ	4,480.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	4,480.00	1,626.90	(-)2,853.10	कम व्यय
0305	चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीनगर					
	ओ	4,480.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)1,000.00	3,480.00	1,830.60	(-)1,649.40	कम व्यय

अनुदान संख्या 17-(जारी)

शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
			(₹ लाख में)			
4210	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय					
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
1536	निदेशक स्वास्थ्य जम्मू					
	ओ	6,417.33				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)691.79	5,725.54	3,298.69	(-)2,426.85	कम व्यय
1537	निदेशक स्वास्थ्य कश्मीर					
	ओ	5,545.79				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	5,545.79	3,608.59	(-)1,937.20	कम व्यय
1538	औषध और खादय नियंत्रण					
	ओ	350.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	350.00	320.46	(-)29.54	कम व्यय
1539	भारतीय औषधि प्रणाली (आईएसएम)					
	ओ	1,300.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)104.80	1,195.20	608.46	(-)586.74	कम व्यय
1540	दंत महाविद्यालय, श्रीनगर					
	ओ	1,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	1,000.00	607.47	(-)392.53	कम व्यय
1541	संबद्ध अस्पताल, श्रीनगर					
	ओ	1,800.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)367.00	1,433.00	390.03	(-)1,042.97	कम व्यय
1542	संबद्ध अस्पताल, जम्मू					
	ओ	1,440.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	1,440.00	788.23	(-)651.77	कम व्यय
1543	चिकित्सा संस्थान					
	ओ	4,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	500.00	4,500.00	3,008.17	(-)1,491.83	कम व्यय
1544	झेलम घाटी चिकित्सा महाविद्यालय					
	ओ	2,500.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)280.86	2,219.14	1,301.10	(-)918.04	कम व्यय
2023	सरकारी दंत अस्पताल, जम्मू					
	ओ	1,761.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)1,380.87	380.13	115.40	(-)264.73	कम व्यय
02	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं					
103	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र					
0011	सामान्य					
0515	निर्माण					
	ओ	10,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)3,880.00	6,120.00	135.49	(-)5,984.51	कम व्यय
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
2256	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन					
	ओ	2,640.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	2,640.00	1,725.47	(-)914.53	कम व्यय
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
2256	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन					
	ओ	21,624.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	28,376.00	50,000.00	4,819.24	(-)45,180.76	कम व्यय

अनुदान संख्या 17-(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
4210	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय				
03	चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान				
105	एलोपैथी				
0011	सामान्य				
2453	नये चिकित्सा महाविद्यालय				
	ओ	5,600.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	2,113.50	7,713.50	3,209.55	(-)4,503.95 कम व्यय
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0173	परास्नातक बढ़ाने के लिए जीएमसी का उन्नयन				
	ओ	20.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	880.00	900.00	120.13	(-)779.87 कम व्यय
0177	एमबीबीएस/ स्नातक सीटें बढ़ाने के लिए जीएमसी का उन्नयन				
	ओ	20.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	6,980.00	7,000.00	2,179.52	(-)4,820.48 कम व्यय
2453	नये चिकित्सा महाविद्यालय				
	ओ	49,440.00			निर्माण कार्यों, एमएण्डई, फर्नीचर और
	आर	1,178.00	50,618.00	1,822.32	(-)48,795.68 फर्नीशिंग के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
200	अन्य प्रणालियाँ				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
0192	आयुष योजनाओं का कार्यान्वयन				
	ओ	3,027.00			जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	5,925.00	8,952.00	3,622.99	(-)5,329.01 व्यय
04	जन स्वास्थ्य				
101	रोगों की रोकथाम और नियंत्रण				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
1881	रोगों की रोकथाम और नियंत्रण				
	ओ	15,160.00			निर्माण कार्यों, एमएण्डई के संबंध में
	आर	900.00	16,060.00	1,304.79	(-)14,755.21 प्रावधान के प्रति कम व्यय
107	जन-स्वास्थ्य				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
1538	औषध और खाद्य नियंत्रण				
	ओ	250.00			एमएण्डएस के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	150.00	400.00	88.04	(-)311.96 कम और निर्माण के संबंध में शून्य व्यय
2481	राज्य औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण				
	ओ	300.00			जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	एस	...	300.00	42.84	(-)257.16 व्यय
7	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष के दौरान पूरा प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग			अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
4210	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय				
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं				
200	अन्य स्वास्थ्य योजनाएं				
0011	सामान्य				
2256	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन			129.00	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
2256	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन			1,167.00	

अनुदान संख्या 17-(समाप्त)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)	
4210	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय		
01	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं		
800	अन्य व्यय		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
1539	आई एस एम	500.00	
03	चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान		
105	एलोपैथी		
0011	सामान्य		
1654	एएनएम/एलएचवी/एमटी विद्यालयों का प्रशिक्षण	60.00	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
1654	एएनएम/एलएचवी/एमटी विद्यालयों का प्रशिक्षण	500.00	
200	अन्य प्रणालियाँ		
0011	सामान्य		
0192	आयुष योजनाओं का कार्यान्वयन	700.00	
04	जन स्वास्थ्य		
101	रोगों की रोकथाम और नियंत्रण		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
1530	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	1,283.60	
107	जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
1538	औषध और खाद्य नियंत्रण	339.10	
200	अन्य कार्यक्रम		
0011	सामान्य		
0736	नशा मुक्ति अभियान	1,125.00	
8	निम्नलिखित शीर्ष/योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिये कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये।		
शीर्ष		वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)	
4210	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय		
04	जन स्वास्थ्य		
200	अन्य कार्यक्रम		
0011	सामान्य		
6013	नशा मुक्त भारत अभियान	1.63	

अनुदान संख्या 18-सामाज कल्याण विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2055 पुलिस

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण

2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

2236 पोषण

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
	(₹ हजार में)		
दत्तमत			
मूल	30,04,64.37		
अनुपूरक	..	30,04,64.37	20,95,16.71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			44,54,56

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4236 पोषण पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत				
मूल	1,98,07.23			
अनुपूरक	..	1,98,07.23	91,85.42	(-)1,06,21.81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				74,38,10
टीका एवं टिप्पणियाँ				

राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 3,00,464.37 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 90,947.66 लाख की अंतिम बचत हुई।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं				
105	विशेष जाँच आयोग				
0099	सामान्य				
0502	जम्मू-कश्मीर से सामाजिक और आर्थिक रूप पिछड़े वर्ग				
	ओ	376.09			वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	(-)2.21	373.88	344.27	(-)29.61 और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण				
02	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण				
277	शिक्षा				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
1829	पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति				
	ओ	2,000.00			वृत्तिका और छात्रवृत्ति के संबंध में
	आर	(-)1,177.40	822.60	10.00	(-)812.60 प्रावधान के प्रति कम व्यय
03	पिछड़े वर्ग का कल्याण				
102	आर्थिक विकास				
0099	सामान्य				
1827	अनुसूचित जाति/ जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण				
	ओ	2,280.64			वेतन, पीओएल और वृत्तिका व छात्रवृत्ति
	आर	(-)965.27	1,315.37	580.85	(-)734.52 के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
1828	पहाड़ी भाषी लोगों का कल्याण				
	ओ	2,645.37			वेतन, वृत्तिका और छात्रवृत्ति के संबंध में
	आर	(-)516.92	2,128.45	1,559.14	(-)569.31 प्रावधान के प्रति कम व्यय
2324	अन्य पिछड़े वर्गों का विकास				
	ओ	232.56			वेतन, ओई और बाह्यस्रोतन के संबंध में
	आर	3.57	236.13	97.46	(-)138.67 प्रावधान के प्रति कम व्यय

अनुदान संख्या 18-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
2225	अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण					
03	पिछड़े वर्ग का कल्याण					
277	शिक्षा					
0099	सामान्य					
1094	गुज्जर, बकरवाल छात्रावास मिसकीन बाग श्रीनगर					
	ओ	60.32				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	(-)21.11	39.21	22.30	(-)16.91	व्यय
80	सामान्य					
001	निर्देशन एवं प्रशासन					
0099	सामान्य					
0908	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (पीए)					
	ओ	..				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	500.85	500.85	93.20	(-)407.65	व्यय
800	अन्य व्यय					
0099	सामान्य					
1099	महिला व्यावसायिक केन्द्र, जम्मू					
	ओ	91.92				वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	1.97	93.89	79.24	(-)14.65	और एलटीसी के संबंध में शून्य व्यय
2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण					
01	पुनर्वास					
202	अन्य पुनर्वास योजनाएं					
0099	सामान्य					
2433	जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्वास परिषद					
	ओ	184.07				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	(-)52.52	131.55	110.00	(-)21.55	व्यय
02	सामाजिक कल्याण					
001	निर्देशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
0244	निर्देशन और प्रशासन					
	ओ	110.36				वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	(-)17.87	92.49	22.46	(-)70.03	व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
1092	जिला स्तरीय कार्यालय कश्मीर					
	ओ	3,424.76				वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	(-)4.47	3,420.29	2,826.41	(-)593.88	व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2038	निर्देशन और प्रशासन कश्मीर					
	ओ	501.36				वेतन, जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	47.93	549.29	362.20	(-)187.09	व्यय

अनुदान संख्या 18-(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण				
02	सामाज कल्याण				
001	निदेशन और प्रशासन				
0099	सामान्य				
2039	निदेशन और प्रशासन जम्मू				
	ओ	534.66			वेतन, जीआईए के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)18.08	516.58	465.38	(-)51.20 प्रति कम व्यय
2280	जिला स्तरीय कार्यालय जम्मू				
	ओ	3,953.24			वेतन और राहत व पुनर्वास के संबंध में
	आर	(-)711.22	3,242.02	2,748.62	(-)493.40 प्रावधान के प्रति कम व्यय
101	दिव्यांगों का कल्याण				
0099	सामान्य				
1082	दृष्टिबाधितों के लिए निवासी विद्यालय				
	ओ	100.89			वेतन, आहार शुल्क के संबंध में प्रावधान के
	आर	2.63	103.52	87.09	(-)16.43 प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
102	बाल कल्याण				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
1446	(यशस्वी) अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति				
	ओ	400.00			वृत्तिका और छात्रवृत्ति के संबंध में
	आर	197.75	597.75	67.50	(-)530.25 प्रावधान के प्रति कम व्यय
2447	एकीकृत बाल सुरक्षा योजना				
	ओ	4,382.00			जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	5,133.64	9,515.64	3,534.40	(-)5,981.24 व्यय
2501	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना				
	ओ	3,500.00			जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	732.70	4,232.70	15.53	(-)4,217.17 व्यय
6025	(यशस्वी) अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति				
	ओ	..			वृत्तिका और छात्रवृत्ति के संबंध में
	आर	1,250.75	1,250.75	530.25	(-)720.50 प्रावधान के प्रति कम व्यय
0099	सामान्य				
2044	बाल आश्रम की स्थापना, कश्मीर				
	ओ	421.11			वेतन, एम एंड एस और आहार व्यय के
	आर	(-)59.97	361.14	220.42	(-)140.72 संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
2045	बाल आश्रम की स्थापना, जम्मू				
	ओ	523.17			वेतन और आहार के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)23.68	499.49	393.10	(-)106.39 प्रति कम तथा एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2447	एकीकृत बाल संरक्षण योजना				
	ओ	500.00			जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	835.91	1,335.91	573.96	(-)761.95 व्यय
2501	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना				
	ओ	303.50			जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	166.80	470.30	228.92	(-)241.38 व्यय

अनुदान संख्या 18-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण					
02	सामाज कल्याण					
103	महिला कल्याण					
0099	सामान्य					
2042	निराश्रित और परित्यक्त महिलाओं हेतु आवास नारी निकेतन, कश्मीर					
	ओ	186.09				वेतन, आहार व्यय के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)16.32	169.77	115.55	(-)54.22	प्रति कम व्यय
2043	निराश्रितों हेतु आवास नारी निकेतन, जम्मू					
	ओ	353.28				वेतन, आहार व्यय के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)31.69	321.59	208.65	(-)112.94	प्रति कम व्यय
104	वृद्ध, अशक्त और निराश्रितों का कल्याण					
0099	सामान्य					
1101	वृद्धावस्था पेंशन (ओएपी) (आईएसएसएस), कश्मीर					
	ओ	68,161.53				पेंशन लाभों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)3,513.37	64,648.16	59,164.50	(-)5,483.66	कम व्यय
1109	राज्य सामाज कल्याण बोर्ड					
	ओ	144.56				राज्य अंश के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	0.91	145.47	120.78	(-)24.69	कम व्यय
2282	वृद्धावस्था पेंशन (ओएपी) (आईएसएसएस), जम्मू					
	ओ	57,091.56				पेंशन लाभों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	871.12	57,962.68	43,541.88	(-)14,420.80	कम व्यय
800	अन्य व्यय					
0099	सामान्य					
1113	प्रशिक्षण और अनुसंधान, कश्मीर					
	ओ	30.00				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	एस	..	30.00	20.00	(-)10.00	व्यय
1834	सीमा क्षेत्र परियोजनाओं को राज्य अंश 33%					
	ओ	106.87				राज्य अंश के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	7.09	113.96	106.87	(-)7.09	कम व्यय
03	राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम					
102	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
2387	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना					
	ओ	100.00				पेंशन लाभों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	100.00	77.95	(-)22.05	कम व्यय

अनुदान संख्या 18-(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग					वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)							
2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण							
03	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम							
102	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना							
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना							
2388	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना							
	ओ	6,000.00					पेंशन लाभ के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	(-)1,500.00	4,500.00	3,108.36	(-)1,391.64		कम व्यय	
2389	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना							
	ओ	1,679.00					पेंशन लाभ के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	(-)1,562.10	116.90	16.80	(-)100.10		कम व जीआईए के प्रति शून्य व्यय	
2390	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना							
	ओ	300.00					पेंशन लाभ के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	..	300.00	213.56	(-)86.44		कम व्यय	
0099	सामान्य							
2388	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना							
	ओ	..					पेंशन लाभ के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	12,709.00	12,709.00	12,419.76	(-)289.24		कम व्यय	
2390	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना							
	ओ	..					पेंशन लाभ के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	672.00	672.00	624.36	(-)47.64		कम व्यय	
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम							
800	अन्य व्यय							
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना							
2372	महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन (एनएमईडब्ल्यू)							
	ओ	123.18					जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	(-)43.11	80.07	27.71	(-)52.36		शून्य व्यय	
2236	पोषण							
02	पोषक आहार और पेय पदार्थों का वितरण							
101	विशेष पोषण कार्यक्रम							
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना							
1287	एकीकृत बाल विकास योजना							
	ओ	19,205.24					एम एंड एस के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	(-)91.64	19,113.60	5,264.92	(-)13,848.68		कम व्यय	
1288	राष्ट्रीय पोषण मिशन							
	ओ	53,220.00					जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम	
	आर	(-)12,764.59	40,455.41	23,897.97	(-)16,557.44		और एम एंड एस के प्रति शून्य व्यय	

अनुदान संख्या 18-(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग (र लाख में)					वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
2236	पोषण							
02	पोषक आहार और पेय पदार्थों का वितरण							
101	विशेष पोषण कार्यक्रम							
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना							
1815	पोषण							
	ओ	23,000.00					जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम	
	आर	(-)17,130.92	5,869.08	69.86	(-)5,799.22		व्यय	
2339	किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना							
	ओ	550.00					हैडलिंग और परिवहन शुल्क के संबंध में	
	आर	96.30	646.30	2.60	(-)643.70		प्रावधान/ प्रावधान के प्रति शून्य व्यय	
0099	सामान्य							
1287	एकीकृत बाल विकास योजना							
	ओ	10,456.61					वेतन, आरआरटी, एमएंडई के संबंध में	
	आर	(-)4,646.00	5,810.61	4,612.48	(-)1,198.13		प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय	
1288	आईसीडीएस सामान्य							
	ओ	..					मानदेय के संबंध में प्रावधान के प्रति कम	
	आर	9,633.99	9,633.99	7,445.66	(-)2,188.33		व्यय, और एम एंड एस और ओई के प्रति शून्य व्यय	
3	निम्नलिखित शीर्षा/योजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण प्रावधान पूरे वर्ष अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।							
शीर्ष						कुल अनुदान/ विनियोग (र लाख में)	अभ्युक्तियाँ	
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं							
105	विशेष जाँच आयोग							
0099	सामान्य							
1791	राज्य महिला आयोग					79.57		
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण							
02	अनुसूचित जनजाति का कल्याण							
277	शिक्षा							
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना							
6026	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति					294.00		
0099	सामान्य							
6026	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति					196.00		
80	सामान्य							
001	निदेशन एवं प्रशासन							
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना							
0908	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (पीए)					407.65		
2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण							
02	सामाज कल्याण							
001	निदेशन और प्रशासन							
0099	सामान्य							
2284	दिव्यांगों का कल्याण जम्मू					7.50		
102	बाल कल्याण							
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना							
1829	पोस्ट - मैट्रिक छात्रवृत्ति					50.64		
1830	पोस्ट मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति					100.00		
1832	मेरिट-कम-मीन्स अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति					50.00		
2443	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ					530.00		
0099	सामान्य							
1446	यशस्वी-प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी व डीएनटी छात्रों हेतु					240.80		
2481	राष्ट्रीय क्रेच योजना					48.45		
6025	यशस्वी-पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी व डीएनटी छात्रों हेतु					833.84		

अनुदान संख्या 18-(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग (र लाख में)		अभ्युक्तियाँ
2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		
02	सामाज कल्याण		
103	महिला कल्याण		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2372	महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमईडब्ल्यू)	522.36	
2461	स्वाधर गृह योजना/शक्ति सदन	186.44	
6009	वन स्टॉप केंद्र (ओएससी)	1,231.82	
6010	महिला हेल्प लाइन (डब्ल्यूएचएल)	155.20	
6024	सखी निवास	18.81	
0099	सामान्य		
2461	स्वाधर गृह योजना	20.72	
104	वृद्धों, अशक्तों और निराश्रितों का कल्याण		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
0901	वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	225.00	
0099	सामान्य		
2429	आसरा	42.46	
105	निषेध		
0099	सामान्य		
6013	नशा मुक्त भारत अभियान	466.48	
106	सुधारात्मक सेवाएँ		
0099	सामान्य		
2392	भिक्षकों के लिए गृहों की स्थापना	10.00	
107	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
0909	मदरसों में शिक्षा प्रदान करने के लिए एसपीईएमएम योजना	180.00	
2707	राष्ट्रीय क्रेच योजना/ पालना	387.60	
0099	सामान्य		
0909	मदरसों में शिक्षा प्रदान करने के लिए एसपीईएमएम योजना	20.00	
2707	राष्ट्रीय क्रेच योजना/ पालना	48.45	
2236	पोषण		
02	पोषक आहार और पेय पदार्थों का वितरण		
101	विशेष पोषण कार्यक्रम		
0099	सामान्य		
1815	पोषण	652.12	
2339	राजीव गांधी किशोर बालिका सशक्तिकरण योजना (एसएबीएलए)	71.52	
4	निम्नलिखित शीर्षां/योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिये कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।		
शीर्ष		वास्तविक व्यय (र लाख में)	अभ्युक्तियाँ
2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण		
02	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण		
800	अन्य व्यय		
0099	सामान्य		
1814	जनजातीय उप योजना (एससीए)	2.02	
2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण		
02	सामाज कल्याण		
001	निर्देशन एवं प्रशासन		
0099	सामान्य		
1106	तहसील स्तरीय कार्यालय/ केएमआर	4.49	
102	बाल कल्याण		
0099	सामान्य		
0379	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम	3.47	
103	महिला कल्याण		
0099	सामान्य		
2040	सामाज कल्याण केंद्र, कश्मीर	28.77	

अनुदान संख्या 18-(जारी)

शीर्ष				वास्तविक व्यय		अभ्युक्तियाँ
				(₹ लाख में)		
2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण					
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम					
104	जमा संबद्ध बीमा योजना- सरकारी					
0099	सामान्य					
0313	जमा लिंक बीमा योजना			16.50		
पूँजीगत अनुभाग						
5	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 19,807.23 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ, परिणामस्वरूप ₹ 10,621.81 लाख की अंतिम बचत हुई।					
6	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय					
02	सामाज कल्याण					
101	दिव्यांगों का कल्याण					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
2438	दिव्यांगजनों हेतु योजनाओं का कार्यान्वयन					
	ओ	3,000.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	(-)1,329.53	1670.47	332.26	(-)1,338.21 कम व्यय	
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
1382	राज्य योजना					
	ओ	1,700.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	..	1,700.00	1,335.59	(-)364.41 कम व्यय	
4236	पोषण पर पूँजीगत परिव्यय					
02	पोष्टिक आहार और पेय पदार्थों का वितरण					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
1287	एकीकृत बाल विकास योजनाएं					
	ओ	2,900.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	(-)400.00	2,500.00	2,420.81	(-)79.91 अधिक व्यय	
7	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष के दौरान पूरा प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग			अभ्युक्तियाँ		
	(₹ लाख में)					
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय					
01	अनुसूचित जातियों का कल्याण					
102	आर्थिक विकास					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
2243	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति हेतु विशेष घटक योजना			1,013.00		

अनुदान संख्या 18-(समाप्त)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)	
4235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
02	सामाज कल्याण		
101	दिव्यांगों का कल्याण		
0011	सामान्य		
2438	दिव्यांगों हेतु कार्यान्वयन योजना	6.54	
102	बाल कल्याण		
0011	सामान्य		
2447	एकीकृत बाल संरक्षण योजना	400.00	
8	निम्नलिखित शीर्ष/योजनाओं के अंतर्गत बिना बजटीय प्रावधान के व्यय किया गया; जिसके लिये कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।		
शीर्ष		वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)	
4235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
02	सामाज कल्याण		
102	बाल कल्याण		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2243	छात्रावास/ निदेशक सामाज कल्याण, कश्मीर	17.49	

अनुदान संख्या 19-आवास एवं शहरी विकास विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2217 शहरी विकास

	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
	(₹ हजार में)			
दत्तमत				
मूल	11,37,00,39			
अनुपूरक	1,93,05,73*	13,30,06,12	12,70,35,00	(-)59,71,12
*पूँजीगत भाग से बचत के अभ्यर्पण से संवर्धित राशि को दर्शाता है।				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
..				

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय

4217 शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत						
मूल	31,12,88,20					
अनुपूरक		31,12,88,20	7,80,62,01			(-)23,32,26,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि						8,59,62,21
टीका एवं टिप्पणियाँ						
राजस्व अनुभाग						
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 1,33,006.12 लाख का अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके कारण ₹ 5,971.12 लाख की अंतिम बचत हुई है।					
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(र लाख में)					
2217	शहरी विकास					
03	लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास					
001	निर्देशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
0999	मुख्य कस्बा योजनाकार					
	ओ	640.77				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)72.73	568.04	380.93	(-)187.11	कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
1148	मुख्य वास्तुकार जम्मू एवं कश्मीर					
	ओ	722.97				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)78.34	644.63	488.27	(-)156.36	कम व्यय
1149	मुख्य कस्बा योजनाकार जम्मू					
	ओ	650.16				मुख्यतः वेतन और कार्यालय सामग्री व
	आर	(-)123.67	526.49	423.10	(-)103.39	उपकरणों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
191	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, कस्बा सुधार बोर्डों इत्यादि को सहायता					
0099	सामान्य					
1297	शहरी विकास					
	ओ	97.73				सहायता अनुदान के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)25.92	71.81	63.52	(-)8.29	प्रति कम व्यय
1298	डल विकास					
	ओ	3,400.00				सहायता अनुदान के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)180.49	3,219.51	1,947.85	(-)1,271.66	प्रति कम व्यय
1437	जम्मू नगरपालिका					
	ओ	30,000.00				सहायता अनुदान के संबंध में प्रावधान के
	आर	17,000.00	47,000.00	46,967.16	(-)32.84	प्रति कम व्यय
2401	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन					
	ओ	1,100.00				सहायता अनुदान के संबंध में प्रावधान के
	आर	26.21	1,126.21	1,097.63	(-)28.58	प्रति कम व्यय

अनुदान-19 (जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(र लाख में)				
2217	शहरी विकास					
05	अन्य शहरी विकास योजनाएं					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
1139	निदेशक स्थानीय निकाय जम्मू					
	ओ	357.92				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)28.57	329.35	194.85	(-)134.50	प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
1439	निदेशक स्थानीय निकाय कश्मीर					
	ओ	489.23				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)26.79	462.44	152.87	(-)309.57	प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2289	सीवरेज अपवाह प्रभाग II श्रीनगर					
	ओ	881.96				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)80.14	801.82	714.31	(-)87.51	कम व्यय
2290	यांत्रिक अपवाह प्रभाग श्रीनगर					
	ओ	2,377.23				मुख्यतः वेतन, विद्युत शुल्क के संबंध में
	आर	(-)128.61	2,248.62	2,034.79	(-)213.83	प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति
2291	नगर अपवाह श्रीनगर					
	ओ	1,559.80				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)372.21	1,187.59	1,122.27	(-)65.32	प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2293	सीवरेज और अपवाह प्रभाग (पश्चिम), जम्मू					
	ओ	975.34				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)162.03	813.31	719.33	(-)93.98	कम और एलटीसी और अनुसंधान व
191	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता।					
0099	सामान्य					
0724	श्रीनगर मेट्रो क्षेत्र विकास					
	ओ	1,000.00				सहायता अनुदान के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)348.00	652.00	30.73	(-)621.27	प्रति कम व्यय।
0725	जम्मू मेट्रो क्षेत्र विकास प्राधिकरण					
	ओ	1,000.00				सहायता अनुदान के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)349.00	651.00	3.13	(-)647.87	प्रति कम व्यय।
2034	स्थानीय निकाय संस्थान कश्मीर					
	ओ	19,950.00				सहायता अनुदान के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)238.30	19,711.70	19,469.85	(-)241.85	प्रति कम व्यय।
2035	स्थानीय निकाय संस्थान जम्मू					
	ओ	15,401.00				सहायता अनुदान के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)700.68	14,700.32	13,669.75	(-)1,030.57	प्रति कम व्यय।
80	सामान्य					
001	निदेशन एवं प्रशासन					
0099	सामान्य					
1138	मुख्य अभियंता यूईईडी जम्मू एवं कश्मीर					
	ओ	2,996.28				मुख्यतः वेतन, एम एंड आर के संबंध में
	आर	186.44	3,182.72	2,434.82	(-)747.90	प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
3	बचत आंशिक रूप से निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित थी; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ	
		(र लाख में)				
2217	शहरी विकास					
03	लघु और मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास					
191	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, कस्बा सुधार बोर्डों इत्यादि को सहायता					
0099	सामान्य					
1438	श्रीनगर नगरपालिका					
	ओ	30,000.00				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	5,000.00	35,000.00	35,019.86	(+)19.86	अतिरिक्त व्यय

अनुदान-19 (जारी)

पूँजीगत अनुभाग						
4	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 3,11,288.20 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2,33,226.19 लाख की अंतिम बचत हुई।					
5	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई, जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
			(₹ लाख में)			
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय					
01	सरकारी आवासीय भवन					
700	अन्य आवास					
0011	सामान्य					
0893	अन्य आवास योजनाएं					
	ओ	185.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)9.20	175.80	115.62	(-)60.18	कम व्यय
80	सामान्य					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
3341	नई टाउनशिप/ सामूहिक आवास					
	ओ	15,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)5,000.00	10,000.00	22.55	(-)9,977.45	कम व्यय
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं					
0893	अन्य आवास योजनाएं (पीएमएवाई-यू)					
	ओ	25,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)15,000.00	10,000.00	632.60	(-)9,367.40	कम व्यय
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय					
03	लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास					
051	निर्माण					
0011	सामान्य					
1296	अपवाह					
	ओ	2,714.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	0.50	2,714.50	1,513.10	(-)1,201.40	कम व्यय
1297	शहरी विकास					
	ओ	9,251.20				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)319.51	8,931.69	5,411.01	(-)3,520.68	कम व्यय
1298	डल विकास					
	ओ	37,300.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)29,061.00	8,239.00	3,742.62	(-)4,496.38	कम व्यय
1299	मल-प्रवाह पद्धति और अपवाह					
	ओ	22,210.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	22,210.00	2,785.39	(-)19,424.61	कम व्यय
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं					
3337	मिलान अंश मल-प्रवाह पद्धति					
	ओ	11,064.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	11,064.00	2,466.50	(-)8,597.50	कम व्यय
191	स्थानीय निकाय, निगम, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्ड आदि को सहायता					
0011	सामान्य					
1437	नगरनिगम जम्मू					
	ओ	8,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	8,000.00	5,009.72	(-)2,990.28	कम व्यय
1438	नगरनिगम श्रीनगर					
	ओ	9,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	9,000.00	5,664.27	(-)3,335.73	कम व्यय

अनुदान संख्या 19-(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ
	(र लाख में)				
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
2035	स्थानीय निकाय संस्थाएँ				
	ओ	31,335.00			वित्त आयोग अनुदान के संबंध में प्रावधान
	आर	(-)4,811.00	26,524.00	10,764.72	(-)15,759.28 के प्रति कम व्यय
2428	स्वच्छ भारत मिशन				
	ओ	15,700.00			निर्माण के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	(-)8,700.00	7,000.00	2,021.00	(-)4,979.00 व्यय
3338	स्मार्ट शहर				
	ओ	20,000.00			निर्माण के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	एस	..	20,000.00	16,000.00	(-)4,000.00 व्यय
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं				
2428	स्वच्छ भारत मिशन				
	ओ	15,000.00			निर्माण के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	(-)5,000.00	10,000.00	1,998.00	(-)8,002.00 व्यय
03	छोटे और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास				
800	अन्य व्यय				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं				
3338	स्मार्ट शहर				
	ओ	20,000.00			निर्माण के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	एस	..	20,000.00	11,700.00	(-)8,300.00 व्यय
60	अन्य शहरी विकास योजनाएँ				
051	निर्माण				
0011	सामान्य				
3339	शहरी अनुदान जम्मू				
	ओ	5,000.00			निर्माण के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	एस	..	5,000.00	3,792.12	(-)1,207.88 व्यय
3340	शहरी अनुदान कश्मीर				
	ओ	5,000.00			निर्माण के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	एस	..	5,000.00	2,573.60	(-)2,426.40 व्यय
190	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश				
0011	सामान्य				
1316	परिवहन कार्यशाला की स्थापना				
	ओ	15,000.00			निर्माण के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	(-)3,000.00	12,000.00	1,849.18	(-)10,150.82 व्यय
6	निम्नलिखित शीर्ष/योजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण प्रावधान पूरे वर्ष अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।				
शीर्ष				कुल अनुदान/ विनियोग (र लाख में)	अभ्युक्तियाँ
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय				
03	लघु एवं मध्यम कस्बों का एकीकृत विकास				
051	निर्माण				
0011	सामान्य				
1295	शहर संधारणीय/ अवसंरचना निधि			15,000.00	
2401	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			100.00	
3336	ए एम आर यू टी			1,000.00	
3337	सीसीएस मलप्रवाह-पद्धति			167.00	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
2401	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			2,200.00	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना				
3336	ए एम आर यू टी			10,000.00	
60	अन्य शहरी विकास योजनाएं				
190	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश				
0011	सामान्य				
1301	मास रैपिड ट्रांजिट कापेरिशन कश्मीर			500.00	
1302	मास रैपिड ट्रांजिट कापेरिशन जम्मू			500.00	

अनुदान संख्या 20-पर्यटन विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

3452 पर्यटन

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
	(₹ हजार में)		
दत्तमत			
मूल	2,28,85,18		
अनुपूरक	..	2,28,85,18	1,61,97,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)66,87,21
			11,56,35

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत					
मूल	2,78,95,00				
अनुपूरक	..	2,78,95,00	1,56,13,75		(-)1,22,81,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					..
टीका एवं टिप्पणियाँ					
राजस्व अनुभाग					
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 22,885.18 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6,687.21 लाख की अंतिम बचत हुई।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
3452 पर्यटन					
01 पर्यटक अवसंरचना					
101 पर्यटक केन्द्र					
0099 सामान्य					
1121 निदेशक पर्यटन कश्मीर					
	ओ	519.17			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)52.34	466.83	352.67	(-)114.16 कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2277 निदेशक पर्यटन जम्मू					
	ओ	539.70			मुख्यतः वेतन एवं एमएंडआर के संबंध में
	आर	(-)82.89	456.81	392.51	(-)64.30 प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
102 पर्यटक आवास					
0099 सामान्य					
0474 निदेशक पर्यटन कश्मीर					
	ओ	1,652.48			मुख्यतः वेतन एवं एमएंडआर के संबंध में
	आर	(-)60.36	1,592.12	1,211.41	(-)380.71 प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2278 निदेशक पर्यटन जम्मू					
	ओ	449.17			मुख्यतः वेतन एवं एमएंडआर के संबंध में
	आर	63.27	512.44	358.12	(-)154.32 प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
800 अन्य व्यय					
0099 सामान्य					
0118 पहलगाँव परियोजना संगठन					
	ओ	1,300.00			जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	9.49	1,309.49	1,170.00	(-)139.49 व्यय

अनुदान-20 (जारी)

शीर्ष			कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
			(र लाख में)			
3452	पर्यटन					
01	पर्यटक अवसंरचना					
800	अन्य व्यय					
0099	सामान्य					
0650	पटनीटॉप विकास प्राधिकरण					
	ओ	250.00				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	50.00	300.00	250.00	(-)50.00	व्यय
1120	कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स					
	ओ	1,760.95				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	67.12	1,828.07	1,758.15	(-)69.92	व्यय
1127	गुलमर्ग परियोजना संगठन					
	ओ	880.45				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	एस	..	880.45	744.83	(-)135.62	व्यय
1232	सोनमर्ग विकास प्राधिकरण					
	ओ	220.30				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	29.70	250.00	220.30	(-)29.70	व्यय
80	सामान्य					
001	निदेशन एवं प्रशासन					
0099	सामान्य					
0312	निदेशन और प्रशासन					
	ओ	4,500.00				अमरनाथ यात्रा के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और विज्ञापन तथा प्रचार के प्रति शून्य व्यय
	आर	(-)451.50	4,048.50	1,636.81	(-)2,411.69	
2183	निदेशक पर्यटन जम्मू					
	ओ	2,292.55				मुख्यतः विज्ञापन व प्रचार एवं एमएंडआर के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
	आर	(-)306.11	1,986.44	1,534.42	(-)452.02	
2184	निदेशक पर्यटन कश्मीर					
	ओ	3,530.96				मुख्यतः विज्ञापन व प्रचार एवं एमएंडआर के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
	आर	(-)320.35	3,210.61	2,574.84	(-)635.77	
104	प्रोत्साहन और प्रचार					
0099	सामान्य					
1115	निदेशक पर्यटन कश्मीर					
	ओ	539.14				मुख्यतः वेतन व एमआर के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
	आर	(-)38.49	500.65	367.90	(-)132.75	
2279	निदेशक पर्यटन जम्मू					
	ओ	153.31				मुख्यतः वेतन व एमआर के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
	आर	(-)23.47	129.84	93.94	(-)35.90	
800	अन्य व्यय					
0099	सामान्य					
2091	कोकरनाग विकास प्राधिकरण					
	ओ	175.00				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	5.00	180.00	151.25	(-)28.75	
2198	नवीन विकास प्राधिकरण					
	ओ	3,272.00				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	(-)145.42	3,126.58	2,565.50	(-)561.08	

अनुदान-20 (जारी)

पूँजीगत अनुभाग						
3	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 27,895.00 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12,281.25 लाख की अंतिम बचत हुई।					
4	निम्नलिखित शीर्षा/योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय					
80	सामान्य					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
0457	पर्यटन विभाग					
	ओ	2,000.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	..	2,000.00	156.90	(-)1,843.10	कम व्यय
0646	एस के आई सी सी/एसकेआईजीआई					
	ओ	175.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	..	175.00	94.11	(-)80.89	कम व्यय
0650	पटनीटॉप विकास प्राधिकरण					
	ओ	500.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	..	500.00	467.45	(-)32.55	शून्य व्यय
0651	पर्यटन विकास निगम					
	ओ	1,500.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	..	1,500.00	682.42	(-)817.59	कम व्यय
0652	पर्यटन कार्य योजना					
	ओ	7,000.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	(-)3,270.00	3,730.00	1,722.81	(-)2,007.19	कम व्यय
1115	पर्यटन निदेशक, कश्मीर					
	ओ	3,400.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	..	3,400.00	1,774.20	(-)1,625.80	कम व्यय
1232	सोनमर्ग विकास प्राधिकरण					
	ओ	900.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	..	900.00	241.98	(-)658.02	कम व्यय
1891	पहलगाम विकास प्राधिकरण					
	ओ	800.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	..	800.00	445.78	(-)354.22	कम व्यय
1892	गुलमर्ग विकास प्राधिकरण					
	ओ	1,000.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	..	1,000.00	502.66	(-)497.34	कम व्यय
1932	रोयल स्प्रिंग गोल्फ मैदान					
	ओ	400.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	..	400.00	276.92	(-)123.08	कम व्यय
2091	कोकरनाग विकास प्राधिकरण					
	ओ	400.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	..	400.00	227.94	(-)172.06	कम व्यय
2183	निदेशक पर्यटन जम्मू					
	ओ	3,400.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	एस	..	3,400.00	2,095.38	(-)1,304.62	कम व्यय

अनुदान संख्या 20-(समाप्त)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय					
80	सामान्य					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
2198	अन्य विकास प्राधिकरण					
	ओ	3,500.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	3,500.00	1,752.96	(-)1,747.04	कम व्यय
2403	जम्मू तवी गोल्फ मैदान					
	ओ	270.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	270.00	240.15	(-)29.85	कम व्यय
2405	कश्मीर गोल्फ मैदान					
	ओ	150.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	150.00	112.50	(-)37.50	कम व्यय
2406	श्री अमर नाथ यात्रा					
	ओ	2,500.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	3,270.00	5,770.00	4,819.60	(-)950.40	कम व्यय

अनुदान संख्या 21-वन विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2402 मृदा एवं जल संरक्षण

2406 वानिकी और वन्य जीवन

3435 ऊर्जा और पर्यावरण

	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
	(₹ हजार में)			
दत्तमत				
मूल	16,88,42,93			
अनुपूरक	..	16,88,42,93	12,48,00,61	(-)4,40,42,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,38,92,15

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4402 मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय

4406 वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय

5425 अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत						
मूल	2,00,76.09					
अनुपूरक	..		2,00,76,09	65,64,12	(-)1,35,11,97	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि						61,53,31
टीका एवं टिप्पणियाँ						
राजस्व अनुभाग						
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 1,68,842.93 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4,40,42.32 लाख की अंतिम बचत हुई।					
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
		(₹ लाख में)				
2402	मृदा एवं जल संरक्षण					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
1443	मृदा संरक्षण निदेशालय					
	ओ	4,665.31			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	87.32	4,752.63	4,301.04	(-)451.59	कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
102	मृदा संरक्षण					
0099	सामान्य					
0355	वाटरशेड आधार पर मृदा एवं जल संरक्षण					
	ओ	2,550.41			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति	
	आर	(-)532.04	2,018.37	1,514.60	(-)503.77	कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2406	वानिकी और वन्य जीवन					
01	वानिकी					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
0349	प्रधान मुख्य संरक्षक					
	ओ	69,331.25			मुख्यतः वेतन, वाहन की खरीद और	
	आर	(-)10,859.03	58,472.22	47,505.12	(-)10,967.10	आउटसोर्सिंग/ अतिरिक्तता के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय

अनुदान संख्या-21(जारी)

शीर्ष	अनुदान सख्या-21(आर)					अभ्युक्तियाँ
	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)			
	(र लाख में)					
2406	वानिकी और वन्य जीवन					
01	वानिकी					
004	अनुसंधान					
0099	सामान्य					
2177	निदेशक राज्य वन अनुसंधान संस्थान					
	ओ	1,652.75				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	55.65	1,708.40	1,507.28	(-)201.12	कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
101	वन संरक्षण, विकास और पुनर्सृजन					
0099	सामान्य					
0352	वन संरक्षण और विकास					
	ओ	43.00				मुख्यतः एम एंड एस और आग से सुरक्षा
	एस	..	43.00	36.08	(-)6.92	के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
102	सामाजिक और फार्म वानिकी					
0099	सामान्य					
2175	निदेशक वन सुरक्षा बल					
	ओ	15,809.28				मुख्यतः वेतन, टैड, वर्दी और चिकित्सा
	आर	37.66	15,846.94	14,344.13	(-)1,502.81	प्रतिपूर्ति के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
2176	निदेशक सामाजिक वानिकी					
	ओ	12,702.67				मुख्यतः वेतन, आरआरटी के संबंध में
	आर	(-)858.74	11,843.93	11,640.32	(-)203.61	प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
105	वन उत्पाद					
0099	सामान्य					
0358	वन उत्पाद					
	ओ	574.00				मुख्यतः राल और जलाऊ लकड़ी के संबंध
	एस	..	574.00	428.15	(-)145.85	में प्रावधान के प्रति कम व्यय
02	पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन					
110	वन्य जीवन परिरक्षण					
0099	सामान्य					
0351	पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन					
	ओ	5,945.19				मुख्यतः वेतन व एमएंडएस के संबंध में
	आर	557.55	6,502.74	4,745.10	(-)1,757.64	प्रावधान के प्रति कम व्यय
04	वनरोपण और पारिस्थितिकी					
103	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण (एससीए)					
0099	सामान्य					
2900	प्रतिपूरक वनरोपण					
	ओ	2,587.00				मुख्यतः एम एंड एस और निर्माण के संबंध
	आर	(-)1,170.23	1,416.77	957.01	(-)459.76	में प्रावधान के प्रति कम व्यय
2901	अतिरिक्त प्रतिपूरक वनरोपण					
	ओ	277.68				मुख्यतः एम एंड एस और निर्माण के संबंध
	आर	(-)25.78	251.90	73.71	(-)178.19	में प्रावधान के प्रति कम व्यय
2903	वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य					
	ओ	22,501.00				मुख्यतः एम एंड एस, एम एंड आर,
	आर	712.21	23,213.21	14,123.09	(-)9,090.12	अनुसंधान एवं सर्वेक्षण और निर्माण के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
2904	संरक्षित क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव, अभयारण्य) आदि					
	ओ	4,935.00				मुख्यतः प्रशिक्षण, एम एंड आर, अनुसंधान
	आर	(-)1,120.00	3,815.00	1,976.10	(-)1,838.90	और सर्वेक्षण, हथियार और गोला बारूद और निर्माण के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय

अनुदान संख्या-21(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2406	वनिकी एवं वन्य जीवन				
04	वनरोपण और पारिस्थितिकी				
103	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण (एससीए)				
0099	सामान्य				
2905	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना				
	ओ	300.00			निर्माण कार्य एवं एम एंड एस के संबंध में
	एस	..	300.00	73.99	(-)226.01 प्रावधान के प्रति कम व्यय
2906	ब्याज				
	ओ	250.00			अभिरक्षण के बाह्यस्रोतन, निर्माण और
	आर	440.00	690.00	184.70	(-)505.30 विज्ञापन एवं प्रचार के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
2907	एकीकृत वन्य जीवन प्रबंधन योजना				
	ओ	1,685.00			अभिरक्षण के बाह्यस्रोतन, निर्माण और
	आर	(-)274.25	1,410.75	406.69	(-)1,004.06 विज्ञापन एवं प्रचार के संबंध में प्रावधान के प्रति कम एवं एमएंडएस के प्रति शून्य व्यय
3435	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण				
04	प्रदूषण का नियंत्रण एवं बचाव				
103	वायू एवं जल प्रदूषण से बचाव				
0099	सामान्य				
2152	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड				
	ओ	4,343.83			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)809.60	3,534.23	2,530.86	(-)1,003.37 कम व्यय
2179	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण और सूक्ष्म संवेदन (रिमोट सेंसिंग) निदेशक				
	ओ	1,074.85			मुख्यतः वेतन, टीई के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)113.73	961.12	876.92	(-)84.20 प्रति कम और पेशावर व विशिष्ट सेवा शुल्कों के प्रति शून्य व्यय
2353	जल एवं वायू प्रदूषण अपील प्रधिकरण				
	ओ	44.11			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)3.85	40.26	27.33	(-)12.93 कम व्यय
3	बचत आंशिक रूप से निम्नलिखित शीर्ष/योजना के अंतर्गत आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित थी; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2406	वनिकी एवं वन्य जीवन				
04	वनिकी				
001	निर्देशन और प्रशासन				
0099	सामान्य				
1312	राज्य वन निगम को अनुदान				
	ओ	17,500.00			जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	..	17,500.00	17,524.00	(+)24.00 अधिक व्यय

अनुदान संख्या-21(जारी)

पूँजीगत अनुभाग						
4	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 20,076.09 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13,511.97 लाख की अंतिम बचत हुई।					
5	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई, जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
4402	मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय					
102	मृदा संरक्षण					
0011	सामान्य					
0266	मृदा संरक्षण (कश्मीर)					
	ओ	800.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)123.23	676.77	528.84	(-)147.93	कम व्यय
4406	वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय					
01	वानिकी					
101	वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन					
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
0200	वन क्षेत्रीय (ग्रीन इंडिया मिशन)					
	ओ	5,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)2,403.00	2,597.00	649.00	(-)1,948.00	कम व्यय
102	वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन					
0011	सामान्य					
2176	निदेशक सामाजिक वानिकी					
	ओ	900.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	24.20	924.20	733.58	(-)190.62	कम व्यय
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
0200	वन क्षेत्र					
	ओ	2,500.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	2,500.00	1,409.92	(-)1,090.08	कम व्यय
0213	वन्य जीवन परिरक्षण					
	ओ	500.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	500.00	406.11	(-)93.89	कम व्यय
0434	बुलर झील के संरक्षण के लिए कार्य योजना					
	ओ	6,225.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)1,976.99	4,248.01	2,030.26	(-)2,217.75	कम व्यय
2175	निदेशक वन सुरक्षा बल					
	ओ	450.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)11.41	438.59	345.55	(-)93.04	कम व्यय
2177	निदेशक राज्य वन अनुसंधान संस्थान					
	ओ	165.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	165.00	106.72	(-)58.28	कम व्यय
02	पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन					
110	वन्यजीव					
0031	सामान्य					
0213	वन्य जीवन संरक्षण					
	ओ	872.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)171.00	701.00	54.61	(-)646.39	कम व्यय

अनुदान संख्या-21(समाप्त)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
5425	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय					
208	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण					
0011	सामान्य					
2152	जम्मू एवं कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड					
	ओ	150.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	62.60	212.60	58.83	(-)153.77	कम व्यय
2153	निदेशक पारिस्थितिकी, पर्यावरण और सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग)					
	ओ	400.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)23.37	376.63	240.69	(-)135.94	कम व्यय
6	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष के दौरान पूरा प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये।					
शीर्ष				कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ	
				(₹ लाख में)		
4406	वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय					
01	वानिकी					
101	वन संरक्षण, विकास और पुनर्सृजन					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
0201	आगजनी हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना			58.98		
800	अन्य व्यय					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
2295	होकरसर/ सुरिसर/ मानसर/ पैंगोंग			171.00		
02	पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन					
110	वन्य जीवन					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
0900	नगर वन योजना			353.00		

अनुदान संख्या 22-सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2700 मुख्य सिंचाई

2701 मध्यम सिंचाई

2702 लघु सिंचाई

2711 बाढ़ नियंत्रण और अपवाह

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
	(₹ हजार में)		
दत्तमत			
मूल	8,10,28,76		
अनुपूरक	..	8,10,28,76	6,09,35,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)2,00,93,16
			1,18,03,85

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत					
मूल	12,37,68,83				
अनुपूरक	1,72,30,63*	14,09,99,46	2,38,67,98	(-)11,71,31,48	
*राजस्व भाग से ₹ 1,18,03,85 हजार बचत के अभ्यर्पण से संवर्धित एवं ₹ 54,26,78 हजार अनुपूरक सम्मिलित हैं।					
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					..
टीका एवं टिप्पणियाँ					
राजस्व अनुभाग					
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 81,028.76 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2,0093.16 लाख की अंतिम बचत हुई।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
2700 मुख्य सिंचाई					
01 मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक					
001 निदेशन और प्रशासन					
0099 सामान्य					
0855 सिंचाई, जम्मू					
	ओ	1,239.70			मुख्यतः वेतन, एम एंड आर के संबंध में
	आर	(-)189.45	1,050.25	838.93	प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2701 मध्यम सिंचाई					
04 मध्यम सिंचाई- गैर-वाणिज्यिक					
001 निदेशन और प्रशासन					
0099 सामान्य					
0849 सिंचाई, कश्मीर					
	ओ	6,238.64			मुख्यतः वेतन, एम एंड आर के संबंध में
	आर	(-)1,127.04	5,111.60	4,047.90	प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0855 सिंचाई जम्मू					
	ओ	2,035.56			मुख्यतः वेतन, विद्युत शुल्क एम एंड आर
	आर	(-)414.86	1,620.70	1,366.53	के संबंध में प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय

अनुदान संख्या-22 (जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(र लाख में)				
2701	मध्यम सिंचाई					
04	मध्यम सिंचाई- गैर-वाणिज्यिक					
612	तवी लिफ्ट सिंचाई					
0099	सामान्य					
0858	मंडलीय और उप मंडलीय कार्यालय (जम्मू)					
	ओ	1,810.60				मुख्यतः विद्युत शुल्कों, एमएंडई व
	आर	(-)152.60	1,658.00	1,220.08	(-)437.92	एमएंडआर के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
80	सामान्य					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
2360	राज्य जल संसाधन विनियामक प्राधिकरण					
	ओ	661.88				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)82.55	579.33	423.26	(-)156.07	कम व्यय और पेशावर एवं विशेष सेवा शुल्क के प्रति शून्य व्यय
2702	लघु सिंचाई					
80	सामान्य					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
0342	मंडलीय और उप मंडलीय कार्यालय सिंचाई जम्मू					
	ओ	16,609.72				मुख्यतः वेतन, विद्युत शुल्कों,
	आर	(-)2,664.71	13,945.01	12,340.89	(-)1,604.12	एमएण्डआर के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0845	रावी तवी सिंचाई कॉम्प्लेक्स जम्मू					
	ओ	4,786.92				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)1,107.51	3,679.41	3,219.03	(-)460.38	कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
1448	मंडलीय और उप मंडलीय कार्यालय सिंचाई कश्मीर					
	ओ	31,880.26				मुख्यतः वेतन, एमएण्डई, एमएंडआर,
	आर	(-)3,966.75	27,913.51	25,744.62	(-)2,168.89	विद्युत शुल्कों,एमएण्डआर के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2357	हलका पंचायत					
	ओ	63.00				मुख्यतः एमएण्डआर के संबंध में प्रावधान
	एस	..	63.00	30.80	(-)32.20	के प्रति कम व्यय
2711	बाढ़ नियंत्रण और अपवाह					
01	बाढ़ नियंत्रण					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
0858	मंडलीय और उप मंडलीय कार्यालय (जम्मू)					
	ओ	5,120.40				मुख्यतः वेतन, एमएण्डआर के संबंध में
	आर	(-)973.30	4,147.10	3,569.10	(-)578.00	प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
1449	बाढ़ नियंत्रण विभाग, कश्मीर					
	ओ	10,576.08				मुख्यतः वेतन, एमएण्डआर, चिकित्सा
	आर	(-)1,125.08	9,451.00	8,172.20	(-)1,278.80	प्रतिपूर्ति के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय

अनुदान संख्या-22 (जारी)

पूँजीगत अनुभाग						
3	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 5,426.78 लाख का अनुपूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय ₹ 1,23,768.83 लाख के मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11,71,31.48 लाख की अंतिम बचत हुई।					
4	निम्नलिखित शीर्षा/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
4701	पूँजीगत परिव्यय पर मध्यम सिंचाई					
04	मध्यम सिंचाई					
001	निर्देशन और प्रशासन					
0011	सामान्य					
0435	सिंचाई कश्मीर					
	ओ	4,895.75				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	4,895.75	1,123.88	(-)3,771.87	कम व्यय
0855	सिंचाई जम्मू					
	ओ	4,167.07				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	382.93	4,550.00	1,133.42	(-)3,416.58	कम व्यय
612	रावी तवी सिंचाई योजना					
0011	सामान्य					
0840	सिंचाई आरटीआईसी जम्मू					
	ओ	2,668.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	2,668.00	603.79	(-)2,064.21	कम व्यय
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय					
101	धरातलीय जल					
0011	सामान्य					
1775	लघु सिंचाई, जम्मू					
	ओ	11,629.66				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	45.00	11,674.66	3,011.31	(-)8,663.35	कम व्यय
1776	लघु सिंचाई, कश्मीर					
	ओ	5,061.02				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	1.03	5,062.05	979.99	(-)4,082.06	कम व्यय
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय					
01	बाढ़ नियंत्रण					
103	सिविल निर्माण					
0011	सामान्य					
1166	बाढ़ पुनर्स्थापन कार्य					
	ओ	45,500.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	4,997.82				कम व्यय
	आर	4,502.18	55,000.00	79.00	(-)54,921.00	
1449	बाढ़ नियंत्रण विभाग, कश्मीर					
	ओ	6,575.33				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	1.67	6,577.00	1,905.07	(-)4,671.93	कम व्यय
1450	बाढ़ नियंत्रण विभाग, जम्मू					
	ओ	9,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)200.00	8,800.00	3,352.34	(-)5,447.66	कम व्यय
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
1449	बाढ़ नियंत्रण विभाग, कश्मीर					
	ओ	4,500.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	7,500.00	12,000.00	11,679.20	(-)320.80	कम व्यय

अनुदान संख्या-22 (समाप्त)

5	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।		
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)	
4701	पूँजीगत परिव्यय पर मध्यम सिंचाई		
04	मध्यम सिंचाई		
612	रवी तवी सिंचाई योजना		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
0840	सिंचाई आरटीआईसी जम्मू	20,00.00	
80	सामान्य		
800	अन्य व्यय		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
0435	सिंचाई कश्मीर	31,32.18	
0855	सिंचाई जम्मू	9,00.00	
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
101	सतही जल		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
1775	लघु सिंचाई जम्मू	9,500.00	
1776	लघु सिंचाई कश्मीर	10,000.00	
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
01	बाढ़ नियंत्रण		
103	नागरिक निर्माण/कार्य		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
1450	बाढ़ नियंत्रण, जम्मू	4,240.00	

अनुदान संख्या 23-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2055 पुलिस

2215 जल आपूर्ति और स्वच्छता

	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
	(₹ हजार में)			
दत्तमत				
मूल	18,05,63,02			
अनुपूरक	1,30,63,57*	19,36,26,59	17,46,35,00	(-)1,89,91,59
*पूँजीगत भाग से बचत के अभ्यर्पण से संवर्धित राशि को दर्शाता है।				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4215 जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत						
मूल	80,51,45,69					
अनुपूरक	..	80,51,45,69		2,08,76,66		(-)78,42,69,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि						55,20,96,99
टीका एवं टिप्पणियाँ						
राजस्व अनुभाग						
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 1,93,626.59 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18,991.59 लाख की अंतिम बचत हुई।					
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(र लाख में)					
2055 पुलिस						
117	आंतरिक सुरक्षा					
0099	सामान्य					
0957	आंतरिक सुरक्षा					
	ओ	110.00				टैकर सेवा के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	30.00	140.00	92.61	(-)47.39	कम व्यय
1002	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कश्मीर					
	ओ	1,006.39				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)878.17	128.22	110.59	(-)17.63	कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2215 जल आपूर्ति और स्वच्छता						
01 जल आपूर्ति						
001 निर्देशन और प्रशासन						
0099 सामान्य						
0878 मिशन निदेशालय जल जीवन मिशन						
	ओ	166.11				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)5.15	160.96	122.37	(-)38.59	कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
1001	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कश्मीर					
	ओ	85,453.20				वेतन, विद्युत शुल्क के संबंध में प्रावधान
	आर	10,213.03	95,666.23	85,005.06	(-)10,661.17	के प्रति कम, और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
1002	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कश्मीर					
	ओ	93,677.32				मुख्यतः वेतन, एम एंड आर और टैकर
	आर	3,778.86	97,456.18	89,631.56	(-)7,824.62	सेवा के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2357 हलका पंचायत						
	ओ	150.00				एम एंड आर के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)75.00	75.00	39.59	(-)35.41	कम व्यय

अनुदान संख्या 23-(समाप्त)

पूँजीगत अनुभाग						
3	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 8,05,145.69 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7,84,269.03 लाख की अंतिम बचत हुई।					
4	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
		(₹ लाख में)				
4215	जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय					
01	जल आपूर्ति					
102	ग्रामीण जल आपूर्ति					
0011	सामान्य					
1001	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कश्मीर					
	ओ	38,712.95				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)13,052.75	25,660.20	14,077.65	(-)11,582.55	कम व्यय
1002	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जम्मू					
	ओ	66,432.50				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)39,044.00	27,388.50	6,799.01	(-)20,589.49	कम व्यय
5	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष के दौरान पूरा प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		अभ्युक्तियाँ		
		(₹ लाख में)				
4215	जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय					
01	जलापूर्ति					
102	ग्रामीण जल आपूर्ति					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
1001	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, कश्मीर			1,00,000.00		
1002	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जम्मू			1,00,000.00		

अनुदान संख्या 24- आतिथ्य तथा प्रोटोकॉल विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2055 पुलिस

2059 लोक निर्माण

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2216 आवास

	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
			(₹ हजार में)	
दत्तमत				
मूल	2,26,55.02			
अनुपूरक	3,35.94	2,29,90.96	1,84,86.68	(-)45,04.28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				21,00

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत					
मूल	51,00.00				
अनुपूरक	21,00*	51,21.00	31,53.44	(-)19,67.56	
*राजस्व भाग से बचत के अभ्यर्पण से संवर्धित राशि को दर्शाता करता है।					
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					..
टीका एवं टिप्पणियाँ					
राजस्व अनुभाग					
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 335.94 लाख का अनुपूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय ₹ 22,655.02 लाख के मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4,504.28 लाख की अंतिम बचत हुई।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
2055	पुलिस				
117	आंतरिक सुरक्षा				
0099	सामान्य				
0464	रेजिडेंट आयुक्त नई दिल्ली				
	ओ	1,324.52			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	235.31			कम व्यय और एलटीसी के संबंध में शून्य
	आर	(-)148.88	1,410.95	1,208.46	(-)202.49 व्यय
1824	निदेशक संपदा				
	ओ	3,000.00			लोज और बोर्डिंग प्रभारों के संबंध में
	एस	50.63	3,050.63	3,005.10	(-)45.53 प्रावधान के प्रति कम व्यय
2059	लोक निर्माण				
80	सामान्य				
103	साज-सज्जा				
0099	सामान्य				
0459	साज-सज्जा				
	ओ	885.23			फर्नीचर और फर्नीशिंग के संबंध में प्रावधान
	एस	50.00	935.23	852.39	(-)82.84 के प्रति कम व्यय
800	अन्य व्यय				
0099	सामान्य				
0464	रेजिडेंट आयुक्त नई दिल्ली				
	ओ	1,729.88			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	138.88			कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
	आर	(-)57.36	1,811.40	1,426.87	(-)384.53
0486	व्यापार अभिकरण मुंबई				
	ओ	152.60			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)10.37	142.23	79.21	(-)63.02 कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य

अनुदान संख्या 24-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(र लाख में)				
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं					
800	अन्य व्यय					
0099	सामान्य					
0790	तौशखाना					
	ओ	71.00				मुख्यतः टीई के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)19.16	51.84	44.29	(-)7.55	कम व्यय
0791	आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग जम्मू					
	ओ	943.66				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	51.03	994.69	782.16	(-)212.53	कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0792	आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग कश्मीर					
	ओ	1,245.10				मुख्यतः वेतन और विद्युत शुल्क के संबंध
	आर	(-)114.65	1,130.45	981.15	(-)149.30	में प्रावधान के प्रति कम व्यय
0793	निदेशक आतिथ्य और प्रोटोकॉल					
	ओ	775.85				मुख्यतः वेतन और एम एंड आर के संबंध
	आर	26.41	802.26	663.40	(-)138.86	में प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय।
2216	आवास					
05	सामान्य पूल आवास					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
0417	संपदा मंडल					
	ओ	3,669.63				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)341.47	3,328.16	3,189.98	(-)138.18	कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0583	उप निदेशक संपदा					
	ओ	3,336.99				मुख्यतः वेतन, फर्नीचर एवं साज-सज्जा के
	आर	(-)407.82	2,929.17	2,574.79	(-)354.38	संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
1824	निदेशक संपदा					
	ओ	1,580.56				मुख्यतः वेतन और एलटीसी के संबंध में
	आर	(-)137.61	1,442.95	934.46	(-)508.49	प्रावधान के प्रति कम व्यय
053	अनुरक्षण और मरम्मत					
0099	सामान्य					
0481	अनुरक्षण और मरम्मत					
	ओ	3,940.00				मुख्यतः एमएण्डआर के संबंध में प्रावधान
	आर	1,000.00	4,940.00	2,744.43	(-)2,195.57	के प्रति कम व्यय
पूँजीगत अनुभाग						
3	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 51,21.00 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 19,67.56 लाख की अंतिम बचत हुई।					
4	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(र लाख में)				
4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय					
60	अन्य भवन					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
0464	प्रधान रेजिडेंट आयुक्त नई दिल्ली					
	ओ	700.00				निर्माण घटक के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	21.00	721.00	659.24	(-)61.76	कम व्यय

अनुदान संख्या 24-(समाप्त)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय					
60	अन्य भवन					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
0793	निदेशक आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल					
	ओ	1,200.00				निर्माण घटक के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	1,200.00	571.33	(-)628.67	कम व्यय
1824	निदेशक संपदा					
	ओ	3,200.00				निर्माण घटक के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	3,200.00	1,922.87	(-)1,277.13	कम व्यय

अनुदान संख्या 25- श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2058 लेखन सामग्री और मुद्रण

2230 श्रम एवं रोजगार

	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
	(₹ हजार में)			
दत्तमत				
मूल	1,08,49,97			
अनुपूरक	..	1,08,49,97	74,08,18	(-)34,41,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,13,21

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4058 लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय

4250 अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत						
मूल	67,57.80					
अनुपूरक	..		67,57.80	10,03.16		(-)57,54,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि						22,86,64
टीका एवं टिप्पणियाँ						
राजस्व अनुभाग						
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 10,849.97 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3,441.79 लाख की अंतिम बचत हुई।					
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
		(₹ लाख में)				
2058	लेखन सामग्री और मुद्रण					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
1625	निदेशक लेखन सामग्री और आपूर्ति					
	ओ	262.51				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)76.96	185.55	63.23	(-)122.32	कम व्यय
101	लेखन सामग्री भण्डारण का क्रय और आपूर्ति					
0099	सामान्य					
1626	लेखन सामग्री डीपो जम्मू					
	ओ	313.04				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)95.65	217.39	73.82	(-)143.57	कम व्यय
1627	लेखन सामग्री डीपो श्रीनगर					
	ओ	296.23				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)81.53	214.70	76.75	(-)137.95	कम व्यय
103	सरकारी पूर्व मुद्रणालय					
0099	सामान्य					
1630	रणबीर सरकारी मुद्रणालय, जम्मू					
	ओ	2,589.36				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)29.73	2,559.63	2,018.52	(-)541.11	कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
1631	सरकारी मुद्रणालय, श्रीनगर					
	ओ	2,171.16				मुख्यतः वेतन, लेखन सामग्री तथा मुद्रण
	आर	(-)296.68	1,874.48	1,740.80	(-)133.68	के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय

अनुदान संख्या 25-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/		वास्तविक	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		विनियोग		व्यय		
		(र लाख में)				
2230	श्रम एवं रोजगार					
01	श्रम					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
1633	श्रम आयुक्त					
	ओ	494.41				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	175.86	670.27	367.51	(-)302.76	कम व्यय और एलटीसी के संबंध में शून्य व्यय
1634	क्षेत्रीय श्रम कार्यालय					
	ओ	1,658.74				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	42.74	1,701.48	1,070.86	(-)630.62	कम व्यय
102	कार्य करने की स्थितियाँ और सुरक्षा					
0099	सामान्य					
1638	कारखाने					
	ओ	225.05				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	12.00	237.05	135.09	(-)101.96	कम व्यय और एलटीसी के संबंध में शून्य व्यय
1639	जिला श्रम कल्याण योजना					
	ओ	127.51				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	17.70	145.21	47.26	(-)97.95	कम व्यय और एलटीसी के संबंध में शून्य व्यय
1640	प्रवासी श्रमिक					
	ओ	124.24				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	12.50	136.74	63.93	(-)72.81	कम व्यय और एलटीसी के संबंध में शून्य व्यय
02	रोजगार सेवा					
001	निदेशन और प्रशासन					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
6022	ई-श्रम पोर्टल पर ई-श्रम पोर्टल श्रमिकों का पंजीकरण					
	ओ	..				मुख्यतः जीआईए के संबंध में प्रावधान के
	आर	50.00	50.00	25.00	(-)25.00	प्रति कम व्यय
0099	सामान्य					
1641	निदेशक रोजगार					
	ओ	1,614.04				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	61.22	1,675.26	1,073.08	(-)602.18	कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
1642	रोजगार कार्यालय					
	ओ	973.68				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	95.32	1,069.00	658.31	(-)410.69	कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय

अनुदान संख्या 25-(समाप्त)

पूँजीगत अनुभाग						
3	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 6,757.80 लाख का प्रावधान अत्यधिक साबित हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5,754.64 लाख की अंतिम बचत हुई।					
4	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
4058	लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय					
103	सरकारी मुद्रणालय					
0011	सामान्य					
1630	सरकारी मुद्रणालय जम्मू					
	ओ	100.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)50.00	50.00	31.44	(-)18.56	कम व्यय
4250	अन्य विशेष सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय					
201	श्रम					
0011	सामान्य					
1903	श्रम					
	ओ	300.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)35.77	264.23	83.55	(-)180.69	कम व्यय
203	रोजगार					
0011	सामान्य					
1642	रोजगार कार्यालय					
	ओ	197.80				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)45.00	152.80	9.71	(-)143.09	कम व्यय
1904	रोजगार					
	ओ	6,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)2,400.00	3,600.00	589.37	(-)3,010.63	कम व्यय
0011	सामान्य					
0722	आधुनिक कैरियर केंद्र					
	ओ	..				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	254.13	254.13	142.25	(-)111.88	कम व्यय

अनुदान संख्या 26-मत्स्यपालन विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2405 मत्स्यपालन

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
	(र हजार में)		
दत्तमत			
मूल	1,19,04,45		
अनुपूरक	..	1,19,04,45	1,07,89,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)11,14,70
			8,33,09

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4405 मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत						
मूल	1,25,80,00					
अनुपूरक	..		1,25,80,00	12,60,88	(-)1,13,19,12	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					7,80,00	
टीका एवं टिप्पणियाँ						
राजस्व अनुभाग						
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 11,904.45 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,114.70 लाख की अंतिम बचत हुई।					
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
2405	मत्स्यपालन					
001	निर्देशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
0997	निर्देशक मत्स्यपालन					
	ओ	11,904.45				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)833.09	11,071.36	10,790.01	(-)281.35	कम और एलटीसी और फर्नीचर और साज-सज्जा के प्रति शून्य व्यय
पूँजीगत अनुभाग						
3	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 12,580.00, लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11,319.12 लाख की अंतिम बचत हुई।					
4	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
4405	मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
0904	भवन निर्माण कार्यक्रम					
	ओ	1,850.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)450.00	1,400.00	508.20	(-)891.80	कम व्यय
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
0910	अंतर्देशीय मत्स्यपालन					
	ओ	1,100.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	1,100.00	752.68	(-)347.32	कम व्यय

अनुदान संख्या 26-(समाप्त)

5	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण प्रावधान पूरे वर्ष अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।		
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)	
4405	मत्स्यपालन पर पूंजीगत परिव्यय		
800	अन्य व्यय		
0011	सामान्य		
2462	नीली क्रांति	300.00	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना		
2462	नीली क्रांति	9,000.00	

अनुदान संख्या 27-उच्चतर शिक्षा विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2202 सामान्य शिक्षा

2203 तकनीकी शिक्षा

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	अधिक्य (+) बचत (-)
	(र हजार में)			
मूल	14,82,66.34			
अनुपूरक	..	14,82,66.34	14,12,91.13	(-)69,75.21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				28,82,38

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत						
मूल		8,62,25,00				
अनुपूरक		..	8,62,25,00	2,22,46.62		(-)6,39,78,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि						1,32,50,00
टीका एवं टिप्पणियाँ						
राजस्व अनुभाग						
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 1,48,266.34 लाख का प्रावधान अत्यधिक साबित हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6,975.21 लाख की अंतिम बचत हुई।					
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
		(₹ लाख में)				
2202	सामान्य शिक्षा					
03	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
2407	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान					
	ओ	396.76				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	(-)32.96	363.80	294.86	(-)68.94	व्यय
102	विश्वविद्यालयों को सहायता					
0099	सामान्य					
2460	क्लस्टर विश्वविद्यालय					
	ओ	1,354.56				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	(-)338.39	1,016.17	938.63	(-)77.54	व्यय
103	सरकारी महाविद्यालय और संस्थान					
0099	सामान्य					
0534	सरकारी डिग्री महाविद्यालय					
	ओ	80,467.68				मुख्यतः वेतन, ओई, सामग्री और आपूर्ति
	आर	(-)3,279.44	77,188.24	65,424.20	(-)11,764.04	और विद्युत शुल्क के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय

अनुदान संख्या 27-(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2202	सामान्य शिक्षा				
03	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा				
103	सरकारी महाविद्यालय और संस्थान				
0099	सामान्य				
2507	प्रधानाचार्य जीसीईटी सफापोरा, गंदरबल				
	ओ	851.28			मुख्यतः वेतन, सामग्री और आपूर्ति के संबंध में प्रावधान के प्रति कम और फर्नीचर और साज-सज्जा के प्रति शून्य व्यय
	आर	(-)127.27	724.01	329.68	
2510	वास्तुकला विद्यालय कश्मीर				
	ओ	214.19			जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	0.81	215.00	18.97	
104	गैर-सरकारी महाविद्यालयों और संस्थानों को सहायता				
0099	सामान्य				
0531	अन्य महाविद्यालयों को सहायता अनुदान				
	ओ	100.00			जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	10.00	110.00	100.00	
2265	विश्वभारती महिला महाविद्यालय, रानीवाड़ी, श्रीनगर				
	ओ	1,000.00			जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	(-)94.00	906.00	350.00	
2203	तकनीकी शिक्षा				
001	निदेशन और प्रशासन				
0099	सामान्य				
2207	प्रधानाचार्य जीसीईटी जम्मू				
	ओ	2,956.61			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
	आर	0.87	2,957.48	2,131.07	
3	निम्नलिखित शीर्ष/योजनाओं के अंतर्गत बचत आंशिक रूप से अधिक होने से प्रतिसंतुलित हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2202	सामान्य शिक्षा				
03	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा				
102	विश्वविद्यालयों को सहायता				
0099	सामान्य				
0549	कश्मीर विश्वविद्यालय को अनुदान				
	ओ	28,000.00			जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति अधिक व्यय
	आर	500.00	28,500.00	33,436.00	
0550	जम्मू विश्वविद्यालय को अनुदान				
	ओ	21,100.00			जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति अधिक व्यय
	आर	400.00	21,500.00	25,016.68	
2238	इस्लामिक विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय अबन्तीपुरा				
	ओ	3,400.00			जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति अधिक व्यय
	आर	100.00	3,500.00	4,006.66	
2361	बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय				
	ओ	2,200.00			जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति अधिक व्यय
	आर	100.00	2,300.00	2,643.15	

अनुदान संख्या 27-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
2202	सामान्य शिक्षा					
03	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा					
102	विश्वविद्यालयों को सहायता					
0099	सामान्य					
2435	श्री माता वैष्णों देवी विश्वविद्यालय					
	ओ	2,200.00				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	100.00	2,300.00	2,584.83	(+)284.83	अधिक व्यय
104	गैर-सरकारी महाविद्यालयों और संस्थानों को सहायता					
0099	सामान्य					
0541	इस्लामिया विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय श्रीनगर					
	ओ	2,744.00				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	56.00	2,800.00	2,854.82	(+)54.82	अधिक व्यय
2264	गाँधी मेमोरियल महाविद्यालय (गैर-प्रवासी) श्रीनगर					
	ओ	1,100.00				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)265.00	835.00	1,089.00	(+)254.00	अधिक व्यय
अधिकता मुख्यतः पिछले वर्षों से संबंधित ओ.बी. उचित के निपटारे के कारण है।						
4	निम्नलिखित शीर्ष/योजना के अंतर्गत संपूर्ण प्रावधान पूरे वर्ष अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।					
शीर्ष				कुल अनुदान/ विनियोग		अभ्युक्तियाँ
				(₹ लाख में)		
2202	सामान्य शिक्षा					
03	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा					
103	सरकारी महाविद्यालय और संस्थान					
0099	सामान्य					
2511	वास्तुकला विद्यालय, कश्मीर				85.90	
पूँजीगत अनुभाग						
5	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 86,225.00 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 63,978.38 लाख की अंतिम बचत हुई।					
6	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय					
01	सामान्य शिक्षा					
203	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा					
0011	सामान्य					
0297	राज्य योजना(प्लान) विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा					
	ओ	60,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)10,000.00	50,000.00	21,066.62	(-)28,933.38	कम व्यय
2407	आर यू एस ए					
	ओ	2,500.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)1,250.00	1,250.00	1,180.00	(-)70.00	कम व्यय

अनुदान संख्या 27-(समाप्त)

7	निम्नलिखित शीर्ष/योजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण प्रावधान पूरे वर्ष अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।		
शीर्ष		वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)	
4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय		
01	सामान्य शिक्षा		
203	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा		
0011	सामान्य		
0515	निर्माण	1,725.00	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना		
2407	आर यू एस ए	20,000.00	

अनुदान संख्या 28-ग्रामीण विकास विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2236 पोषण

2501 ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम

2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
	(₹ हजार में)		
दत्तमत			
मूल	8,15,31,72		
अनुपूरक	..	8,15,31,72	5,83,84,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)2,31,47,18
			64,72,61

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत					
मूल	46,27,85,46				
अनुपूरक	..	46,27,85,46	24,36,38,56		(-)21,91,46,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					2,14,10,68
टीका एवं टिप्पणियाँ					
राजस्व अनुभाग					
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 81,531.72 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 23,147.18 लाख की अंतिम बचत हुई।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।				
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)			
2236	पोषण				
80	सामान्य				
800	अन्य व्यय				
0099	सामान्य				
1839	अनुप्रयुक्त पोषण कार्यक्रम जम्मू				
	ओ	1,135.03			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)270.70	864.33	487.27	(-)377.06 कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2501	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम				
04	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम				
105	योजना कार्यान्वयन				
0099	सामान्य				
0003	आईआरडीपी जम्मू				
	ओ	2,606.10			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)655.27	1,950.83	1,041.58	(-)909.25 कम व्यय
0004	आईआरडीपी कश्मीर				
	ओ	2,398.89			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)616.97	1,781.92	822.93	(-)958.99 कम व्यय

अनुदान संख्या 28-(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2501	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम				
04	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम				
105	योजना कार्यान्वयन				
0099	सामान्य				
0230	ग्रामीण स्वच्छता				
	ओ	417.61			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	5.11	422.72	322.40	(-)100.32 कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम				
001	निदेशन और प्रशासन				
0099	सामान्य				
0029	सहायक आयुक्त विकास (कश्मीर)				
	ओ	416.00			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	130.03	546.03	342.26	(-)203.77 कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0055	कृषि उत्पादन अधिकारी/ बी.डी.ओएस (कश्मीर)				
	ओ	15,449.01			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)1,218.10	14,230.91	11,794.35	(-)2,436.56 कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0105	कृषि उत्पादन अधिकारी/ बी.डी.ओएस (जम्मू)				
	ओ	16,378.10			मुख्यतः वेतन व एम एंड आर के संबंध में
	आर	(-)1,131.06	15,247.04	11,452.49	(-)3,794.55 प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2357	हल्का पंचायत				
	ओ	19.00			मुख्यतः एमएंडआर के संबंध में प्रावधान के
	एस	..	19.00	6.61	(-)12.39 प्रति कम व्यय
101	पंचायती राज				
0099	सामान्य				
1519	पंचायत चुनाव				
	ओ	630.00			मुख्यतः प्रतिकर के संबंध में प्रावधान के
	एस	..	630.00	32.74	(-)597.27 प्रति कम व्यय और आरआरटी और पंचायत चुनावों के प्रति शून्य व्यय
102	सामुदायिक विकास				
0099	सामान्य				
0051	सामुदायिक विकास और पंचायत कश्मीर				
	ओ	17,409.41			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)383.47	17,025.94	15,926.50	(-)1,099.44 कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0109	सहायक आयुक्त विकास, जम्मू				
	ओ	692.42			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	0.99	693.41	556.33	(-)137.08 कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0111	निदेशक ग्रामीण विकास (जम्मू)				
	ओ	426.01			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)79.90	346.11	274.69	(-)71.42 कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0118	निदेशक ग्रामीण विकास (कश्मीर)				
	ओ	479.16			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)62.90	416.26	260.52	(-)155.74 कम और एलटीसी और फर्नीचर व साज-सज्जा के प्रति शून्य व्यय

अनुदान संख्या 28-(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम				
102	सामुदायिक विकास				
0099	सामान्य				
0376	सामुदायिक विकास और पंचायत, जम्मू				
	ओ	8,356.45			मुख्यतः वेतन मानदेय के संबंध में प्रावधान
	आर	(-)1,167.03	7,189.42	6,752.17	(-)437.25 के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति
0574	बैंच मार्क सर्वेक्षण (कश्मीर)				
	ओ	62.81			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)15.15	47.66	22.80	(-)24.86 कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
800	अन्य व्यय				
0099	सामान्य				
0097	ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग (जम्मू)				
	ओ	4,320.38			मुख्यतः वेतन, मानदेय के संबंध में
	आर	(-)565.88	3,754.50	2,371.26	(-)1,383.24 प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी
0487	ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग कश्मीर				
	ओ	1,844.96			मुख्यतः वेतन, मानदेय के संबंध में
	आर	(-)205.84	1,639.12	950.10	(-)689.02 प्रावधान के प्रति कम व्यय
0737	आयुक्त (पंचायत) जम्मू				
	ओ	3,508.11			मुख्यतः वेतन मानदेय के संबंध में प्रावधान
	आर	455.14	3,963.25	3,232.24	(-)731.01 के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य
0738	सहायक आयुक्त (पंचायत) कश्मीर				
	ओ	3,747.64			मुख्यतः वेतन मानदेय के संबंध में प्रावधान
	आर	(-)685.64	3,062.00	1,734.58	(-)1,327.42 के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
3	निम्नलिखित शीर्ष/योजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण प्रावधान पूरे वर्ष अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।				
शीर्ष			वास्तविक व्यय	अभ्युक्तियाँ	
			(₹ लाख में)		
2501	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम				
04	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम				
105	परियोजना कार्यान्वयन				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
1956	डी आर डी ए			1,200.00	
0099	सामान्य				
1956	डी आर डी ए			13.00	
पूँजीगत अनुभाग					
4	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 4,62,785.46 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2,19,146.90 लाख की अंतिम बचत हुई।				
5	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।				
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)			
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय				
101	पंचायती राज				
0011	सामान्य				
0051	सामुदायिक विकास और पंचायत				
	ओ	1,00,000.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	3,000.00	1,03,000.00	89,856.05	(-)13,143.95 कम व्यय

अनुदान संख्या 28-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय					
102	सामुदायिक विकास					
0011	सामान्य					
0230	ग्रामीण स्वच्छता					
	ओ	5,286.41				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	19,902.68	25,189.09	1,970.53	(-)23,218.56	कम व्यय
0384	सामुदायिक विकास, जम्मू					
	ओ	4,500.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	4,500.00	2,449.36	(-)2,050.64	कम व्यय
0704	सामुदायिक विकास, कश्मीर					
	ओ	4,500.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	4,500.00	2,207.88	(-)2,292.12	कम व्यय
0895	जिला विकास परिषदों हेतु अवसंरचना					
	ओ	17,632.32				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)7,800.45	9,831.87	509.75	(-)9,322.12	कम व्यय
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
0230	ग्रामीण स्वच्छता (एसबीएम)					
	ओ	47,577.65				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	1,842.12	49,419.77	17,734.82	(-)31,684.95	कम व्यय
103	ग्रामीण विकास					
0011	सामान्य					
2377	राजीव गाँधी सशक्तिकरण अभियान					
	ओ	3,092.21				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)744.01	2,348.20	444.46	(-)1,903.74	कम व्यय
2468	पी एम ए वाई-जी					
	ओ	13,031.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)112.00	12,919.00	8,909.75	(-)4,009.25	कम व्यय
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
2143	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना					
	ओ	70,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)9,090.00	60,910.00	21,700.00	(-)39,210.00	कम व्यय
2377	राजीव गाँधी सशक्तिकरण अभियान					
	ओ	20,399.42				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	734.38	21,133.80	4,000.00	(-)17,133.80	कम व्यय
2468	पी एम ए वाई					
	ओ	1,17,279.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)1,000.80	1,16,278.20	79,538.90	(-)36,739.30	कम व्यय
2473	हिमायत					
	ओ	18,227.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)16,227.00	2,000.00	58.82	(-)1,941.18	कम व्यय

अनुदान संख्या 28-(समाप्त)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
2376	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन					
	ओ	..				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	2,001.87	2,001.87	500.47	(-)1,501.40	कम व्यय
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
2376	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन					
	ओ	11,839.43				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	6,177.43	18,016.86	12,819.42	(-)5,197.44	कम व्यय
6 निम्नलिखित शीर्ष/योजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण प्रावधान पूरे वर्ष अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।						
शीर्ष				कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ	
				(₹ लाख में)		
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय					
103	ग्रामीण विकास					
0011	सामान्य					
0871	एकीकृत जल शेड विकास				1,274.96	
2496	आरयूआरबीएएन				610.85	
6004	स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी)				27.90	
6005	महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी)				63.50	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
0871	एकीकृत वाटरशेड विकास				5,587.00	
6004	स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी)				251.06	
6005	महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी)				571.50	

अनुदान संख्या 29-परिवहन विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2041 वाहनों पर कर

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
	(₹ हजार में)		
दत्तमत			
मूल	1,17,31,57		
अनुपूरक	..	1,17,31,57	76,26,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)41,04,62
			12,40,74

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय

5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय

7055 सड़क परिवहन हेतु ऋण

दत्तमत						
मूल		65,50.00				
अनुपूरक		..	65,50.00	15,75.81		(-) 49,74,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि						20,50,00
टीका एवं टिप्पणियाँ						
राजस्व अनुभाग						
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 11,731.57 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4,104.62 लाख की बचत हुई।					
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
		(₹ लाख में)				
2041	वाहनों पर कर					
001	निर्देशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
0378	परिवहन आयुक्त कार्यालय					
	ओ	3,735.55				वेतन और जीआईए के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)532.06	3,203.49	1,356.32	(-)1,847.17	प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
101	संग्रहण प्रभार					
0099	सामान्य					
0373	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कश्मीर					
	ओ	1,147.88				वेतन, आरआरटी के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)39.13	1,108.75	802.59	(-)306.16	प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
0395	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जम्मू					
	ओ	907.78				वेतन, टेलीफोन के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)107.75	800.03	759.13	(-)40.90	प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं					
114	परिवहन का क्रय और अनुरक्षण					
0099	सामान्य					
0393	जम्मू एवं कश्मीर मोटर गैराज					
	ओ	5,940.36				वेतन, आरआरटी के संबंध में प्रावधान के
	आर	(-)561.80	5,378.56	4,708.91	(-)669.65	प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय

अनुदान संख्या 29-(समाप्त)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
पूँजीगत अनुभाग						
3	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 6,550.00 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4,974.19 लाख की अंतिम बचत हुई।					
4	निम्नलिखित शीर्षा/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय					
60	अन्य भवन					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
0255	राज्य मोटर गैराज					
	ओ	650.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	650.00	553.64	(-)96.36	कम व्यय
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
0378	परिवहन आयुक्त कार्यालय					
	ओ	200.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)50.00	150.00	72.17	(-)77.83	कम व्यय
7055	सड़क परिवहन हेतु ऋण					
190	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण					
0099	सामान्य					
0381	जम्मू एवं कश्मीर सड़क परिवहन निगम को ऋण					
	ओ	3,000.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	3,000.00	750.00	(-)2,250.00	कम व्यय
5	निम्नलिखित शीर्षा/ योजना के अंतर्गत संपूर्ण प्रावधान पूरे वर्ष अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।					
शीर्ष					कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ
					(₹ लाख में)	
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय					
102	बेड़े का अधिग्रहण					
0011	सामान्य					
1317	पुराने बेड़े के प्रतिस्थापन के लिए सहायिकी				500.00	

अनुदान संख्या 30-जनजातीय मामले विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण

	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
	(₹ हजार में)			
दत्तमत				
मूल	1,35,10,09			
अनुपूरक	..	1,35,10,09	64,85,83	(-)70,24,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,80,45

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत				
मूल	2,82,22,95			
अनुपूरक	1,50,55,94*	4,32,78,89	80,35,12	(-)3,52,43,77
*राजस्व भाग से ₹ 1,47,75,49 हजार अनुपूरक और ₹ 2,80,45 हजार संवर्धित शामिल हैं।				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका एवं टिप्पणियाँ				

राजस्व अनुभाग

1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 13,510.09 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7,024.26 लाख की अंतिम बचत हुई।			
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।			
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)
			(₹ लाख में)	

2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02	अनुसूचित जनजाति का कल्याण			
277	शिक्षा			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
1829	उत्तर माध्यमिक छात्रवृत्ति			
	ओ	4,000.00		वृत्तिका और छात्रवृत्ति के संबंध में
	एस	..	4,000.00	प्रावधान के प्रति कम व्यय
800	अन्य व्यय			
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
1814	जनजातीय उपयोजना (एससीए)			
	ओ	1,600.00		शिविरों, सेमिनारों व सम्मेलन, उत्सव के
	आर	(-)800.00	800.00	संबंध में प्रावधान के प्रति कम और जीआईए और अनुसंधान/ सर्वेक्षण के प्रति शून्य व्यय
1827	अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण			
	ओ	184.00		शिविरों, सेमिनारों व सम्मेलन, उत्सव के
	आर	750.00	934.00	संबंध में प्रावधान के प्रति कम और जीआईए और अनुसंधान/ सर्वेक्षण के प्रति शून्य व्यय
03	पिछड़े वर्गों का कल्याण			
102	आर्थिक विकास			
0099	सामान्य			
0442	गुज्जर और बकरवालों के लिए सलाहकार बोर्ड			
	ओ	142.31		मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)0.70	141.61	कम व्यय

अनुदान संख्या 30-(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(र लाख में)				
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण				
03	पिछड़े वर्गों का कल्याण				
102	आर्थिक विकास				
0099	सामान्य				
0442	गुज्जर और बकरवालों के लिए सलाहकार मंडल				
	ओ	4,944.97			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)168.60	4,776.37	3,989.15	(-)787.22 कम व्यय
1796	गुज्जर और बकरवालों का कल्याण				
	ओ	4,944.97			मुख्यतः वेतन, आरआरटी, वृत्तिका और
	आर	(-)168.60	4,776.37	3,989.15	(-)787.22 छात्रवृत्ति के संबंध में प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2253	निदेशक जनजातीय मामले				
	ओ	854.81			मुख्यतः वेतन, आरआरटी, वृत्तिका और
	आर	776.85	1,631.66	1,058.04	(-)573.62 छात्रवृत्ति के संबंध में प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत संपूर्ण प्रावधान पूरे वर्ष अप्रयुक्त रहा है; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।				
शीर्ष				वास्तविक व्यय (र लाख में)	अभ्युक्तियाँ
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण				
02	अनुसूचित जनजाति का कल्याण				
277	शिक्षा				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
1444	अल्पसंख्यक समुदाय हेतु प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति			946.00	
पूँजीगत अनुभाग					
4	पूँजीगत दल्लत भाग में ₹ 14,775.49 लाख का अनुपूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय ₹ 28,222.95 लाख के मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 35,243.77 लाख की अंतिम बचत हुई ।				
5	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(र लाख में)			
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय				
02	अनुसूचित जनजाति का कल्याण				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
0896	जनजातियों के कल्याण हेतु अवसंरचना				
	ओ	10,000.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)1,400.00	8,600.00	3,522.39	(-)5,077.61 कम व्यय
1814	जनजातीय उप योजना				
	ओ	904.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	904.00	561.56	(-)342.44 कम व्यय
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
1814	जनजातीय उप योजना				
	ओ	6,645.22			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	14,775.49			कम व्यय
	आर	1,680.45	23,101.16	1,141.54	(-)21,959.62
1827	अनुसूचित जाति/ जनजाति का कल्याण जम्मू				
	ओ	127.73			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	127.73	111.62	(-)16.11 कम व्यय
2518	एससीए टीओ टीएसपी				
	ओ	10,546.00			निर्माण के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	एस	..	10,546.00	2,698.02	(-)7,847.98 और एम एंड एस, एम एंड ई और निर्माण कार्यों(कंस्ट्रक्शन) के प्रति शून्य व्यय

अनुदान संख्या 31-संस्कृति विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2202 सामान्य शिक्षा

2205 कला और संस्कृति

3452 पर्यटन

3454 जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
	(₹ हजार में)		
दत्तमत			
मूल	67,35,34		
अनुपूरक	12,14,12*	79,49,46	59,56,23
*पूँजीगत भाग से बचत के अभ्यर्पण से संबंधित राशि को दर्शाता है।			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत					
मूल	3,25,82,16				
अनुपूरक	..	3,25,82,16	10,48,83		(-)3,15,33,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					2,01,69,50
टीका एवं टिप्पणियाँ	राजस्व अनुभाग				
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 7,949.46 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,993.23 लाख की अंतिम बचत हुई।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)				
2202 सामान्य शिक्षा					
80 सामान्य					
004 अनुसंधान					
0099 सामान्य					
0278 अनुसंधान और प्रकाशन (कश्मीर)					
	ओ	542.98			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)77.42	465.56	329.19	(-)136.37 कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2205 कला और संस्कृति					
102 कला और संस्कृति का संवर्धन					
0099 सामान्य					
0117 कला, संस्कृति और संग्रहालय					
	ओ	..			उत्सव के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	1,500.00	1,500.00	400.00	(-)1,100.00 व्यय
104 अभिलेखागार					
0099 सामान्य					
0272 अभिलेखागारों का विकास					
	ओ	1,300.31			मुख्यतः वेतन, एम एंड एस और टीई के
	आर	(-)157.60	1,142.71	1,018.37	(-)124.34 संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
105 सार्वजनिक पुस्तकालय					
0099 सामान्य					
0221 सरकारी पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष, जम्मू					
	ओ	1,964.09			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	77.94	2,042.03	1,557.98	(-)484.05 कम व्यय, और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय

अनुदान संख्या 31-(समाप्त)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
3452	पर्यटन					
01	पर्यटक अवसरचना					
800	अन्य व्यय					
0099	सामान्य					
2299	मुबारक मण्डी, जम्मू हैरिटेज सोसाइटी					
	ओ	260.00				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	एस	..	260.00	111.53	(-)148.47	व्यय
पूँजीगत अनुभाग						
3	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 32,582.16 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 31,533.33 लाख की अंतिम बचत हुई।					
4	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय					
04	कला और संस्कृति					
101	ललित कला शिक्षा					
0011	सामान्य					
0117	कला एवं संस्कृति					
	ओ	20,587.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)20,000.00	587.00	37.03	(-)549.97	कम व्यय
104	अभिलेखागार					
0011	सामान्य					
0272	अभिलेखागार का विकास					
	ओ	10,600.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	10,600.00	654.85	(-)9,945.15	कम व्यय
105	सार्वजनिक पुस्तकालय					
0011	सामान्य					
1890	पुस्तकालय निदेशालय					
	ओ	895.16				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	895.16	356.95	(-)538.21	कम व्यय
5	पूरे वर्ष के दौरान निम्नलिखित शीर्षों/ योजना के अंतर्गत पूरा प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये।					
शीर्ष					कल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ
					(₹ लाख में)	
4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय					
04	कला और संस्कृति					
106	संग्रहालय					
0011	सामान्य					
0117	कला और संस्कृति				138.88	
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजना					
0117	कला, संस्कृति और संग्रहालय				191.62	

अनुदान संख्या 32-उद्यान कृषि विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2401 कृषिकर्म

2435 अन्य कृषिगत कार्यक्रम

	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
	(₹ हजार में)			
दत्तमत				
मूल	1,92,93,37			
अनुपूरक	..	1,92,93,37	1,44,80,79	(-)48,12,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				36,21,14

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4401 कृषिकर्म पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत					
मूल	4,54,00.00				
अनुपूरक	44,97,67*	4,98,97,67	1,60,68,76		(-)3,38,28,91
* राजस्व अनुभाग से ₹ 8,76,53 हजार अनुपूरक और बचत के अभ्यर्पण से ₹ 36,21,14 हजार संवर्धित सम्मिलित हैं।					
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि ..					
टीका एवं टिप्पणियाँ					
राजस्व अनुभाग					
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 19,293.37 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4,812.58 लाख की अंतिम बचत हुई।				
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये ।				
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)			
2401	कृषिकर्म				
119	उद्यान कृषि एवं शाक फसलें				
0099	सामान्य				
0244	निदेशन और प्रशासन				
	ओ	10,193.60			मुख्यतः वेतन और विद्युत शुल्क के संबंध
	आर	(-)2,247.79	7,945.81	7,529.50	(-)416.31
2088	निदेशक उद्यान कृषि, जम्मू				
	ओ	5,629.17			मुख्यतः वेतन और विद्युत शुल्क के संबंध
	आर	(-)1,082.71	4,546.46	4,313.32	(-)233.14
2435	अन्य कृषिगत कार्यक्रम				
01	विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण				
101	विपणन सुविधाएं				
0099	सामान्य				
0612	उद्यान कृषि और विपणन				
	ओ	3,470.60			मुख्यतः वेतन और विद्युत शुल्क के संबंध
	आर	(-)290.64	3,179.96	2,637.98	(-)541.98
					में प्रावधान के प्रति कम व्यय

अनुदान संख्या 32-(समाप्त)

पूँजीगत अनुभाग						
3	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 876.53 लाख का अनुपूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय ₹ 45,400.00 लाख के मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 33,828.21 लाख की अंतिम बचत हुई।					
4	निम्नलिखित शीर्षो/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
4401	कृषिकर्म पर पूँजीगत परिव्यय					
119	उद्यान कृषि और शाक फसलें					
0011	सामान्य					
0721	पीएम-एफएमई					
	ओ	38.10				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	196.30	234.40	38.10	(-)196.30	
2415	राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन					
	ओ	661.90				निर्माण कार्य के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और प्रावधान व प्रशिक्षण के संबंध में, जीआईए और सहायिक के प्रति शून्य व्यय
	एस	680.23				
	आर	887.15	2,229.28	1.06	(-)2,228.22	
2450	क्षतिग्रस्त उद्यान कृषि क्षेत्रों का पुनः स्थापन					
	ओ	7,000.00				निर्माण के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	(-)1,000.00	6,000.00	5,596.02	(-)403.98	
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
0721	पीएम-एफएमई					
	ओ	289.40				निर्माण कार्य के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	2,072.57	2,361.97	102.30	(-)2,259.67	
2415	राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन					
	ओ	19,710.60				कार्य और सहायिका के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और एम एंड एस और जीआईए के संबंध में शून्य व्यय
	आर	956.43	20,667.03	2,808.10	(-)17,858.93	
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
0222	उद्यान कृषि निर्माण कार्यक्रम (कश्मीर)					
	ओ	3,300.00				निर्माण कार्य के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	(-)189.01	3,110.99	1,979.52	(-)1,131.37	
0281	एच.पी.एम.सी					
	ओ	1,100.00				निर्माण कार्य के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	431.00	1,531.00	355.67	(-)1,175.33	
0612	उद्यान कृषि योजना और विपणन					
	ओ	5,500.00				निर्माण कार्य के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	350.00	5,850.00	1,755.20	(-)4,094.80	
1191	शीत भण्डारण					
	ओ	5,000.00				निर्माण कार्य के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	..	5,000.00	1,088.13	(-)3,911.87	
2303	उद्यान कृषि निर्माण कार्यक्रम जम्मू					
	ओ	2,800.00				निर्माण कार्य के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	आर	113.00	2,913.00	2,344.56	(-)568.44	

अनुदान संख्या 33-आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2055 पुलिस

2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

2245 प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत

	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
	(₹ हजार में)			
दत्तमत				
मूल	9,94,10,88			
अनुपूरक	33,47,03*	10,27,57,91	8,47,06,24	(-)1,80,51,67
*पूँजीगत भाग से बचत के अभ्यर्पण से संवर्धित राशि को दर्शाता है।				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत						
मूल	5,66,62,00					
अनुपूरक	..	5,66,62,00	99,24,29		(-)4,67,37,71	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि						4,21,62,00
टीका एवं टिप्पणियाँ						
राजस्व अनुभाग						
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 1,02,757.91 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18,051.67 लाख की अंतिम बचत हुई।					
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
		(₹ लाख में)				
2055	पुलिस					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
1057	प्रवासियों पर व्यय					
	ओ	1,207.83				शिविरों, सेमिनारों और सम्मेलन के संबंध
	आर	(-)53.16	1,154.67	900.14	(-)254.53	में प्रावधान के प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
117	आंतरिक सुरक्षा					
0099	सामान्य					
0872	अन्य योजनाएं					
	ओ	2,350.00				नकद सहायता के संबंध में प्रावधान के
	एस	..	2,350.00	1,592.58	(-)757.42	प्रति कम व्यय
1057	प्रवासियों पर व्यय					
	ओ	63,815.00				वेतन एवं एलटीसी के प्रति नकद सहायता
	आर	4,265.39	68,080.39	51,092.70	(-)16,987.69	के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण					
01	पुनर्वास					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
1064	प्रांतीय पुनर्वास कार्यालय जम्मू					
	ओ	47.88				वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	(-)17.28	30.60	19.06	(-)11.54	और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय

अनुदान संख्या 33-(जारी)

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
2245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत				
80	सामान्य				
001	निदेशन और प्रशासन				
0001	निदेशन और प्रशासन				
1073	प्रांतीय पुनर्वास कार्यालय जम्मू				
	ओ	136.59			वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	(-)58.13	78.46	72.81	(-)5.65 व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
102	प्राकृतिक आपदा, आपदा संभावित क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन				
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
2334	आपदा प्रबंधन				
	ओ	853.58			जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	(-)789.79	63.79	28.94	(-)34.85 व्यय
3	निम्नलिखित शीर्ष/ योजना के अंतर्गत बजटीय प्रावधान के बिना व्यय किया गया था; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।				
शीर्ष				वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ
2245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत				
02	बाढ़ एवं चक्रवात इत्यादि				
101	आनुयाहिक राहत				
0099	सामान्य				
1076	आपदा राहत कोष			7,170.26	
पूँजीगत अनुभाग					
4	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 56,662.00 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 46,737.71 लाख की अंतिम बचत हुई।				
5	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये।				
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
	(₹ लाख में)				
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय				
01	पुनर्वास				
201	अन्य पुनर्वास योजनाएं				
0011	सामान्य				
2165	पुनर्वास				
	ओ	55,500.00			निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)41,000.00	14,500.00	9,924.29	(-)4,575.71 कम व्यय
7	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ):-				
	जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन और दो नये संघ राज्य क्षेत्रों के गठन पर, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में एसडीआरएफ जारी रहा। संबंधित लेखांकन वर्षों की अनुदान मांगों के प्रति उचित प्रावधान करने के उपरांत मुख्य शीर्ष 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि से निधि लेखा में हस्तांतरण करने से क्रेडिट प्रभावित होता है। तथापि, वर्ष 2022-23 के दौरान निधि में निम्नलिखित योगदान किया गया है।				

अनुदान संख्या 33-(समाप्त)

वर्ष 2022-23 के दौरान निधियों और निवेशों का विवरण निम्न अनुसार है:-	
निधि का विवरण	8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधि
	(₹ लाख में)
01-04-2022 को अथ शेष	10,928.78
2022-23 के दौरान प्राप्तियाँ	38,183.20
2022-23 के दौरान संवितरण	7,170.26
31-03-2023 को अंत शेष	41,941.72
उपर्युक्त के अतिरिक्त, 30.10.2019 को निधि में ₹1,27,148.12 लाख का सकल शेष भी था जिसे अभी भी उत्तराधिकारी संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना शेष है। इसमें से तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य द्वारा निवेश की गई ₹1,086.07 लाख की राशि को भी प्रभाजित किया जाना शेष है।	

अनुदान संख्या 34-युवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2203 तकनीकी शिक्षा

2204 खेल और युवा सेवाएं

2230 श्रम एवं रोजगार

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
	(₹ हजार में)		
दत्तमत			
मूल	6,66,86,83		
अनुपूरक	..	6,66,86,83	5,24,18,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)1,42,68,50
			15,20,81

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

4250 अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत			
मूल	2,44,99,25		
अनुपूरक	20,85,59*	2,65,84,84	1,65,87,82
			(-)99,97,02

* राजस्व भाग से ₹ 5,64,78 हजार अनुपूरक और बचत के अभ्यर्पण से ₹ 15,20,81 हजार संवर्धित सम्मिलित हैं।

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

..

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व अनुभाग						
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 66,686.83 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14,268.50 लाख की अंतिम बचत हुई।					
2	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ		
	(₹ लाख में)					
2203 तकनीकी शिक्षा						
001 निदेशन और प्रशासन						
0099 सामान्य						
0530 तकनीकी शिक्षा निदेशालय						
	ओ	15,510.76				वेतन व मानदेय के संबंध में प्रावधान के
	आर	109.21	15,619.97	11,277.42	(-)4,342.55	प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2400 कौशल विकास मिशन						
	ओ	..				वेतन व मानदेय के संबंध में प्रावधान के
	आर	67.00	67.00	30.00	(-)37.00	प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
112 इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान						
0031 केन्द्रीय प्रायोजित योजना						
1551 इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान						
	ओ	1,000.00				वेतन व मानदेय के संबंध में प्रावधान के
	आर	444.88	1,444.88	287.44	(-)1,157.44	प्रति कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
2204 खेल और युवा सेवाएं						
001 निदेशन और प्रशासन						
0099 सामान्य						
0244 निदेशन और प्रशासन						
	ओ	41,288.76				वेतन, टीए, आरआरटी के संबंध में प्रावधान
	आर	(-)3,612.40	37,676.36	35,593.11	(-)2,083.25	के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
101 शारीरिक शिक्षा						
0099 सामान्य						
0949 अनुदान सहायता खेल परिषद						
	ओ	5,300.00				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)200.00	5,100.00	3,900.00	(-)1,200.00	कम व्यय

अनुदान संख्या 34-(जारी)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
2230	श्रम एवं रोजगार					
02	रोजगार सेवा					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
1644	शिल्पकार प्रशिक्षण					
	ओ	2,010.31				वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम
	आर	(-)329.50	1,680.81	1,262.36	(-)418.43	व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
3	निम्नलिखित शीर्षा/योजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण प्रावधान पूरे वर्ष अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।					
शीर्ष					कल अनुदान/ विनियोग	अभ्युक्तियाँ
					(₹ लाख में)	
2203	श्रम एवं रोजगार					
112	अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
6016	एस ए एन के ए एल पी (संकल्प)				1,800.00	
0099	सामान्य					
6016	एस ए एन के ए एल पी (संकल्प)				200.00	
2230	श्रम एवं रोजगार					
03	प्रशिक्षण					
101	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
2505	पीएमकेवीवाई				1,500.00	
पूँजीगत अनुभाग						
4	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 564.78 लाख का अनुपूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय ₹ 24,499.25 लाख के मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9,997.02 लाख की अंतिम बचत हुई।					
5	निम्नलिखित शीर्षा/योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में बचत हुई; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।					
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय					
01	सामान्य शिक्षा					
201	प्रारंभिक शिक्षा					
0011	सामान्य					
1427	शारीरिक शिक्षा					
	ओ	14,731.36				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	0.24	14,731.60	8,235.57	(-)6,496.03	कम व्यय
02	तकनीकी शिक्षा					
105	अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान					
0011	सामान्य					
1551	अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान (आरईसी और जीसीईटी जम्मू)					
	ओ	1,925.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	1,925.00	1,243.73	(-)681.27	कम व्यय
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
0530	तकनीकी शिक्षा निदेशालय					
	ओ	3,792.89				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	158.54				कम व्यय
	आर	2,359.83	6,311.26	6,161.00	(-)150.26	

अनुदान संख्या 34-(समाप्त)

शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)				
4250	अन्य सामाजिक सेवाएं पर पूँजीगत परिव्यय					
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
1644	शिल्पकार प्रशिक्षण					
	ओ	2,150.00				निर्माण कार्यों के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	..	2,150.00	947.52	(-)1,202.48	
6	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत पूरे वर्ष के दौरान पूरा प्रावधान अप्रयुक्त रहा; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष				कुल अनुदान/ विनियोग		अभ्युक्तियाँ
				(₹ लाख में)		
4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय					
02	तकनीकी शिक्षा					
105	अभियांत्रिकी/ तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान					
0011	सामान्य					
0530	तकनीकी शिक्षा निदेशालय			406.00		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
6000	संस्थागत प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना का सुदृढीकरण			350.00		
800	अन्य व्यय					
0011	सामान्य					
6000	संस्थागत प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना का सुदृढीकरण			150.00		
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
6000	संस्थागत प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना का सुदृढीकरण			350.00		
4250	अन्य सामाजिक सेवाएं पर पूँजीगत परिव्यय					
203	रोजगार सेवा					
0031	केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
1644	शिल्पकार प्रशिक्षण			210.98		

अनुदान संख्या 35-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

3435 ऊर्जा और पर्यावरण

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
	(₹ हजार में)		
दत्तमत			
मूल	21,02,98		
अनुपूरक	..	21,02,98	11,92,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)9,10,84
			38,75

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

5425 अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत					
मूल	1,27,91,00				
अनुपूरक	..	1,27,91,00		34,17,29	(-)93,73,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि					55,06,00
टीका एवं टिप्पणियाँ					
राजस्व अनुभाग					
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 2,102.98 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 910.84 लाख की अंतिम बचत हुई।				
2	निम्नलिखित शीर्षा/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।				
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)			
3435	ऊर्जा और पर्यावरण				
60	अन्य				
800	अन्य व्यय				
0099	सामान्य				
2172	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हेतु अपर निदेशक परिषद				
	ओ	452.66			मुख्यतः वेतन और ओई के संबंध में
	आर	(-)6.00	446.66	314.77	(-)131.89 प्रावधान के प्रति कम व्यय
2173	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेएकेईडीए				
	ओ	1,650.32			मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति
	आर	(-)32.75	1,617.57	877.37	(-)740.20 कम और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
पूँजीगत अनुभाग					
3	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 12,791.00 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9,373.71 लाख की अंतिम बचत हुई।				
4	निम्नलिखित शीर्षा/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।				
शीर्ष		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(₹ लाख में)			
5425	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय				
800	अन्य व्यय				
0011	सामान्य				
0868	वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान				
	ओ	791.00			निर्माण के संबंध में प्रावधान के के प्रति
	आर	(-)6.00	785.00	726.02	(-)58.98 कम व्यय
1700	ऊर्जा के नये नवीकरणीय स्रोत				
	ओ	12,000.00			निर्माण के संबंध में प्रावधान के के प्रति
	आर	(-)5,500.00	6,500.00	2,691.27	(-)3,808.73 कम व्यय

अनुदान संख्या 36-सहकारी विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2425 सहकारिता

	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
	(₹ हजार में)			
दत्तमत				
मूल	85,08,19			
अनुपूरक	91,24,90	1,76,33,09	79,68,68	(-)96,64,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
..				

पूँजीगत

मुख्य शीर्ष

4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत				
मूल	15,00,00			
अनुपूरक	..	15,00,00	2,89,73	(-)12,10,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
..				

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व अनुभाग				
1	राजस्व दत्तमत भाग में ₹ 9,124.90 लाख का अनुपूरक प्रावधान अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय ₹ 8,508.19 लाख के मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9,664.41 लाख की अंतिम बचत हुई।			
2	निम्नलिखित शीर्ष/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।			

शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ
		(र लाख में)			

2425	सहकारिता					
001	निदेशन और प्रशासन					
0099	सामान्य					
0244	निदेशन और प्रशासन					
	ओ	8,058.19				मुख्यतः वेतन के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय और एलटीसी के प्रति शून्य व्यय
	आर	(-)1,275.10	6,783.09	5,120.35	(-)1,662.74	
108	अन्य सहकारिताओं को सहायता					
0099	सामान्य					
2174	पंजीयक सहकारी					
	ओ	450.00				जीआईए के संबंध में प्रावधान के प्रति कम व्यय
	एस	7,199.90				
	आर	1,275.10	8,925.00	2,850.00	(-)6,075.00	
3	निम्नलिखित शीर्ष/योजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण प्रावधान पूरे वर्ष अप्रयुक्त रहा; जिसके कारण सूचित नहीं किए गए [जुलाई 2023]।					
शीर्ष				कुल अनुदान विनियोग	अभ्युक्तियाँ	
				(₹ लाख में)		

2425 सहकारिता					
107	ऋण सहकारी समितियों को सहायता				
0031	केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ				
6028	प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ			1,750.00	
0099	सामान्य				
6028	प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ			175.00	

अनुदान संख्या 36-(समाप्त)

पूँजीगत अनुभाग						
3	पूँजीगत दत्तमत भाग में ₹ 15,00.00 लाख का प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,210.27 लाख की अंतिम बचत हुई।					
4	निम्नलिखित शीर्षों/ योजनाओं के अंतर्गत अनुदान में महत्वपूर्ण बचत हुई; जिसके लिए कारण सूचित [जुलाई 2023] नहीं किये गये थे।					
शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग		वास्तविक व्यय	बचत (-)	अभ्युक्तियाँ	
	(₹ लाख में)					
4425	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय					
190	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश					
0011	सामान्य					
0369	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश					
	ओ	1,500.00				निर्माण के संबंध में प्रावधान के प्रति
	एस	..	1,500.00	289.73	(-)1,210.27	कम व्यय

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

आकस्मिक निधि से प्राप्त अग्रिमों से किए गए व्यय की वर्ष 2022-23 के अंत तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गई

मुख्य शीर्ष	संस्वीकृत अग्रिम की राशि	संस्वीकरण तिथि	अग्रिम से व्यय	उत्तरवर्ती वर्ष में अग्रिम की प्रतिपूर्ति की तिथि
(₹ हजार में)				

----- शून्य -----

परिशिष्ट-

व्यय की कमी के कारण लेखांकन में समायोजित वसूलियों के संबंध में आंकलनों और वास्तविकों का अनुदान वार विवरण

(पृष्ठ XIII)

अनुदान की संख्या और नाम

बजट आंकलन

राजस्व

पूँजीगत

(₹ हजार में)

12 कृषि विभाग

-

51,00,00

15 खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

-

-

कुल

-

51,00,00

II

का संदर्भ लें)

वास्तविक		बजट आंकलन के साथ तुलना किए गए वास्तविक	
राजस्व	पूँजीगत	अधिक(+) कम(-) राजस्व	अधिक(+) कम(-) पूँजीगत
		(₹ हजार में)	
-		44,16,59	(-)6,83,41
-		4,74,35	(+)4,74,35
-		48,90,94	(-)2,09,06

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2023
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ae/jammu-and-kashmir/hi>